राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २९ वां दिवस [संख्या १९

मंगलवार, दिनांक १० अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, राजस्व, शिक्षा, वन एवं सिंचाई–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा क्रियान्वित योजना।

१४०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरी बाजार, जयपुर) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर–द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने अब तक कितनी योजनायें प्लॉट देने हेतु बनाई ?

(२) इनमें से कितनी योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और कौन कौन सी योजनायें बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन बाकी बची हुई योजनाओं को कब तक पूरा करने का विचार है ?

(४) निकट भविष्य में किन किन योजनाओं में प्लॉट दिए जाने का विचार है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर ने अब तक निम्नलिखित ४ योजनायें बनाई हैं :

१. जनता कॉलोनी २. फतह टीबा एक्सटेन्शन जिसका नाम हनवन्तपुरा है। ३. बड़ोदिया ४. नाहरी का नाका।

(२) ये चारों योजनाएं सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जनता कॉलोनी योजना में।

श्री भैरोंसिंह : ये चारों योजनाएं यू.-आई. बी. के द्वारा सरकार के पास कब भेजी गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : नारी का नाका ५. ४. ६१ को और बाकी तीनों १६. १. ६२ को।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी डेट बताई ?

श्री दौलतराम सारण : १६. १. ६२।

श्री भैरोंसिंह : ये योजनाएं सरकार के पास १६. १. ६२ को आ गई थी तो स्वीकृति देने में क्या बाधा उपस्थित हुई ?

श्री दौलतराम सारण : जांच पड़ताल होकर स्वीकृत की जायेगी। कमेटी की दो मीटिंग्ज हो चुकी हैं। अभी एक मीटिंग एक, दो दिन में और होनेवाली है। इसके लिये जल्दी की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि योजना बनाने से पहले जो रूल्स के द्वारा कमेटी निर्धारित की गई है वह योजना को एप्रूव करती है और फिर गवर्नमेंट को सेंक्शन के लिए जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : रूल्स के मुताबिक कार्यक्रम चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है, लेकिन रूल्स के मुताबिक जिस कमेटी का निर्माण किया है उस कमेटी की एप्रूवल के बिना गवर्नमेंट के पास योजना सेंक्शन के लिए नहीं जाती। मेरा सवाल है, उस कमेटी ने एप्रूव किया था या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के भाग (२) में मैं निवेदन कर चुका हूँ कि चार योजनायें सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। यह विचाराधीन मसला है और आपने बताया कि कमेटी की दो बैठकें हो गई हैं और एक होनेवाली है। मेरा प्रश्न है कि कमेटी की बैठक न होने से पहले कमेटी की एप्रूवल के बिना गवर्नमेंट की सेंक्शन के लिए वह कैसे आ गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला-खां) : होता इस तरह है कि एक योजना आती है उसे तब तक नहीं माना जाता जब तक हम स्क्रुटिनाइज न कर लें। गवर्नमेंट का इनहैरेन्ट राइट है कि योजना को स्क्रुटिनाइज करके सेंक्शन करें। योजना पास करने के लिए अपना माइन्ड एप्लाई करने में जितना वक्त लगता है वह लगेगा वर्ना गवर्नमेंट एक स्टेम्पिंग मशीन हो जायेगी कि नीचे से एक योजना आये और उस पर मोहर लगा कर भेज दें। इसमें स्क्रुटिनी होने में जो वक्त लगेगा वह लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

भाखरा क्षेत्र के किसान

१४१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों और पुख्ता काश्तकारों की जमीनें किश्त न अदा करने की हालत में खारिज की जा रही हैं ?

(श्री श्योपतसिंह)

(२) क्या यह सही है कि इन भूमिहीन किसानों और पुख्ता काश्तकारों को जो जमीन कमांडेड मान कर दी गई है उसे आज तक नहरों का पानी नहीं लग रहा है या वह घग्घर नदी की बाढ़ के कारण लगातार चार साल से बिना पानी काश्त पड़ी है ?

(३) क्या सरकार उन्हीं किसानों से जिनकी जमीन में पानी लगा है अथवा जो बाढ़ग्रस्त नहीं हुई है किश्तें वसूल करने का तथा बाकी काश्तकारों से किश्त वसूली की मियाद बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी फुल इन्फोर्मेशन क्लेक्ट की जा रही है । आयन्दा सप्ताह में इसका उत्तर दे दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री भैरोंसिंह

अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्लॉटस का विक्रय

१४२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [(जौहरी बाजार, जयपुर) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] :

(१) अब तक जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं में किन किन रेट्स पर प्लॉट्स दिए गए हैं ?

(२) क्या इन रेट्स में अब कोई तब्दीली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) इस दृष्टि से जो नियम बने हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने को कृपा करें ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिनांक १ अगस्त, १९-६१ से उन योजनाओं की स्कीम रेट्स या स्कीम रेट की डबल कीमत पर प्लॉटों का वितरण किया गया है । हर स्कीम की रेट्स अलग अलग हैं जो सरकार से मंजूरशुदा हैं । भिन्न भिन्न योजनाओं की स्कीम रेट्स इस प्रकार हैं— मोती डूंगरी स्कीम में २।, २।। व २।।। रु० प्र. व. गज । बनीपार्क में १ रु० ६ आना प्र. व. गज, बस्सी सीतारामपुरा में २।।।, ३ रु० प्र. व. गज और फतेहटीबा योजना में १।।। रु० प्र. व. गज ।

(२) नियमानुसार जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी ।

(३) नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : ये जो रेट्स निर्धारित की जाती हैं इनका आधार क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : रेट्स जो निर्धारित की जाती हैं, उनमें डेवलपमेंट का खर्चा होता है वह सब जोड़ कर निकाल लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सब जोड़ कर, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : रोड्स नल, बिजली और दूसरी तरह के चार्जेज ।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : उसका असेसमेंट कैसे होता है ? यह जो सारे डवलपमेंट के काम होते हैं, उनका असेसमेंट किस बेसिस पर किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : वह बताया, जो खर्चा होता है उस पर।

श्री भैरोंसिंह : खर्चा एक तो पूरा लिया जाता है, दूसरे कौन कौन से खर्चे होते हैं।

जिसके बेसिस पर, रेट्स निर्धारित की जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह बताये मंत्री महोदय ने।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं बताये दो-तीन आइटम्स बताये हैं, पूरे खर्चे दूसरे हैं।

श्री दौलतराम सारण : नियम पढ़ लें, उसमें हैं।

स्वायत्त शासन, मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रोड्स बनाई जायं, डेवलमेंट का मतलब होता है कि पानी दिया जाय, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिजली दी जाय, डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि जो जमीन ऊंची है उसको लेवल में लाया जाय, खड्डों को भूरा जाय और उन सब काम में जो ओवर हैड खर्चा लगाकर रेट्स निर्धारित की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : इम्प्रूवमेंट का जो ओवर हैड एकसपेन्डीचर है उसमें डवलपमेंट को छोड़ कर और कौन से चार्जेज हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर, इन्जीनियरिंग' एक्सपेन्सेज इत्यादि, इत्यादि।

श्री भैरोंसिंह : इसके अलवा और आइटम नहीं है जिसको शामिल किया जाकर रेट्स को केलकुलेट करने में आधार बनाया जाय ?

श्री बरकतुल्लाखां : जैसे कहीं पर गन्दी सीवेज होती है उसको बनाया जाता है....

श्री भैरोंसिंह : वह तो डेवलपमेंट में आ गया।

श्री बरकतुल्लाखां : उसके अलावा मैंने अर्ज किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर, जो स्टाफ रखा जाता है, क्लर्क रखे जाते हैं, उनके ऊपर ऑफिसर रखे जाते हैं, इन्जीनियर रखे जाते हैं, ओवरसियर रखे जाते हैं, उनका खर्चा आता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डेवलपमेंट चार्जेज में सरप्लस यू. आई. बी. ओवर हैड चार्जेज के अलावा बाकी का कोई आइटम कीमत निर्धारित करने में शामिल नहीं किया जाता ?

श्री बरकतुल्लाखां : चूंकि ऐसा होता है कि जो हरिजन और पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए स्कूल और होस्पीटल वगैरह पर जो एक्सपेन्डीचर आकर लगता है, इसके लिए २० परसेन्ट और लगाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह २० परसेन्ट किस बेसिस पर लगाया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, और प्लेग्राउन्ड

(श्री बरकतुल्लाखां)

के लिए खाली जमीन रखी जाती है, इस तरह जो जमीन खाली रखनी पड़ती है उसके एक्सपेन्सेज जोड़ कर ।

श्री भैरोंसिंह : २० परसेन्ट का फिक्स अप काइटेरिया है या २० परसेन्ट में स्कूल, होस्पीटल के एक्सपेन्डीचर को केलकुलेट करके उसके बेसिस पर इस खर्च को जोड़ कर कीमत निर्धारित की जाती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : करीब करीब २० परसेन्ट का एवरेज आकर पड़ता है, इसे और लैस ओवर हैड एक्सपेन्डीचर मान लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि डेवलप-मेंट के चार्जेज के आधार पर निर्धारित जमीन की कीमत के अलावा किसी प्रकार के ओवर हैड एक्सपेन्सेज वसूल नहीं किये जाने चाहिए ?

श्री बरकतुल्लाखां : ऐसा फैसला मेरे ध्यान में नहीं आया है । अगर होगा तो उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे और जान-कारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जिन कच्ची बस्तियों की रेट्स फिक्स अप की हैं, क्या उनमें ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आमदनी ढ़ाई सौ रुपये से कम है ?

श्री अध्यक्ष : This is not the question.

श्री भैरोंसिंह : जो रेट्स तय की गई हैं, उसमें ऐसी स्थिति है कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर है कि २५०)रु० से आमदनी ज्यादा है तो बाई ऑक्शन जमीन सरकार देगी और आमदनी ढाई से कम है तो फिक्स्ड प्राइस पर जमीन दे दी जायगी । दो बस्तियों के लिये रेट्स तय की हैं, उनमें ऐसे लोग हैं कि उन लोगों को रेट से कम रेट पर जमीन दी जाय । जो रेट्स तय कर दी हैं, उनमें डेवलपमेन्ट चार्जेज को जोड़ कर और जो खर्चा ज्यादा है उसको जोड़ कर की है ।

श्री बरकतुल्लाखां : जो सवाल आपने उठाया है उसकी जानकारी करके मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : ये रेट्स तय की हैं, इसको तय करने का अधिकार किसको है ?

श्री बरकतुल्लाखां : रेट्स तय करने का अधिकार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को है, गवर्नमेन्ट उसको स्क्रूटिनाइज करती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या रूल्स में प्रोविजन है कि रेट्स कौन तय करेगा ?

श्री बरकतुल्लाखां : हां ।

श्री भैरोंसिंह : वे कौनसे हैं, ये रूल्स मेरे पास हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आप रूल्स पढ़ कर देख लें ।

श्री भैरोंसिंह : ये रूल्स हैं, इसमें क्राइ-टेरिया फिक्स अप किया है कि डेवलपमेन्ट चार्जेज़ जोड़ कर इस बेसिस पर कीमत केल्कुलेट को जायगी ।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास रूल्स की कॉपी मौजूद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स की कॉपी मेरे पास है। जिसमें यह आधार बताया है, उसमें यह नहीं बताया है कि यह बेसिस नहीं है कि रेट्स तय की जायगी, उसमें कौन कौन से आइटम्स होंगे। इसका मतलब है कि आप चाहे जिसे ले लें चाहे जिसे न लें। इस तरह जो क्राइटेरिया फिक्स अप है वह कहीं होगा, कहीं नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : रूल्स में आधार है, उसके आधार पर रेट्स फिक्स अप कर सकते हैं। उसका ब्रेक अप क्या है, वह मंत्री महोदय ने बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : वह है नहीं। जो बता दिया है वह चार-पांच बार में बताया है। इससे जो रेट जिस समय फिक्स अप करना चाहें वे कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट के ओवर हैड एक्सपेन्डीचर हैं, वे रूल्स में प्रेस्क्राइब किये जायं तो बात समझ में आ सकती है। अलग अलग बस्तियों की रेट्स अलग अलग हैं, कहीं पर डेढ़ रुपया है तो कहीं ढाई रुपया है। उसका कोई आधार नहीं है। जिस बस्ती में कम कीमत पर जमीन देना चाहें वहां आइटम्स में कमी कर दी और जहां ज्यादा रेट पर देना चाहें वहां ज्यादा बढ़ा दिये और वहां और चीजों का खर्चा जोड़ कर रेट निर्धारित कर दी गई। ऐसी हालत में मैं गवर्नमेन्ट से पूछना चाहूँगा कि हार्ड एण्ड फास्ट क्राइटेरिया लिखित रूप में हो कि किस बस्ती में किस बेसिस पर रेट तय की जाय?

श्री बरकतुल्लाखां : जैसा मैंने अर्ज किया यह क्राइटेरिया सभी जगहों पर लागू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेन्डीचर सब जगहों पर लागू होता है इसलिए यह कहना कि किसी स्कीम में बढ़ा दिया, ऐसी जानकारी या शिकायत ऑनरेबल मेम्बर्स लायेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उस पर जानकारी करके जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन। क्या यह बता सकते हैं कि दो तरह की कीमत रखी है, एक बस्ती में ढाई रुपया रखा है और उसके नजदीक दूसरी बस्ती में डेढ़ रुपया रखा है, इसमें आधार क्या है, इसमें इतना अन्तर क्यों आ गया है?

श्री अध्यक्ष : यह केल्कुलेशन का प्रश्न है। जो बेसिस है केल्कुलेशन का, वह बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : केल्कुलेशन का प्रश्न नहीं है। बेसिस यह है कि वहां सलेक्टेड लोगों के बंगले हैं, इसलिए उन आदमियों को सस्ती दर पर जमीन देनी है। लेकिन जहां गरीब लोग रहते हैं, जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है उनको दर बढ़ा कर देते हैं। बरसी सीतारामपुरा, बेनीपार्क वगैरह की बस्तियों की जांच की जाय तो ये सारी बातें सामने आ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर के कॉलेज में सोशियोलॉजी व ज्योग्राफी विषयों के अध्ययन की व्यवस्था

१४३. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर में बी० ए० की कक्षाओं में सोशियोलॉजी तथा ज्योग्राफी विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): जुलाई, १९६३ के सत्र से ज्योग्राफी (भूगोल) अथवा समाज शास्त्र में से जिसकी मांग अधिक होगी उनमें से एक विषय के खोलने की व्यवस्था की जावेगी।

किसानों को जंगल से लकड़ी लाने के लिये दी जाने वाली सुविधा

१४४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) : क्या मन्त्री, वन विभाग यह बताने कीकृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि इटावा व पीपल्दा क्षेत्र के काश्तकारों के लिये लकड़ी लाने के लिए बलवन जंगल है ?

(२) क्या यह सही है कि इस जंगल में जाने का कोई रास्ता नहीं है इस कारण काश्तकार लकड़ी से वंचित रहते हैं।

(३) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों को किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के जंगलों से लकड़ी लाने में मार्ग आदि की अधिक सुविधा है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के काश्तकारों को किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में लकड़ी लाने की सुविधा देने का विचार रखती है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) जी हां।

(२) जी नहीं। जिस प्रकार जंगल में गाड़ी गडार होती है वैसे रास्ते मौजूद हैं। रास्ते के कारण लकड़ी से वंचित रहने की बात मानने योग्य नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। शाहबाद व किशनगंज जो पहाड़ी तहसीलें मानी जाती थी वे अब मैदानी हो गई हैं और सैकड़ों एकड़ भूमि काश्त के अन्दर आ चुकी है। अलावा इसके, हर एक वन डिवीजन के लिये वर्किंग प्लान्स बनाये जाते हैं और उनमें जो जंगल लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये नियत किये जाते हैं उनसे लोगों को लकड़ी दी जाती है। इटावा-पीपल्दा क्षेत्र कोटा वन डिवीजन में है इसलिये जो समीपवर्ती जंगल बलवन का है वहीं से कोटा डिवीजन के वर्किंग प्लान में उनको लकड़ी देने की सुविधा रखी गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि लकड़ी के न मिलने के कारण कोटा डिवीजन में लोगों को मुर्दों को गाड़ना पड़ा है ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या बूंदी की जनता ने यह शिकायत की कि उनको लकड़ी नहीं मिल रही है ?

प्रश्न संख्या १४५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाचन्द।

Page No. 8

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय ।

हायर सेकन्डरी स्कूल

१४६. **श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :— क्या वामनवास तहसील में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : अभी तक माध्यमिक शालाओं को जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः वामनवास तहसील में जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने के प्रश्न पर दूसरे ऐसे स्कूलों के साथ साथ जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जावेगा ।

श्री गोविन्दसहाय : सरकार की यह नीति है कि हर तहसील में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोली जावें तो वामनवास भी एक तहसील है वहां पर क्यों नहीं खोली जाए ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल इसको सिफारिश करते हैं । ४ मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रश्न विचाराधीन है । उसमें जो अपग्रेड करने के लिये विधान है उसके अनुसार इस पर भी विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

गंग केनाल

१४७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंग केनाल की खुदाई व मरम्मत (रिपेयर) के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ६७५ मील लम्बी गंग केनाल की नहरों की खुदाई व मरम्मत के लिये यह धनराशि बहुत कम है तथा इस कारण खुदाई व मरम्मत के लिये किसानों से बेगार ली जाती है और इसी कारण खुदाई पूरी नहीं हो पाती तथा टेलों पर पानी पूरा नहीं होता ?

(ग) क्या सरकार खुदाई व मरम्मत के लिये अधिक धनराशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) गंग नहर की मामूली मरम्मत के लिये ७,१८,०००) रु० और एक्सटेन्शन इन्प्रूवमेंट के लिये २,५०,०००) रु० का प्रावधान है ।

(ख) जी नहीं । कहीं कहीं काश्तकार अपने फायदे के लिए मरम्मत में सहयोग दे देते हैं । यह प्रथा बीकानेर राज्य काल से चली आ रही है ।

(ग) जी नहीं । ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप बता सकते हैं कि कितने ब्रीचेज पिछले साल हुए ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : यह गंग केनाल का प्रश्न है और इससे अलग नहीं है इसी से सम्बन्ध रखता है ।

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है, मैंने आपसे निवेदन कर दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप बता सकते हैं कि गंग केनाल का पानी सप्लाई किया जाता है वह किसानों को पूरी तरह से मिल जाता है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : नं० २ में साफ है कि पानी पूरा नहीं मिलता । जब आप कहते हैं कि पानी पूरा पहुंचता नहीं तो उसकी गॉज रीडिंग (gauge reading) क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैं कहता हूँ कि पानी पहुंचता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूँ कि पानी पूरा पहुँचता नहीं और आप कहते हैं कि पानी पूरा मिलता है, आप गॉज रीडिंग क्या है, बतादें ?

श्री भीमसेन : जब आप कहते हैं कि पानी पूरा पहुंचता है तो आप रीडिंग बता दें, यह एक गम्भीर प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से बहुत से प्रश्न पैदा हो सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : इसमें यह कहा गया है कि पानी पूरा पहुँचता है । क्या यह gauge reading के हिसाब से कहा गया है या यो ही कहा जाता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पिछले १० वर्षों के रीडिंग को आप ले लें । मैं जो बात कहता हूं अगर वह सच्ची निकले तो क्या आप सम्बन्धित अधिकारियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे या जैसे मैंने मांग की है, धन राशि को बढाने की उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसकी जानकारी करली जावेगी । The Questions are for eliciting information and whatever information is available, that we have already supplied. If he needs further information, he can raise half-an-hour discussion. In the alternative he can see me in my chambor and I will look in to the case.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरा मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि किसानों से बेगार ली जाती है । अगर आप इसकी जांच करें तो आपको मालूम होगा कि ८० परसेन्ट नहरों की खुदवाई किसानों से बेगार द्वारा कराई जाती है । तो क्या इस सम्बन्ध में भी सरकार ध्यान देगी ?

श्री दौलतराम सारण : बेगार से आपका क्या मतलब है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गांव वालों को इकट्ठा करके बिना पैसा और मेहनताना दिये नहर की खुदवाई कराई जाती है, यह मेरा मतलब है ।

Page No. 10

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, बिना पैसा लिये निर्माण के काम में कोई भाग लेता है तो उसका नाम बेगार नहीं है। वे अपनी मर्जी से सहयोग के रूप में नहर के काम में मदद देते हैं। इसलिये इसको बेगार नहीं कहा जाता। बेगार वह है जो उनसे मजबूरन ली जाती है जो राजाओं के जमाने में ली जाती थी?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह देखने की बात है कि उनसे जो काम लिया जाता है वह सहयोग की भावना से किया जाता है या नहीं। क्या यह मन्त्री महोदय बता सकेंगे कि वह सहयोग के रूप में दिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं उत्तर में कह चुका हूं कि यह सहयोग दिया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि मजदूर लोग और किसान लोग उस समय यह कार्य करते हैं जब सरकार उसको पूरा नहीं कराती है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार जांच करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : जांच की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न साफ है !

एक माननीय सदस्य : किसान मजबूर होकर काम करते है या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : वे स्वेच्छा से काम करते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब मोखों में पानी नहीं चढ़ता तो मजबूर होकर उनको काम करना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण : धारणा आपकी है इस पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने जांच की है कि किसान लोग स्वेच्छा से सहयोग देते हैं या मजबूरी के कारण काम करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह पुराना सिस्टम बीकानेर स्टेट के समय से चला आ रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीकानेर से जो सिस्टम चला आ रहा है वह बेगार का सिस्टम था। क्या सरकार उसको अभी वैसे का वैसा जारी रखना चाहती है ?

श्री दौलतराम सारण : किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई कि उनसे जबरन काम कराया जाता है। स्वेच्छा से जो काम करते हैं वे अपने हित के लिये करते हैं और अपना काम समझ कर करते हैं इसलिये उसको बेगार नहीं कहा जा सकता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या आपने इस सम्बन्ध में जांच की ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपके पास इस प्रकार की सूचना है कि नहर नहीं खोदने के बारे में कई किसानों पर केसेज चल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो बताई जा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका गंग केनाल से गहरा सम्बन्ध है। इस प्रकार के कितने केसेज किसानों पर चल रहे हैं ? जब आप उन पर नहर नहीं खोदने के कारण मुकदमे चलाते हैं तो क्या अब भी वह श्रमदान है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बता दें कि किन किन पर नहर नहीं खोदने के कारण मुकदमे चलाये जा रहे हैं। आप निश्चित घटनाओं को बता दें, अगर कोई हों। तब तो उनको उत्तर देने में सहूलियत हो सकती है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या इस जमाने में भी बेगार ली जाती है। आपने कहा कि बीकानेर राज्य में पहले से जैसा चला आ रहा था वैसा सिस्टम चल रहा है। बीकानेर दरबार को और राजाओं को तो बुरा भला कहते थे अब आपको क्या कहें ?

श्री दौलतराम सारण : यह बेगार तो आपके जमाने में ली जाती थी।

श्री मानसिंह महार : यह अभी आपके यहां भी चालू है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि पानी टीलों तक नहीं पहुंचता है ?

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं होने चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों प्रश्नों का बेग उत्तर मिला है।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब दिया गया है कि जिसको आप बेगार कहते हैं, माननीय मन्त्री उसको श्रमदान कहते हैं।

श्री मानसिंह महार : 'बेगार' और 'श्रमदान' में क्या कोई फर्क है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुराने राजाओं के जमाने में जो बेगार थी उसको आज श्रमदान कहा जाता है।

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next, Shri Vijay Singh Jhala.

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न संख्या १४८।

(एक माननीय संदस्य कुछ बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। अपना भाषण न दें।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

नगरपालिका नाथद्वारा

१४८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगरपालिका ने जरिये पत्र संख्या ७०३।बी० दिनांक २२-७-६० के डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़, राजस्थान, जयपुर को अपने नगर में ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड, गटरें व नालियें बनाने की योजना प्रेषित की है ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) इस योजना को प्रेषित करने के पश्चात् नगरपालिका ने इस विभाग को कितने रिमान्डर किये ?

(३) क्या यह सही है कि अब तक विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है ?

(४) राज्य सरकार नगरपालिका की इस योजना को कार्यान्वित करने का क्या कार्यक्रम रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न हो नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह झूठ है कि नाथद्वारा नगरपालिका ने जरिये पत्र संख्या ७०३।बी. दिनांक २२-७-६० के डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, राजस्थान, जयपुर को इस प्रकार की योजना भेजी थी ?

श्री दौलतरामसारण : आपने जो इसमें पत्र संख्या और तारीख दी है, उस तारीख और संख्या का कोई पत्र चेष्टा करने पर भी प्राप्त नहीं हो सका है। मैं जो सूचना मेरे पास आई है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। आप अलग से सूचना दें तो उसकी जानकारी करके जवाब दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह झूठ है कि तारीख २२-७-६० को कोई पत्र नगरपालिका, नाथद्वारा ने डाइरेक्टर, पब्लिक हैल्थ को लिखा ?

श्री अध्यक्ष : मामला स्पष्ट है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस तारीख व नम्बर का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस पर आप जो सूचना दें उसके आधार पर जानकारी करने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पत्र की जो संख्या और तारीख बताई गई है, क्या यह ओरीजिनल पत्र का रिमाइन्डर है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, यह तो पता नहीं, पर जो सूचना चाही है उसका मैंने 'जी नहीं' उत्तर दिया है। इसके अलावा माननीय सदस्य और कोई जानकारी दें तो मैं जानकारी हासिल करके बता सकता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह झूठ है कि २२.७.६० के इस पत्र के प्रत्युत्तर में डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ के यहां से लिखा हुआ गया कि इस प्रकार के कागजात पर कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करें तो ठीक रहेगा।

श्री विजयसिंह झाला : असत्य समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे रहे हैं इसका ?

श्री दौलतराम सारण : मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि इस प्रकार का पत्र प्राप्त नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

हुआ है। माननीय सदस्य सूचना देंगे तो जानकारी करके उन्हें सूचना दे दूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो गलत परम्परा है, माननीय अध्यक्ष। हम चाहते हैं सूचना। केवल मानीय सदस्य को सूचना देने का प्रश्न नहीं है। उप-मन्त्री तैयार हो कर आते नहीं हैं और प्रश्नों का जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं। सूचना छिपाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह गलत है, माननीय अध्यक्ष ! जो सूचना चाही जाती है वही सूचना दे सकता हूँ। माननीय सदस्य दूसरी सूचना चाहें तो बता दें, हम सूचना प्राप्त करके दे सकते हैं, बाकी सूचना छिपाने की बात है नहीं। जो तथ्य हैं सीधी तरह से प्रस्तुत करने को तैयार हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं कहता हूं कि सूचना को छिपाने का मन्त्री महोदय प्रयास कर रहे हैं। क्या यह सही बात है कि नगर पालिका, नाथद्वारा द्वरा इस योजना के सम्बन्ध में कोई पत्र डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ को लिखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि इस पत्र के जवाब में नगरपालिका, नाथद्वारा को विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया था कि अमुक अमुक प्रकार के पत्र जांच के लिए अमुक विभाग के पास भेजे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस पत्र की जानकारी नहीं है तो इस विषय की कोई चीज सरकार के विचाराधीन है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय तो मैं नहीं कह सकता।

श्री मानसिंह महार : जो पत्र यहां से लिखा गया है उसकी जानकारी उपमन्त्री महोदय को नहीं है। तो क्या जानकारी इस प्रश्न के बारे में की गई ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी के लिए यह कार्यवाही की गई कि सम्बन्धित कलेक्टर से पूछा गया, डाइरेक्टर, मेडिकल एन्ड हैल्थ को लिखा गया, लोकल सेल्फ विभाग से पूछा गया। पर इसमें सूचना लिखी गई थी वह नहीं मिली। अब आप बता रहे हैं उसके अनुसार सूचना प्राप्त की जा कर सूचना चाहें तो दी जा सकती है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या नगर-पालिका, नाथद्वारा को यहां से पत्र नहीं लिखा ?

श्री अध्यक्ष : आप उसी प्रश्न को घुमा फिराकर दोहरा रहे हैं। मन्त्री महोदय स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि इस तरह का पत्र हमारे यहां नहीं आया है। माननीय सदस्य ने इसके विपरीत जानकारी दी है तो उन्होंने कहा है कि जांच करके बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस नम्बर व तारीख का उल्लेख किया है उस तरह का पत्र डाइरेक्टर के पास नहीं आया पर जिसमें इस स्कीम का उल्लेख है इस तरह का कोई पत्र आया है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो नम्बर व तारीख दिये गए हैं, उसका ही मैं निवेदन कर रहा हूं। बाकी आप बता रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके सूचना दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न पर्टीक्यूलर है। जिस बात के लिए मना किया है उस तरह का कागज नहीं आया। जिसमें इस स्कीम का जिक्र हो, क्या इस तरह के कागज के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नकारात्मक जवाब दे चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की स्कीम ही नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : पत्र ही नहीं पहुंचा।

श्री भैरोंसिंह : वह पत्र जिसमें इस स्कीम के सम्बन्ध में कोई उल्लेख हो, इस तरह का पत्र ही नहीं पहुंचा, ऐसा कैसे कह सकते हैं। पत्र तो जरूर पहुंचा ही होगा।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां इस प्रकार की जानकारी नहीं है। पत्र पहुंचा हुआ मालूम नहीं पड़ता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल, जयपुर) : प्रश्न के लिए १५ दिन का समय मन्त्री महोदय को दिया जाता है। सूचना के लिए विशेष रुप से रोक दिया जाता है। इसके पश्चात् भी यह उत्तर मिलता रहे कि इसकी जानकारी नहीं कर सके तो इससे तो यही अच्छा है कि मन्त्री महोदय कह दें कि जानकारी सदन को देना ही नहीं चाहते। १५ दिन का समय भी ले लेते हैं और फिर भी जवाब देने से गुरेज करते हैं। यह तो अध्यक्ष महोदय के सोचने की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १५ दिन से भी ज्यादा समय ले लेते हैं। फिर भी सही जवाब नहीं आ पाता है। या तो अधिकारी वर्ग जवाब देने की कोशिश नहीं करता या उस प्रश्न को दबाने की कोशिश करता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले जितने प्रश्न हैं उनको जानकारी की जाय तो पता चलेगा कि कितने ही प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह प्रश्न मेरा उपस्थित हुआ है २०–२५ दिन पहले से दिया है। आवश्यकता से ज्यादा समय दिया जाता है फिर भी मन्त्रीगण टालने की कोशिश करते हैं।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह सत्य नहीं है। टालने की कोई बात नहीं। कोई तथ्य ही हमारे सामने नही हों तो कैसे जवाब दिया जा सकता है। आपकी सूचना पर दुबारा जानकारी हासिल करके ही कह सकता हूँ।

श्री मानसिंह महार : यदि यह पत्र पहुंचा हो और छिपाने की कोशिश की हो तो यह तो आश्वासन मिलना चाहिए कि मन्त्री के खिलाफ सदन कुछ नहीं करें तो जिन्होंने इसे छिपाया है उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : अगर किसी ने जानबूझ कर जानकारी छिपाई है तो उसके खिलाफ जरुर एक्शन लिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो मन्त्री महोदय के खिलाफ ही यह शिकायत करता हूं कि इस पत्र को पिछा रहे हैं। उसका उत्तर स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को भेज दिया था, कागज इनके पास होते हुए भी जवाब नहीं दिया जारहा है। यह आपके खिलाफ शिकायत है। जो नगरपालिका से पत्र आया वह अध्यक्ष महोदय फरमायें तो पढ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

भूमि विक्रय

१४६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में कॉलोनाइजेशन विभागवाले पड़त जमीन को बेच रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह जमीन अधिकांश रूप में गोचर भूमि के रूप में कार्य में आती है ?

(३) क्या यह सही है कि अधिकांश स्थानों पर इस विक्रय का विरोध किया जा रहा है तथा ग्रामवासी पहले गोचर भूमि सुरक्षित कराना चाहते हैं ?

(४) इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) सिंचाई की भूमि चरागाह के लिये नहीं छोड़ी जा सकती।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऊबड़ खाबड़ जमीन उनको दी जाती है तो इससे तो अच्छा रहेगा कि उसको चरागाह के लिये रखा जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमान्डिग एरियाज में जमीनें बेची ही जायेंगी, चरागाह के लिये नहीं छोड़ी जा सकती।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कमान्डेड एरिया में गोचर भूमि की क्या व्यवस्था करेंगे, चरागाह नहीं रखेंगे तो मवेशी कहां चरेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अपनी अपनी भूमि में सिंचाई से घास पैदा करें, फसल जो पशु खाते हैं वह पैदा करें। कमान्डेड एरिया में कोई भूमि चरागाह के लिये नहीं छोड़ी जाती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जिनके पास केवल पशु ही हैं और उनके पास भूमि नहीं है तो वे कहां से अपने पशुओं को चरायेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था कैसे करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीनें आखिर मनुष्यों को ही दी जाती हैं, वे भी खरीदें, पशुओं के लिये भी जमीनें देते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि लोगों को जबरदस्ती प्रेश किया जाता है, बाहर के आदमियों से बोली लगवाई जाती है और लोगों ने इसका बहुत विरोध किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही नहीं है। केवल २१२ बीघा जमीन विक्रय हुई है चरागाह की भूमि में से। कोई खास विरोध

Page No. 16

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं किया गया । ज्यों ही समझाया गया समझ गये । हां, माननीय सदस्य को जरूर विरोध है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : खास विरोध किसे मानते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गांव वाले चाहते हैं कि चरागाह के लिए जमीन रखी जाय, जब कि सरकार इसको नहीं चाहती और इसीलिए गांव वाले जमीन नहीं खरीदते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खरीदने का प्रोसेस चल रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने बताया कि खास विरोध नहीं हो रहा है । खास विरोध किसे मानते हैं, माननीय मंत्री महोदय ?

प्रश्न संख्या १५०

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वरदिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर की कच्ची बस्तियों का सुधार

१५१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में कौन कौन सी कच्ची बस्तियां हैं जिनका सुधार किया जाना आवश्यक है ?

(२) इन बस्तियों की कुल जन संख्या कितनी कितनी है ?

(३) इन बस्तियों के विकास के लिये सरकार कब तक और क्या क्या कार्यवाही करने वाली है ?

(४) इन बस्तियों के सुधार के लिये क्या पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कोई धनराशि निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो किस किस योजना में कितना कितना धन और उसमें कितना कितना धन किस किस वर्ष में किस किस बस्ती में खर्च किया गया ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन । जयपुर की कच्ची बस्तियों का सुधार ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जयपुर नगर में ३४ कच्ची बस्तियां हैं । जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) अनुमानित जनसंख्या २५,६०० है ।

(३) इन बस्तियों के लिए नगरपालिका, जयपुर की ओर से निम्नांकित कच्ची बस्तियों के ले-आउट प्लान बनाये जा चुके हैं, उनमें सम्बन्धित व्यक्तियों को प्लॉट वितरित किये जा रहे हैं ।

नदी एरिया चौ० पु० बस्ती-इनमें से कुछ प्लॉट हरिजनों को दिये जा चुके हैं ।

कालानन्दजी का रास्ता (चौ० पु० बस्ती)-यहां के कुटुम्बियों को राजामल के तालाब में बनाये गये प्लॉटों में बदल दिया जावेगा ।

(श्री दौलतराम सारण)

गुलाब बाड़ी (चौ० पु० बस्ती) यहां के निवासियों को सब प्लॉट्स दे दिये गये हैं।

ठिकाना बनजारा के पास (चौ० तोप० देश) यहां के निवासियों को सब प्लॉट्स दे दिये हैं।

नॉर्मल स्कूल के पास चौ० तोप० देश- यहां के निवासियों को सब प्लॉट दे दिये गये हैं।

हीदा की मोरी, चौ० हवाली शहर गर्बी- बहुत से प्लॉट हरिजनों को दे दिये गये हैं।

बड़ोदिया, आनन्दपुरी, हथरोई बस्ती, अमृतपुरी प्लान कर दी है तथा वहां के रहने वालों को भूखंड बता दिये हैं।

हसनपुरा व नारी का नाका इत्यादि कच्ची बस्तियों की भी नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(४) इन बस्तियों के लिए पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार की यह नीति है कि इन बस्तियों की विकास योजना के अन्तर्गत उन बस्तियों के प्लॉट्स उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जो उनमें आबाद हैं?

श्री दौलतराम सारण : जो गन्दी बस्तियां हैं वहां कच्चे घरों को हटा कर पक्के बनाये जाते हैं और उन्हीं लोगों को प्लॉट्स देने में प्राथमिकता दी जाती है जो कदीमी वासिन्दा हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन बस्तियों के ऐसे लोगों को प्लॉट्स दिये जाते हैं उन बस्तियों में बसने वाले लोगों की कोस्ट पर जो उन प्लॉट्स से और बस्तियों से तीन तीन मील दूर रहते हैं?

श्री दौलतराम सारण : डेफिनेट बात के बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता। जो प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल स्पष्ट है और उसी प्रकार का उत्तर भी निवेदन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : विकास की बात में सब बातें आ जाती हैं। तो क्या सरकार ऐसे गलत अलॉटमेन्ट्स को रोकने की कोशिश करेगी?

श्री दौलतराम सारण : नियमों के विरुद्ध होंगे तो रोके जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार और एल० ए० ओ० के अवार्ड के अनुसार ऐसे लोगों को ही उन प्लॉट्स का अलॉटमेंट किया जाय जो कि वहां के वासिन्दे हों और दूर रहनेवालों को प्लॉट्स न दिये जांय? तो क्या सरकार जिनको इस प्रकार से प्लॉट्स दिये गये हैं उनको रोकने की कोशिश करेगी?

श्री दौलतराम सारण : किसी पर्टीकुलर प्लॉट के बारे में कोई शिकायत है तो वह बता दें। यदि आप इस प्रकार का जनरल क्वेश्चन करें तो यह मेरे लिये बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के अनुसार प्राथमिकता उन्हीं को दी जानी चाहिये जो कि वहां के वासिन्दे हैं। लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार और एल. ए. ओ. के अवार्ड के अनुसार भी प्राथमिकता की बात रखी जाती है। यदि उन नियमों के विरुद्ध उनके घरों पर प्लॉट दे दिये जायं और इस प्रकार से उनका अलॉटमेन्ट दूसरों को हो गया हो तो क्या सरकार उनको रोकने की कार्यवाही करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो हमेशा कार्यवाही की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे अलॉटमेन्ट नियमों के विरुद्ध हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक क्वश्चन लायें तो जानकारी करके इत्तिला दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक क्वश्चन लाऊंगा तो कहेंगे कि जानकारी नहीं है। मैं यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि उन लोगों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है जब कि उनको उन प्लॉट्स के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिये थी, नियमों के अनुसार भी ।

श्री बरकतुल्लाखां : कितने अलॉटमेन्ट हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है । उनका प्रश्न स्पष्ट है कि क्या सरकार की यह मंशा है कि प्लॉट देते समय उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाय ? संक्षेप में यह उनका प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : पक्की बस्ती बनाने की योजना है । प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाती है जो वहां के रहनेवाले हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं । पहले ही बतला देते ।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के अनुसार अलॉटमेन्ट नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार नहीं हो रहे हैं तो कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अरबन इम्प्रूवमेन्ट भी वहां कोई कार्यवाही कर रहा है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : निवेदन यह है कि शब्द ये हैं कि प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है जो वहां के रहने वाले हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दरख्वास्तें किन्हीं लोगों की थी, अलॉटमेन्ट किसी दूसरे को दे दिया, वह प्राथमिकता कैसे हट जाती है और दूसरे कैसे आ जाते हैं ? कितने प्लॉट अलॉट किये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार को बहुत सी बातें मालूम हो सकती हैं लेकिन इस समय प्रश्न से सम्बन्धित बात न हो तो उसको बताना सरकार के लिए अभी बड़ा मुश्किल है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप मुलाहिजा फर्माइये । इससे सम्बन्धित है । क्या जानकारी करने की चेष्टा की गई कि किस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

स्कीम के अनुसार नदी में और उन बस्तियों में अलॉटमेन्ट किये गये हैं ? तो इससे ऑटोमेटिकली प्रश्न पैदा होता है कि किन किन को किये गये ? उसके लिए आप कह देते हैं कि यह सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सेपरेट क्वश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस को अलॉटमेन्ट किया गया तो उससे सारी लिस्ट आ जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या वहां पर यू. आई. बी. भी कोई कार्यवाही कर रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : शहर के बाहर ट्रस्ट कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिस्ट में नहीं दिया है। वह तो मुझे मालूम है।

श्री दौलतराम सारण : बड़ोदिया, आनन्दपुरी, हथरोई बस्ती, अमृतपुरी आदि ये सब ट्रस्ट की स्कीमें हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनका कब्जा करवा दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो हाफ एन आवर डिस्कशन रख लिया जाय। सारी इन्फॉर्मेशन आजायगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। बस्ती वालों को तो प्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं और दूसरे लोगों को प्लॉट्स मिल रहे हैं। जानकारी देने से पहले प्लॉट्स की पोजीशन को रख दूं। दो-तीन दिन में सारी डिटेल्स में मैं सूचना दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : सूचना मिलेगी तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : प्राथमिकता को छोड़ कर जिन लोगों को प्लॉट्स का पज़ेशन मिल गया है उनका कब्जा न कराया जाय, यह आश्वासन सरकार दे दे।

श्री दौलतराम सारण : बिना सूचना के तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह बताया कि पंचवर्षीय योजना में कोई इनके लिए धन राशि नहीं रखी गई है। मैं माननीय मन्त्रीजी को जानकारी कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इसी सदन के अन्दर कहा था कि ५० हजार रुपया स्लम्प्स क्लियरेन्स के लिए रखा था और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

श्री दौलतराम सारण : स्लम्प्स क्लियरेन्स की स्कीम अलग है और कच्ची बस्तियों के लिए अलग स्कीम है। स्लम्प्स क्लियरेन्स के लिए कुछ दिन पहले मैं हाउस में निवेदन कर चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ बस्तियां इनमें शुमार की गई थीं जो यू. आई. बी. और म्युनिसिपेलिटी द्वारा जितना कॉन्ट्रिब्यूशन देना चाहिये था वह नहीं दिया जा सकता, इसलिए वह रुपया युटिलाइज़ नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी स्कीम थी उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया था। मैंने भी निवेदन किया कि स्कीम

Page No. 20

(श्री दौलतराम सारण)

है, प्रोविज़न है। स्लम्प्स क्लियरेन्स के लिये पूछते तो मैं निवेदन कर देता। आपने कुछ बस्तियों के लिए पूछा था।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाहखां) : माननीय अध्यक्ष, कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों में फर्क है। स्लम्प्स क्लियरेन्स गन्दी बस्तियों के लिये होता है, न कि कच्ची बस्तियों के लिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने नहीं जोड़ा है, यह आपके उप-मन्त्रीजी ने जोड़ा है। वे बार बार 'गन्दी बस्तियां, गन्दी बस्तियां' कहते थे, इसलिये मैंने कहा।

प्रश्न संख्या १५२

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

लूनी नदी से सिंचाई, सांचोर

१५३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सांचोर में लूनी नदी से सिंचाई करने की सरकार की कोई योजना है ?

(२) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) उक्त स्कीम के कब तक लागू किये जाने की संभावना है।

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है।

(२) इस योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(३) सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना फिज़िबल प्रतीत नहीं होती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फीजिबल प्रतीत क्यों नहीं होती ? विलेज लोकल लीडर्स ने वहां किस तरह से किया है ? क्या सरकार ने वहां के लोकल लोगों से जानकारी की है और फिर सर्वेक्षण किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने आप से निवेदन किया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना फीजिबल प्रतीत नहीं होती है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। उप-मन्त्रीजी को बोलने की ट्रेनिंग दिलायी जाय; रोज रोज हमें यही कहना पड़ता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने जवाब अर्ज कर दिया है।

श्री मानसिंह महार : फिर सुनाई नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लाउड स्पीकर शरीर के अनुपात से छोटा है।

श्री मानसिंह महार : जरा मुंह दूर रख कर फरमाइये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया, रिपोर्ट के अनुसार यह योजना फिज़िबल प्रतीत नहीं होती है।

Page No. 21

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष, यह जो रिपोर्ट दी गई है, मैं बताना चाहता हूं, रॉग आधार पर दी गई है। इसमें फैक्ट्स ज्यादा कलेक्ट नहीं किये हैं। इस एरिया में लाखों मन अनाज होता था। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस स्कीम को इस तरह से ऊपरी तौर पर एग्ज़ामिन नहीं किया जाकर इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। इसमें थोड़े खर्चे में बहुत ज्यादा उपज हो सकती है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो उप-मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है वह बिल्कुल पर्याप्त है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जांच नहीं की, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि १९५७ के लगभग इस बारे में जांच की गई थी। रेतीला प्रदेश होने के कारण लूणी नदी पर एग्ज़ामिन किया गया। वहां पर इसके पानी से खेती होती है। जो वहां पर पानी फ्लो होता है उसके बारे में जांच की गई। तीन बातों में जाकर वहां फ्लो कम हो जाता है। पिक-अप वेयर बनाया, लेकिन फाउन्डेशन नहीं मिलती और इसके साथ साथ पिक-अप एरिया भी बना दिया जाता है तो कमान्ड एरिया नहीं मिलता। इसलिये प्रोपोजीशन इकॉनोमिक नहीं है। फिर भी जितने एक्सपर्ट लोग हैं उनके सामने फिर से सारा प्रश्न खोला जायगा और देखा जायगा कि अगर फिज़ीबल होता है तो काम आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां इतना ज्यादा पक्का बांध बनाने की आवश्यकता नहीं। कई वर्षों से पानी बह कर नीचे की तरफ चला जाता है और महीने महीने भर तक पानी भरा रहता है। भवातड़ा के पास दो पुराने बन्ध थे वे सिंचाई के लिये काफी पानी देते थे। दस-पन्द्रह साल तक वे रहे, लेकिन १९६८ में अधिक वर्षा होने के कारण वे टूट गये। मामूली खर्चा होता है और लाखों मन अनाज पैदा होता है। उन बन्धों के टूटने के बाद वहां के लोकल जागीरदारों ने उन्हें नहीं बनाया। सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं। अगर कुछ रोक लगा दी जाय तो मामूली पैसों में नदी की गहराई है सिल्ट आती है उससे वे गहरे गढ्ढे हैं वे भर जायेंगे, वापिस पानी फैल जायगा। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस बारे में जानकारी हासिल करे व पुन: जांच करावे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री उदयलाल वरदिया।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : प्रश्न संख्या १५० का उत्तर दिलवा दिया जाय।

घाटी योजना का सर्वेक्षण

१५०. श्री उदयलाल [(लसाड़िया)–

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि धरियावद में जाखम नदी घाटी योजना का विभागीय सर्वे का द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काम प्रारम्भ करके समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था तथा इस सम्बन्ध में धन-राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी ? यदि हां, तो यह कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया तथा यह अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : जी हां। सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ करके समाप्त भी कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.० मध्यान्ह

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, विभाजन संख्या १५५ ने १६ मार्च से १८ अप्रेल, १९६२ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सभापति तालिका के लिये श्री केसरीसिंह का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : कार्य संचालन की नियमावली के नियम ६ (१) के अन्तर्गत श्री केसरीसिंह, (पाली) विभाजन संख्या ८६ को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया है।

मांग संख्या १५
मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा
(अग्रेतर वाद-विवाद एवं मांग पर स्वीकृति)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश कल यह थे कि आज रिप्लाई होगा और कटमोशन्स आज नहीं लिये जायेंगे।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, कल सब कटौती के प्रस्ताव पेश हो चुके थे। मेरे दस-बारह कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत होने से रह गये थे। उस समय मुझसे यह कहा गया था कि मैं एक मिनट में ही समाप्त कर दूं। मैंने निवेदन किया कि एक मिनट में तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इसलिये इसको कल तक के लिए डेफर कर दिया जाय। आपकी आज्ञा हो तो मैं जल्दी में अपने विचार व्यक्त कर दूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें डेफर करने का प्रश्न नहीं। कल ही ये समाप्त हो जाने चाहिये थे। कल आधा घंटा हाउस भी ज्यादा चला।

श्री मानसिंह महार : मेरा नम्बर नहीं आ सका। सदन की तो यह इच्छा है कि

(श्री मानसिंह महार)

मैं अपने विचार रखूं, मुख्य मन्त्रीजी को कुछ ऐतराज हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापतिजी ने भी कल यह निर्णय दिया था कि आप आज बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा निर्णय मेरे पास नहीं है। आप ऐसी बात चेयर के बारे में न करें जिसके बारे में आप श्योर न हों।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव महत्वपूर्ण और अपने ढंग के निराले ही हैं उनको प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ बातों से सरकार को अवगत कराऊंगा।....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनको चान्स दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया पांच मिनट में समाप्त कर दें। कल यह व्यवस्था दी गई थी कि पांच या दस मिनट में समाप्त कर दें, कल भी आपको इतना ही समय मिलता। इसलिये समय की पाबन्दी का आप ध्यान रखें।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही समय लूंगा। कल मैंने जो कटौती के १२ प्रस्ताव प्रस्तुत किये उनमें मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव अध्यापकों की तनख्वाह के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों को जो वेतन दिया जाता है वह बहुत अपर्याप्त है। आज कल जो अध्यापक आते हैं शिक्षा विभाग में केवल वे आते हैं जिनको दूसरे विभागों में नौकरी नहीं मिलती। ऐसे आदमी जो इतने अयोग्य होते हैं कि कहीं नौकरी नहीं मिलती उनको सीधा शिक्षा विभाग में मौका मिल जाता है। तो आप सोचिये कि ऐसे मास्टरों से लड़कों के चरित्र का और शिक्षा का क्या स्तर होगा और इस की वजह क्या है। एक अध्यापक की तनख्वाह आज के युग में समाजवादी समाज स्थापना की व्यवस्था करने वाली सरकार के शासन में एक चपरासी के बराबर होती है। यहां तो डिग्रियां मांगी जाती हैं कि कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिये, और दूसरी तरफ तनख्वाह देते हैं चपरासियों की। तो सबसे पहला निवेदन मेरा है अध्यापकों की तनख्वाह कम से कम आप १००) रु० स्टार्ट में करिये। इसमें तो आप देर ही मत करिये। एक मैट्रिक पास को १००) रु० स्टार्ट इमीजिएटली दीजिये। यह निहायत जरूरी है।

जहां पर आवश्यकता नहीं हों वहां शिफारिशों के बूते पर स्कूलें न खोली जावें, यह मेरा दूसरा प्रस्ताव है। क्या कहूं बैराठ तहसील में सात, आठ हायर सेकिन्डीरी स्कूलें हैं, जैसा कल भीलवाड़ा की एक जगह के लिये कहा गया वहां भी है, पर दूसरी तरफ मेरी आमेर की पूरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में एक भी हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हाई स्कूलें कितनी हैं?

श्री मानसिंह महार : हाई स्कूल एक है, जो कि जयपुर रियासत के समय से है।

(श्री मानसिंह महार)

उन राजाओं के जमाने से जिनको आप कोसते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो रियायत उन्होंने की, वह आपको प्रगतिशील सरकार ने नहीं की। इसलिये इस प्रगतीशील कहानेवाली सरकार से मैं प्रगति के नाम पर निवेदन करना चाहूंगा कि वह आमेर में कम से कम चार हायर सेकिन्डरी स्कूलें खोल दे; क्योंकि पचास, साठ मील में एक भी वहां नहीं है। सरकार की एक जिद् है। किस तरह प्रार्थना करूं। हाथ जोड़ता हूँ, कहता हूँ, पर दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्र पार्टी से जीत कर मैं आ गया। इसलिये हमारे इलाके में स्कूल नहीं खोली जाती। यह बड़ा अन्याय है। आपको चुनाव हो जाने के बाद इस तरह की पार्टीबाजी को भूल जाना चाहिये। जैसे आप की खुद की पार्टी में डिप्टी लीडर की वोटिंग हो जाने के बाद आप सब एक हो जाते हैं तो इस सदन में आप भी हमें अब इतना ही प्रेमी समझिये जितना डिप्टी लीडर के लिये लड़नेवाले को आप समझते हैं। तो यह मेरा दूसरा प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : यह प्रस्ताव है या सिफारिश ?

श्री मानसिंह महार : सिफारिश ही मानते हों तो फिर क्या कहना, ये तो प्रार्थना भी सुनने को तैयार नहीं।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा मन्त्रीजी नये आये हैं तो वे दिखावेंगे कि हमको भी एडजस्ट करना चाहते हैं वे। इसलिये आमेर निर्वाचन क्षेत्र में चार हायर सेकिन्डरी स्कूल्स इसी नये सत्र से खोल कर वे हमारी परिवरिश करेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): स्वतन्त्र पार्टी से चुन कर तो आप अभी पधारें ही हैं।

श्री मानसिंह महार : पर यह क्षेत्र शुरू से ही महाराजा मानसिंह और महारानी गायत्री देवी का गिना जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बैराठ भी उन्हीं का है।

श्री मानसिंह महार : पर वे पधारनेवाले आपके साहब जो कोटपुतली से आये हैं वे आपको हाथ जोड़ा करते हैं, इसलिये कुछ दिनों के लिये आपका हो गया था।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग कट मोशन है वह इस प्रकार है: 'to discuss the failure of Government to stop teachers from openly canvassing for Congress candidates in the General Elections'. यह एक बड़ी गलत परम्परा है कि शिक्षकों को इस प्रकार से बाध्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के क्षेत्र में सम्बन्धित ये चारों कट मोशन एक साथ ले रहा हूं। डाइरेक्टर महोदय की इनएफीशियेन्सी के बारे में और एक है misconduct of Dy. Director of Education, Jaipur और उनके क्षेत्र अव्यवस्था के बारे में। मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर ने इन आम चुनावों में अध्यापकों को अपने घर बुला बुला कर कहा कि तुम छुट्टियां लो मेडिकल ग्राउन्ड पर और अपने क्षेत्र में विरोधी केन्डीडेट के विरोध में प्रचार करो माननीय मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी अगर इस बात का सुबूत चाहें तो मैं सुबूत

(श्री मानसिंह महार)

भी देने को तैयार हूँ। इस प्रकार की कार्यवाही की गई। उनकी छुट्टियों के बारे में दफ्तर में जाकर पूछते हैं तो सूचना मिलती है कि फलां से फलां तारीख तक छुट्टी पर थे। सूचना नहीं दी जाती। इस प्रकार हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का यह दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में अध्यापकों के साथ इस तरह का जबर्दस्त अन्याय होता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, हम भी अगर हमारे क्षेत्र के डिप्टी डाइरेक्टर साहब से शिक्षा के बारे में बातें करना चाहते हैं तो उनको यह तहजीब नहीं कि एक एम. एल. ए. से या चरित्रवान् आदमी से किस तरह बात की जाय। उनको भी वे अपना एक बच्चा समझते हैं। आधे घंटे तक लेक्चर देते हैं बच्चा समझ कर। उनको तो, अध्यक्ष महोदय, कहीं अध्यापक बना कर भेज दिया जावे। छोरों को पढ़ावें। हमें वे क्या लेक्चर देते हैं। हम उनको सात जन्म तक लेक्चर देकर पढ़ा सकते हैं। तो हमें उनके यहां इस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। एक एक लेक्चर एक एक घंटे का। हम कहते हैं, बाबा, हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर आपको यकीन न हो, अध्यक्ष महोदय, तो मैं हजारों आदमियों से कहलवा दूं जो उस दफ्तर में किसी भी काम से जाते हैं उन सब को डिप्टी डाइरेक्टर साहब के लेक्चर का सामना करना पड़ेगा। इन साहब को जयपुर में काफी अरसा हो गया। पहले इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में और बाद में डिप्टी डाइरेक्टरशिप में चार–पांच वर्ष हो गये। अब तो हमारा पिंड छुडाइये इनसे। हमारे नये शिक्षा मन्त्रीजी आ गये हैं। आशा है वे हमारी बात को सुनेंगे और हमारे दर्द को दूर करेंगे। उनमें और हमारे मुख्य मन्त्रीजी में विशेष प्रेम रहा है, यह मैं जानता हूँ। वे उनके शिक्षा मन्त्री काल में चले गये। पर अब तो मैं आप दोनों से नत मस्तक होकर प्रार्थना करता हूं कि इन डिप्टी डाइरेक्टर साहब को और कहीं लगा दीजिये। उदयपुर भेज दीजिये। वहां बहुत ठीक रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आमेर में स्कूल खोल दें तो ?

श्री मानसिंह महार : वे कुछ भी कर दें। मैं तो अब उनसे कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूं। उनकी इतनी खराब आदतें हैं कि जिनका मैं अपने मुंह से जिक्र नहीं कर सकता। इसके सुबूत में मैं अपने मुंह को गन्दा न करके इस सदन की मेज पर एक, दो अखबार रखना चाहता हूँ। यह सही तथ्य नहीं होगा; पर यह बात है कि जब लड़कियों की शिक्षा के बारे में कोई ऐसी बात आती है अखबारों में तो जयपुर की जनता को सोच-विचार कर काम करना पड़ता है। जयपुर की जनता समझती है कि हमें अपनी बच्चियों को स्कूलों में ऐसी हालत में भेजना भी चाहिये या नहीं। मैं उन सब को पढ़ कर यहां नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं ऐसी बातें सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता नहीं- गन्दी बातें। पर मेज पर सदन की सूचना के लिये जरूर रखूंगा क्योंकि अपनी लड़कियों के बारे में....

श्री भैरोंसिंह : ऐसी गन्दी चीजों को सदन की मेज पर रख कर सदन की मेज को गन्दी क्यों किया जावे फिर ?

श्री मानसिंह महार : डिप्टी डाइरेक्टर के बारे में बातें आती हैं और वे अगर ठीक नहीं हैं तो उनका खण्डन जरूर करना चाहिये उनको। अगर कोई गैर जिम्मेदार शख्स भी ऐसा करता है तो यह परम्पर कायम करिये कि वे खण्डन जरूर करें, नहीं तो शिक्षा और खास कर लड़कियों की शिक्षा के बारे में इससे जनता क्या सोचेगी ? अगर किसी लड़की को थोड़ा सा भी कलंक लग जावेगा तो उसकी शादी में कितनी दिक्कत आवेगी, यह सोचना चाहिये। इसलिये प्रार्थना करता हूं कि इन डिप्टी डाइरेक्टर महोदय के नीचे ऐसा करिये कि लड़कियों की शिक्षा रखिये ही नहीं। किसी महिला को इसके लिये बना दीजिये।

अगर यह भी न करें तो और व्यवस्थाओं का जिक्र करूं और उनका जिक्र करूं उससे पहले और कहूंगा कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये। मैं इसके लिये डाइरेक्टर महोदय की अव्यवस्थाओं का जिक्र करता, पर समयाभाव के कारण उस कट मोशन को जाने दीजिये। पर एक बात जरूर कहूंगा कि बीकानेर में डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर खोला गया। वह असेम्बली बिल्डिंग में रखा गया। पर अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में लाखों रुपया खर्च कर दिया गया मकानात बनाने में, जोधपुर में भी और जयपुर में भी काफी खर्चा हो रहा है; पर बीकानेर ने क्या गुनाह किया है कि एक पैसा आप वहां खर्च नहीं करना चाहते। इस डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में केन्टीन के लिये भी एडीशन नहीं करना चाहते। बीकानेर गरीब की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। वहां के लोगों के लिये जरूर मैं कहूंगा कि वहां जरूर कुछ करिये। एक केन्टीन वगैरह खोलकर उनका स्तर ऊंचा करिये। महाराजा बीकानेर ने इतनी ऊंची और मजबूत बिल्डिंग आपको बनवा दी जिसमें पहले स्टेट की असेम्बली का दफ्तर था तो वहां के लोगों को आराम पहुंचाने के लिये, उनको दोपहर को चाय आदि आराम से पीने के लिये बैठने के स्थान के लिये इतना ही एडीशन आप और करा दीजिये।

इसके बाद एक और है, जो कटौती का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है : 'to discuss the transfer of staff of certain Government Colleges of Jaipur to the control of the University of Rajasthan'. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तथ्य मैं और प्रकार से भी सदन में ला रहा हूं। आज तो केवल पासिंग रेफरेन्स यहां देना चाहता हूं कि राजस्थान युनिवर्सिटी को टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाया जावे और महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और राजस्थान कॉलेज इन सब को युनिवर्सिटी के नीचे ट्रान्सफर किया जावे, यह जो आपका सोचना है इससे क्या नुकसान होंगे। यह मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि जो टीचर महाराजा कॉलेज वगैरह में काम कर रहे हैं वे अपनी आज की सरकारी सर्विस को छोड़ कर युनिवर्सिटी की सर्विस में जाना नहीं चाहेंगे। तो अगर आपने प्रेस किया तो जितना योग्य स्टाफ है वह कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेजों में चला जावेगा। दूसरा, उनको छोड़ने का मुख्य कारण यह है कि उनकी पेंशन ग्रेचुटी वगैरह में काफी नुकसान होगा। इसलिये यह ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये, राजस्थान कॉलेज आपका खास कॉलेज है। आप ही का खोला हुआ नमूना है, इसे जरूर

(श्री मानसिंह महार)

दे दीजिये, हमें ऐतराज नहीं क्योंकि आपने उसे खोला है स्तर ऊंचा करने के लिये । वह स्तर क्या ऊंचा होता है यह अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी कभी मेरे साथ उधर घूमने के लिये चलें तो वहां के नजारे भी मैं दिखा दूंगा, वादा करता हूँ माननीय मुख्य मन्त्रीजी से इसका ।

तो उसको दे दीजिए, लेकिन यह महाराजा कॉलेज जो हिन्दुस्तान के बहुत पुराने कॉलेजेज़ में है, महारानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर जो कि ऐसा महत्वपूर्ण शिक्षा का अंग है इनसे चुनावों की दुश्मनी मत बरतिये, इनको यथावत् रहने दीजिए । अगर इनको युनिवर्सिटी में ट्रान्सफर कर दिया जायेगा तो उसमें को-एजूकेशन हो जायेगी और यहां की लड़कियों को इतनी दिक्कतें हो जायेंगी कि कोई भी दूर से युनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं जायेंगी । गरीब आदमियों को नुकसान यह होगा कि जो युनिवर्सिटी में फीस ली जाती है वह डबल हो जायेगी । इसलिए यह जो ट्रान्सफर की बात है इसको अगर नहीं करें तो अच्छा रहेगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

संस्कृत पाठशालाओं के बारे में तो मैं दो शब्द भी नहीं कहूँगा और यह बात बिल्डिंग–वाली और कह दूं, अगर आप फरमायें तो । उसके बाद में बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल्स का भी जिक्र करूंगा । यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पोपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और जब भी स्कूल खोलने का सवाल आता है तो यही फैसला होता है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ४–४ या ६–६ स्कूल्स खोल रहे हैं । तो हमारी तो वहीं मौत हो जाती है । जयपुर डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां से १७ एम० एल० ए० रिटर्न होकर आते हैं और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से २–३–४ एम० एल० ए० ही आते हैं । तो एक डिस्ट्रिक्ट से १७ चुन कर आते हैं उसके लिए ४ स्कूल्स और उधर एक डिस्ट्रिक्ट से ३–४ मैम्बर्स चुन कर आते हैं उनके यहां भी ४ स्कूल्स ! तो इस प्रकार से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ अन्याय किया जा रहा है । यह डिस्ट्रिक्ट बड़ा होने के नाते इसके साथ सौतेला व्यवहार होता है । कहा जाता है कि दूसरा नम्बर पोपुलेशन के हिसाब से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का आता है, उसके साथ भी यही हाल है । पर अध्यक्ष महोदय, वहां तो येन केन प्रकारेण खोल ही देते हैं । हमारे तो कोई मंत्री भी नहीं रहे जो हमको सहायता देंगे । हम तो इस राजस्थान की केबिनेट में अनरीप्रेजेन्टेड हैं; क्या रामकिशोरजी और क्या दामोदरलालजी कोई भी नहीं रहे । इसलिए हम फिर भी यह कहते हैं कि हमारो बातों की ओर ध्यान देना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह : यह दोष किसका है कि मंत्री नहीं बने ?

श्री मानसिंह महार : यह दोष हमारा है । हम यह समझते थे कि कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं होगी कि एक फटकारे में ही उड़ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार की चर्चा माननीय सदस्य न करें ।

श्री मानसिंह महार : वे प्रेरित करते हैं,

(श्री मानसिंह महार)

उनको मना कीजिए। मुझे जोश आ जाता है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस अगले आम चुनावों में आये और दुगुनी आये। खूब उन्नति कीजिए, खूब स्कूलें खोलिये, जनता आपके साथ आ जायेगी। अगर सौतेला व्यवहार किया तो पहले तो क्या चुनौती मिली है आगे इससे भी ज्यादा मिलेगी। या तो आप इसको री-ऑर्गेनाइज़ कीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट को छोटा कीजिये, इसमें आपको भी फायदा हो जायेगा और हमें भी फायदा होगा। क्योंकि १७ एम० एल० एज़० एक डिस्ट्रिक्ट से हैं और वहां कह देते हैं कि ४ हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलते हैं, तो या तो इसके लिए आबादी का अनुपात लगाइये या और कुछ कीजिए, वह तो एक वाजिब चीज़ है।

फिर अध्यक्ष महोदय, चुनावों के टाइम में कुछ गांवों में आश्वासन दे दिया गया। लोग आये कि हम मकान बना लें तो उनको कहा गया कि हां, कांग्रेस को वोट देंगे तो बना लो। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मिसालें दे सकता हूँ कि आपके पास फलां गांव के आदमी आये, आपने डी० सी० सी० की मीटिंग में कहा कि डेवलपमेन्ट कराना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दो, कलवाड़ा ठाकुर को वोट मेरा वोट समझिये। फिर भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया। कोई बात नहीं है। डिप्टी डाइरेक्टर उदयपुर का, डाइरेक्टर उदयपुर का, एजुकेशन सेक्रेटरी उदयपुर का, सारा उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर वाले इस जयपुर के जानी दुश्मन हैं। इसका सर्वनाश करना चाहते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अजमेर के हमारे शिक्षा मन्त्री आये हैं, वे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मैं अब भी जानता हूं क्योंकि उनको पॉवर्स नहीं हैं। तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा जयपुर से प्रेम कीजिए। आप हमारे भी मुख्य मन्त्री हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपने अपने शिक्षा मंत्रित्वकाल में भी जयपुर की उपेक्षा की है इसलिए इस इलाके की ओर विशेष ध्यान दिया जाये और अधिक स्कूलें खोली जायें। यही कह कर मैं टाइम का पालन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस डिमांड पर अन्तिम रूप से उत्तर तो शिक्षा मंत्री देंगे, लेकिन कुछ बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ ही देर पूर्व मेरे पूर्व वक्ता, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ बातों पर प्रकाश डाल रहे थे। उसमें मैं यह आशा करके चलता था कि वे व्यक्तिगत आक्षेपों पर, अखबारों में दिए हुए समाचारों पर आधारित बातों पर इस सदन में इस प्रकार की बातें नहीं उठायेंगे। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में यह कहा कि हम लोग जयपुर के दुश्मन हैं या और हैं, इसके बारे में मैं सख्त ऐतराज करता हूँ। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें फैलाना या कहना न राजस्थान के हित में है, न तथ्यों से सम्बन्धित हैं। जहां तक कि पिछली केबिनेट का सवाल है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उस केबिनेट में भी जयपुर या उदयपुर के लिहाज़ से न सोच कर जयपुर का जरूरत से ज्यादा ही प्रतिनिधित्व था और इस बारे में इतना खयाल रखा गया है कि किसी विशेष इलाके का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, इस प्रश्न को सामने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रख कर नहीं चला गया। दूसरी बात जो उन्होंने अभी कही युनिवर्सिटी के बारे में कि युनिवर्सिटी के इन कॉलेजेज़ को युनिवर्सिटी के अण्डर में ट्रान्सफर नहीं किया जाये और माननीय अध्यक्ष, जो उसमें दलील दी वह दलील मैं जहां तक समझ पाया केवल एक थी और वह यह कि लोगों को वहां जाने में असुविधायें होंगी या दिक्कत होगी; इसकी वजह से कॉलेजेज़ ट्रान्सफर नहीं किये जायें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक इस सम्बन्ध में और भी कुछ चर्चायें सामने आई थी कि दूसरी युनिवर्सिटी क्यों हो। जिस समय युनिवर्सिटी बिल पेश हुआ इस सदन में उस समय भी यह चर्चा आई थी कि और युनिवर्सिटी की आवश्यकता क्या है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी युनिवर्सिटी के बारे में दुर्भाग्य से दलील देने में इस दलील को जोड़ा गया कि जोधपुर के जीते हुए कांग्रेस के एम० एल० एज० की वजह से युनिवर्सिटी स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया गया। यह गलत है। शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पिछले वर्ष ही नहीं; बल्कि १॥-२ साल पहले दिल्ली में गये और दिल्ली में जाने के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर निर्णय किया उस निर्णय के समय ही इस बात को कहा गया था कि तीसरी योजना में जोधपुर में एक और युनिवर्सिटी खोली जायेगी। इसलिए उसको कोई राजनैतिक कारणों के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि अनुचित है। केवल भावनाओं को इधर से उधर करने वाली बातों को लाकर इन प्रश्नों के ऊपर हम विचार न करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां राजस्थान में कुछ तो जो पहले से राजस्थान का ऐतिहासिक कारण है उसकी वजह से हमारे यहां पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए अलग अलग कॉलेजेज़ के अन्दर कई जगह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ चलती रहीं, उसके बाद इन पिछले ५-६ सालों के अन्दर हमने इस नीति को अपनाया और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि अलवर में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ होनी चाहिए; लेकिन पिछले वर्षों में हमने किसी भी डिग्री कॉलेज को राजस्थान के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट के अन्दर अपग्रेड नहीं किया। उसकी खास वजह यही है कि हमने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए कुछ ही कॉलेजेज़ के अन्दर, बल्कि कुछ विशेष स्थानों के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त उसकी सुविधा प्रदान करेंगे, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी दूसरी चीजों के लिए जिससे विद्यार्थी उपयुक्त तौर से ज्ञान प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ को भी ज्यादा से ज्यादा जगह पर हम फैलायें। और उसी दृष्टि से हमने अलग अलग जगह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ नहीं खोलीं। और उसके पीछे किसी क्षेत्र का ध्यान नहीं देना या उस क्षेत्र की अवज्ञा करना नहीं है, जो मेरे खयाल से सभी माननीय सदस्य जानते हैं। इस पिछले वर्ष में किसी भी डिग्री कॉलेज को राजस्थान के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट के अन्दर नये तरीके से अपग्रेड नहीं किया गया है और उसी आधार पर राजस्थान में चला गया है। मुझे अलवर से आनेवाला जब कभी कोई मिलता है तो मैंने हमेशा कहा कि अलवर में सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है। किसी भी डिग्री कॉलेज को अपग्रेड करें तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अलवर का प्रथम स्थान होता है। लेकिन जहां दूसरे कॉलेजेज़ को अपग्रेड नहीं करते हैं तो उस जगह इस कॉलेज को भी अपग्रेड करने की बात नहीं आती।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि राजस्थान के अन्दर हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इस बारे में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आमदनी इतनी है कि वह इनकम टैक्स नहीं देता है और अगर उसका लड़का फर्स्ट डिविज़न के अन्दर पास होता है और वह आगे पढ़ना चाहता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसको लिबरल स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वह आगे पढ़ सके और आर्थिक कारणों की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुक पाये। इसलिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आगे पढ़ने का अवसर प्रदान करने का राजस्थान के अन्दर विशेष तौर से ध्यान रखा है। और जो युनिवर्सिटी इस वक्त जोधपुर में करना चाहते हैं उसका मूल कारण यही है कि रेजीडेन्शियल तरीके से युनिवर्सिटी में पढ़ने की सुविधा मिले तो वह विद्यार्थियों के लिये ज्यादा लाभप्रद होता है। हिन्दुस्तान में और कई जगह रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटीज़ हैं। और जिस वक्त जोधपुर रेजिडेन्शियल युनिवर्सिटी के बारे में फैसला किया गया उस मौके पर शिक्षा-शास्त्रियों ने और बहुत से व्यक्तियों ने और खास तौर से जयपुर के रहनेवाले थे उन्होंने इस बात को कहा कि इस प्रकार की यह व्यवस्था हम पसन्द करेंगे कि अगर आप जोधपुर में रेज़ीडेन्शियल युनिवर्सिटी खोलते हैं तो केवल एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी जयपुर में रहे, उसके बजाय जयपुर में हम चाहते हैं कि रेज़ीडेन्शियल युनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ यहां पर भी एवेलेबिल हों जहां तक युनिवर्सिटी के स्तर का सवाल है, एक और युनिवर्सिटी खोलने के बजाय और दूसरी जगह जोधपुर के अन्दर केवल एक स्टेन्डर्ड मेन्टेन करने की स्थिति हो, इन सारी बातों पर गौर करके हमने यह फैसला किया है कि जोधपुर में रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटी की फेसिलिटीज हों उसके साथ में जयपुर में भी उसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। एफिलियेशन का काम भी साथ साथ हो जयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर जयपुर के अन्दर तत्काल आज यह निर्णय करें कि यह कॉलेजेज़ गवर्नमेंट कॉलेजेज़ की तरह अलग चलते रहें और रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटी के लिए सारी व्यवस्था करेंगे तो, माननीय अध्यक्ष, आज जो सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज के रूप में, इन सारी बिल्डिंगों के नये रूप में कन्स्ट्रक्ट करें, उसके बजाय आज मूल प्रश्न तो यह है कि कॉलेज एज्यूकेशन के लिए हम क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इस लाइन को सामने रखते हुए इन कॉलेज़ेज को ट्रान्सफर करने का प्रश्न सामने आया है।

अब रहा लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स, जो उन कॉलेजेज़ में हैं उनको यह ऑप्शन दिया जाने वाला है कि जो लोग स्क्रीन करने के बाद में सलेक्ट हों, जो सलेक्शन होगा वह हम यह मान कर चलें कि वह सलेक्शन इन कॉलेजेज़ के लेक्चरर्स तक ही सीमित नहीं है। वह सलेक्शन ज्यादा ब्रोड बेसिस पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगा। जो सलेक्ट हो जाते हैं राजस्थान के अन्दर या बाहर से उन सलेक्टेड आदमियों को यह अवसर होगा जो राजस्थान सर्विस में होंगे कि वे चाहें तो वहां जायें और अगर नहीं जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट सर्विस की कन्डीशन्स ज्यादा एट्रेक्टिव मालूम होती हों तो गवर्नमेंट सर्विस के अन्दर रह सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसके सिवाय और दूसरी क्या स्थिति हो सकती है जो सुविधा-जनक हो। कोई ज्यादती की बात नहीं है। उनको ऑप्शन दिया जायगा। उस ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव यह हो सकता था कि उन गवर्नमेंट कॉलेजेज़ को रखते हुए रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटी के लिए सारा इन्तज़ाम करते। उन सारे एक्स-पेन्सेज़ को देखते हुए और जो सुविधाएं हमारे पास ऑलरेडी एक्जिस्ट करती हैं उनका लाभ नहीं उठा कर इन सारी चीज़ों को तैयार करना, मैं समझता हूँ, किसी भी दृष्टि से आवश्यक प्रतीत नहीं होता और इसी वजह से इन निर्णयों को लिया गया।

जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में इसलिए फैसला किया गया है कि हम अन्डर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स वाली पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं उसके लिये कम से कम राजस्थान में कुछ केन्द्र ऐसे डेवलप करें जहां पर रिसर्च के लिए और और फेसिलिटीज़ के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सके। इन फेसिलिटीज को हम सारे राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजेज़ बना कर उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, यह स्वाविक बात है। इसलिए कुछ जगह उनको कन्सेन्ट्रेट करके ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसके बाद अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज या एक दो जगह और हैं उन कॉलेजेज़ में सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन सुविधाओं को कम करने के बजाय हम चाहते हैं कि ठीक तौर से उनका लाभ प्राप्त होता रहे, ऐसी व्यवस्था हम करने वाले हैं। हम प्राइमरी एज्यूकेशन पर कम खर्च करना चाहते हैं और युनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं और युनिवर्सिटी एज्यूकेशन कोई आवश्यकता की चीज नहीं है और अनावश्यक चीज है, ऐसा मैं समझता हूं कोई भी नहीं मानता है। लेकिन युनिवर्सिटी एज्यूकेशन भी अत्यन्त आवश्यक है। इस लिहाज से कि जो युनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफि-केशन्स लेकर चलते हैं वे सेकिन्डरी एज्यूकेशन का बेस बनाते हैं। वे इसके अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करते हैं और सेकिन्डरी एज्यूकेशन सारी एज्यूकेशन के स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस महत्वपूर्ण हिस्से को ठीक करने के लिए युनिवर्सिटी एज्यूकेशन को आप ज्यादा से ज्यादा ठीक कर सकें, यह सारे आवश्यक अंग हैं। इन सारे अंगों को हमें ठीक करना है। युनिवर्सिटी के अंग पर भी इस बात का ध्यान देना होगा।

माननीय अध्यक्षजी, अभी तक राजस्थान के अन्दर जो हमारी स्थिति रही वह यह रही कि एफिलियेटिंग कॉलेजेज़ की तरह स्वयं हम सारे कॉलेजेज़ को चलाते रहे हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स के अन्दर युनिवर्सिटी टीचिंग करते थे। उसके बजाय हम यह चाहते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

युनिवर्सिटी चलाती है उसका अन्डर ग्रेजुएट क्लासेज़ का एडवान्टेज मिले और उसके अन्डर-ग्रेजुएट क्लासेज़ से लेकर उस सारे एजूकेशन के स्ट्रक्चर के अन्दर उसका लाभ प्राप्त हो सके। नहीं तो आज एफिलियेटेड तरीके से जैसे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ चलाते हैं इसी प्रकार चलाते रहने के अन्दर अन्डर ग्रेजुएट क्लासेज़ को गाइडेन्स उपलब्ध नहीं हो सकती है। अलग अलग तरह से चलाने के तरीके भी नहीं हो सकते। डुप्लिकेशन को अगर बढ़ाया जाय तो महाराजा कॉलेज में एक सब्जेक्ट को चलाते हैं और युनिवर्सिटी में एक ही शहर में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ और चलायें तो सिवाय डुप्लिकेशन के कुछ और होगा नहीं ! जो युनिवर्सिटी सब्जेक्ट खोलती थी उन सब्जेक्ट्स के अन्दर हम नहीं करते थे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टेडीज़ का ऑलरेडी एक तरीके से युनिवर्सिटी चलाती थी जिससे कि जैसा कि मैंने निवेदन किया सारे सिस्टम को एडवान्टेज पहुंचे वह एडवान्टेज पहुंचाने की कमी रह जाती है। उस लिहाज से इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए इस फैसले को किया है और मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य फैसला है कि जिससे राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जगह और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके।

साथ में, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर, जैसे यू० पी० के अन्दर ६ युनिवर्सिटीज़ हैं और उनके वहां पर अलग स्पेशिलाइज़्ड युनिवर्सिटी की तरह से रुड़की और वह और हैं....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अलीगढ़ और बनारस के बारे में भी देख लें कि वहां क्या हालत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके कारण अलग हो सकते हैं। लेकिन युनिवर्सिटी हम नहीं रखना चाहते हैं, यह फैसला नहीं कर रहे हैं।

इसी प्रकार आन्ध्र में ४ हैं, बिहार में ३ हैं, उड़ीसा में ३ हैं, बंगाल में ४ हैं और मध्यप्रदेश जैसी स्टेट के अन्दर भी ४ हैं। हरेक जगह करीब करीब सिवाय मैसूर और केरल के ज्यादातर में दो और दो से ज्यादा युनिवर्सिटीज़ हैं। तो राजस्थान जैसी स्टेट के अन्दर भी दो युनिवर्सिटीज़ की कल्पना की गई है, तो मैं समझता हूं कि यह जो कल्पना है वह बिल्कुल अनहोनी बात हो या नहीं होनी चाहिये ऐसी बात हो, इसका प्रश्न नहीं आता है। मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी कन्सीडरेशन हो कि जोधपुर में युनिवर्सिटी के नाम पर एक और युनिवर्सिटी का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, यह दलील दी जाती है। इसका आभास कभी कभी होने लगता है। साथ में मैं समझता हूं कि राजस्थान में युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हायर सेकिन्डरी एज्यूकेशन और युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के संबंध में भी आज भी और जिस वक्त एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के बारे में बहस चल रही थी उस समय यह जानकारी दी उससे मुझे दुख हुआ कि इस सदन में जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सर्वोच्च अपनी स्थिति रखता है यहां पर वाइस चान्सलर के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं और जिन शब्दों के अन्दर की गई हैं उनके प्रति। यह बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि वाइस चान्सलर राजस्थान युनिवर्सिटी के अन्दर जो एपोइन्ट किये गये हैं उनके एपोइंन्टमेंट के लिए यह सब को मालूम है कि राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के एपोइन्टमेंट के लिए एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी में सलेक्टेड तरीके से दो आदमी होते हैं और एक को चान्सलर नियुक्त करते हैं और वह कमेटी थी जिसने डॉ० मेहता का नाम प्रोपोज किया; उसमें श्री बी. टी. कृष्णमाचारी, डॉ० सिद्धांत और डॉ० ताराचंद थे। इस प्रकार के एमीनेन्ट आदमियों ने मिल कर एक व्यक्ति का नाम प्रपोज किया और उसको अपोइन्ट किया जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई कहने लायक और बात है। व्यक्तिगत बातों पर पहुंचा जाय, कोई महाशय कहते हैं कि कुत्ते रखते हैं उनके लिये दूध पर खर्च करते हैं, मैं समझता हूं सदन से मेल खानेवाली बात नहीं होती। हम पोलिटिकल रीजन्स से व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे तो सदन की प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं होगा। कहने में यह भी कहा कि स्टेन्डर्ड गिर गया। इसको फैक्ट के तरीके से यदि कहा जाय तो वाइस चान्सलर और युनिवर्सिटी लाभ उठा सकती है, इस सदन की चर्चा से। लेकिन यदि वेग बातें कहें तो लाभ के बजाय हानि पहुंचती है, युनिवर्सिटी पर उसका बेजा असर पड़ता है........

(श्री भैरोंसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : पहले मुख्य मंत्रीजी को समाप्त करने दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि पोलिटिकल पार्टी से सीधे आकर नियुक्त नहीं हुए हैं। वे यहां पर नियुक्त होने से पहले हॉलैंड में एम्बेसेडर थे, फिर पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे, फिर स्विटजरलैंड में एम्बेसेडर रहे। यदि राजनैतिक पर्पज, राजनैतिक ढंग से कहते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि इस ढंग से कहें तो यह अनुचित बात होगी। ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of information, Sir, आपने सीनेट के बारे में कहा है। हो सकता है, चार आदमियों के नाम लिये, आपकी जानकारी है; लेकिन देवीशंकरजी तिवारी ने भी फार्म भरा था, इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट हुआ था और सारा फैसला राजनैतिक दृष्टिकोण से किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस फैसले में सरकार कहीं पिक्चर में नहीं आती है। वहां पर फैसला किया जाता है और फिर चान्सलर अंतिम रूप में निर्णय करते हैं। सरकार का जहां तक प्रश्न है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। सलेक्शन कमेटी द्वारा नाम तय हुए और वे भी चान्सलर के पास जाते हैं और फाइनली वे ही डिसाइड करते हैं........

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें। मुख्य मंत्रीजी का उत्तर समाप्त होने के बाद कह सकते हैं।

Page No. 34

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरी बात ट्विस्ट करके कही गई है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले उत्तर सुन लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हायर सेकिन्डरी के बारे में कहा गया कि इसका स्तर गिरता जा रहा है । मैं हायर सेकिन्डरी की परीक्षा का परिणाम आपके सामने रखता हूं । सन् ६१ में ४०. ४८ परसेन्ट रिजल्ट रहा जब कि सन् ६० में ४४. ४५ था और ५६ में ४३. ६५ रहा । मैं नहीं समझता कि पर्सेन्टेज फॉल होता जा रहा है और परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से कहा जाय लेकिन हायर सेकिन्डरी सिस्टम नये तौर पर ....

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege sir आपने रिजल्ट्स के फिगर्स दिये हैं वे फिगर्स एस्टिमेट्स कमेटी को जो फिगर्स दिये गये हैं उनसे मेल नहीं खाते । उसमें जो फिगर्स दिये हैं वे सन् ५८ में ४५. २५, सन् ५६ में ३०. ८८, ६० में ४०. ०६ हैं और आपने जो फिगर्स दिये हैं वे दूसरे हैं । इनमें से किन को सही माना जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे जो फिगर्स दिये गये हैं उनको चैक-अप करके बताऊंगा ।

यदि उनमें परिवर्तन होगा या ठीक है या वे ठीक हैं इसकी जानकारी दे दूंगा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि हायर सेकिन्डरी एज्यूकेशन के संबंध में हमारे सामने वक्त-वक्त पर जो प्रश्न आते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है । जो हमारी युनिवर्सिटी के पहले वाइस चान्सलर थे श्री जी. सी. चटर्जी, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी मुकर्रर की गई थी, इस बात को देखने के लिये कि हायर सेकिन्डरी सिस्टम में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है या और किसी चीज की आवश्यकता है । उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हायर सेकिन्डरी बोर्ड के पास फर्दर एग्जामिन करने के लिये भेजा है । इसके अलावा अभी जो जोन सार्जेन्ट यहां आये हुए थे उनसे भी कहा था कि यहां के काम-काज को देख कर राय जाहिर करें । उन्होंने जो राय दी है उस पर सरकार विचार कर रही है, हायर सेकिन्डरी बोर्ड के भी विचाराधीन है । उसमें क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उस पर सतर्कता के साथ राज्य सरकार का ध्यान चल रहा है ।

बीच में मैं आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए बता दूं कि बीकानेर में जो डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का ऑफिस है उसमें नये कंस्ट्रक्शन के लिये ६०,००० रू० की सेंक्शन दी जा चुकी है । उसको हटाने या और बात की कल्पना करते हैं, ऐसी कोई कल्पना हमारे दिमाग में नहीं है । आप को कहने की आवश्यकता नहीं थी इसलिये कह दिया कि कुछ और बात थी........

श्री भैरोंसिंह : वहां पर केन्टीन है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वुडन केन्टीन मौजूद है, जिनको आवश्यकता है जा सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : केन्टीन पेड़ के नीचे है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा गया कि टीचर्स के वेतनों में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं सदन को नम्रतापूर्वक जानकारी देना उचित समझता हूं कि पिछले वर्ष में जो हमारे यहां प्राइमरी स्कूल्स और दूसरे टीचर्स की जो केटेगरीज थीं, सारी केटेगरीज के बारे में नहीं कह कर क्योंकि सारी इसमें आ जाती हैं, राजस्थान में जितना संभव हो सका, ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का प्रयत्न किया गया। इनको तीन केटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो अनट्रेन्ड मैट्रिक्युलेट्स की केटेगरी है उसमें भी इस वक्त सारे हिन्दुस्तान में डीयरनेस अलाउन्स और बेसिक पे मिलती है, सब को जोड़ते हुए इस वक्त राजस्थान में ८५) रु. मिलते हैं। इससे ज्यादा गुजरात में ६५) रु., पंजाब में १००) रु. और महाराष्ट्र में ६५) रु. मिलते हैं, बाकी दूसरी स्टेट्स में राजस्थान से कम तनख्वाह मिलती है....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आपने सन् १६४० के फिगर्स लिये हैं क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िय : अनट्रेन्ड मैट्रिक्युलेट्स के अलावा टीचर्स को गुजरात में ६५) रु. मिलते हैं, पंजाब में १००) रु. और महाराष्ट्र में ६५) रु. मिलते हैं और राजस्थान में उनको ८५) रु. मिलते हैं। जहां पर ट्रेन्ड मेट्रिक्युलेट टीचर्स हैं उनको राजस्थास में हाइयेस्ट वेतन १०१) रु, मिलते हैं, किसी दूसरे स्टेट में हिन्दुस्तान में नहीं है, जहां कि १०१) रु. मिनिमम दिये जाते हैं। इसलिये निवेदन करता हूं कि राजस्थान में हम खुद अपनी आर्थिक स्थिति जैसी है उसमें ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इसके लिये प्रयत्नशील हैं। इसके अनुसार प्रयत्न किया है, पहले के मुकाबले में काफी सुधार किया है।

यहां माननीय सदस्यों की तरफ से एक प्रश्न आया पंचायत समितियों के अन्डर में जो टीचर्स हैं उनके प्रमोशन के बारे में। यह दिक्कत आ रही है कि उनका प्रमोशन नहीं होता। १६५६ के अक्टूबर में जो उनकी सीनियोरिटी कम्बाइन्ड मानी गई है और इस लिस्ट के आधार पर जो और टीचर्स हैं उन सारों का केडर समझ कर सीनियोरिटी के बेसिस पर उनकी सीनियोरिटी के ऑर्डर्स जारी कर दिये हैं और इसके आधार पर कुछ प्रमोशन हो चुके हैं और कुछ और हो जायेंगे। इसके बजाय जिनका अपोइन्टमेन्ट टेम्पोरेरी तरीके पर किया है उनको परमानेन्ट नहीं समझा जायगा, अगर किसी को कर दिया है तो वापिस रिवर्ट होंगे। इस प्रकार जो १–१०–५६ की सीनियोरिटी की लिस्ट को मान कर चलते हैं, इसी प्रकार जो ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड है, वह अध्यापकों को नहीं मिली है, इसके बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि उनके आदेश जल्दी से जल्दी जारी हो रहे हैं कि उन अध्यापकों को भी ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड प्राप्त हो सके और जो आज दिक्कत है वह दिक्कत भी उनके सामने न रहे।

दूसरे, माननीय अध्यक्षजी, इस बहस के दौरान में आई उन सारी चीजों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। एक बात यह आई, अजमेर के जो एम्प्लॉइज़ थे, टीचर्स वगैरह, उनको प्रोटेक्शन पूरा नहीं दिया गया। अजमेर के एम्प्लॉइज़ के बारे में जो फ़ैसला किया गया वह टीचर्स के बारे में और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉईज के बारे में अलग अलग तरह से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं हो सकते। और एक फैसला हो सकता है, उसमें चाहे क्वाजी पर्मानेन्ट हो या पर्मानेन्ट हों- उनको पे के मामले में प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन जो बहुत टेम्प्रेरी थे, उनको प्रोटेक्शन पे के मामले में नहीं दे सकते और जो निर्णय लिया गया है वह और दूसरी स्टेट्स में जो इन्टीग्रेशन हुआ है, अलग अलग जगह, वह दूसरी जगह के स्तर के कन्सीडरेशन पर लिया गया है। उसके आधार पर ही राजस्थान में निर्णय हो सकता है, कन्सीडरेशन के आधार पर हो सकता है। केवल अजमेर एम्प्लॉइज को दिक्कत पड़े, उस आधार पर निर्णय नहीं हुआ है। तो उस आधार पर उस फैसले को किया गया है।

दूसरे, हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर में कोई नया एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन नहीं खुला। मैं समझता हूं कि अलवर में क्या हो रहा है, उनकी जानकारी में है। वहां अलवर में इस वक्त एक पोलीटैक्निक स्कूल की शुरूआत की गई है। माननीय अध्यक्षजी, उसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि लड़कियों की एजूकेशन के बारे में जब आर्थिक स्थिति के अनुसार सरकार की राय डिग्री कॉलेज खोलने की होती है तब अलवर पहला होगा; क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं और वहां पर उस शिक्षा के बारे में सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। वहाँ भवन के बारे में पहले से विचार करते रहे हैं और आगे भी इस पर विचार किया जायगा, ऐसा मान कर हमें चलना चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है। कुछ सदस्यों ने खूब चर्चा की। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक बात को स्वीकार करके चलना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक संस्थायें ज्यादा से ज्यादा आयें, यह अत्यन्त आवश्यक है। हमने देखा है कि जहां दूसरी स्टेट्स में शिक्षा में काफी प्रगति हुई है वहां ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट शिक्षण संस्थायें सामने आई हैं। कुछ स्टेट्स में हाई स्कूल और हायर सेकिन्डरी स्कूल भी गवर्नमेंट कुछ स्थानों के अलावा ज्यादा स्थानों पर नहीं खोलती और ये संस्थायें ज्यादातर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा चलाई जाती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रान्ट–इन–एड दी जाती है। प्राइवेट इन्स्टीट्यूट के लिए सिद्धान्त के रूप में यह मान कर चलना होगा कि प्राइवेट संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ायें। हां, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाने वाली ग्रान्ट–इन–एड के ऑडिट के लिए, दूसरी चीजों के लिए अलग अलग पार्टी को अलग अलग व्यवस्थायें इसके सम्बन्ध में की हुई हैं। और जब कभी भी सदन के सामने निश्चित तौर पर कोई बात आई है तो उसकी तरफ हमेशा ध्यान दिया गया है। लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हट्टूंडी के बारे में हमेशा व्यक्तिगत तरीके से आक्षेप करने की बात करते हैं। कल मैं सदन में नहीं था, मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि फिर व्यक्तिगत आक्षेप करने का प्रयत्न किया गया। मैं यह कह सकता हूँ कि उसके बाद मैंने कुछ बातों की जानकारी की है और मैं सदन को जानकारी देता हूँ कि जो सम्बन्धित बातें यहां पर कहने का प्रयत्न किया गया हैं वे बिल्कुल निर्मूल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मालूम हुई हैं। ये तो सारी की सारी बातें आये सदन में—व्यक्तिगत आक्षेप के तौर पर कही जाती हैं और मैं समझता हूँ कि इसको रोकना चाहिये। यह उपयुक्त भी नहीं है कि वे उन बातों को सदन में लाकर इस प्रकार का वातावरण बनायें जिसकी वजह से एक व्यक्तिगत आक्षेप का तरीका बने। हां, यहां पर कोई निश्चित बात बताई जाय कि एम्बेजलमेंट चलता है या और कोई बात है, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि उसकी पूरी जानकारी की जायगी........

श्री भैरोंसिंह : मैंने निश्चित तौर पर बताये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय अध्यक्षजी, इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप........

श्री भैरोंसिंह : मैंने सदन में निश्चित रूप से बताया है। मैंने फिगर्स बताये थे। उसके बाद जब आप बोल रहे थे तो मैंने फीगर्स दिये हैं तो उसकी मुझे जानकारी दी जाय। लेकिन उसके बाद मुझसे जानकारी नहीं की है कि वे कितने सही हैं, कितने गलत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उसके बाद फिगर्स दे दिये थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहें तो मैं सदन के सामने यह कह सकता हूं कि उसकी पूरी जांच की जायेगी, उसको किसी प्रकार इधर उधर करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन हम यहां पर चर्चा करके अधूरे में छोड़ देते हैं और उसके बाद उन चीजों को लेकर व्यक्तिगत आक्षेप में जायं तो मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहता अध्यक्ष महोदय, कि हम जहां युनिवर्सिटी एजूकेशन और दूसरी एजूकेशन के बारे में प्रयत्नशील हैं, वहां राजस्थान में टैक्निकल एजूकेशन अधिक से अधिक फैले और हमारे नौजवानों को अवसर प्राप्त हो, उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। और जयपुर के अन्दर माननीय सदस्य जानते होंगे, एक रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जा रहा है जिससे कई जगह के लोगों का, न सिर्फ राजस्थान का; बल्कि दूसरी जगह के लोगों का बड़ा हित होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा और आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य के दिमाग में किसी अवज्ञा की कल्पना नहीं आयेगी, ऐसा हम मान कर चलते हैं।

ऐसा भी खयाल आया कि जोधपुर युनिवर्सिटी की वजह से जयपुर युनिवर्सिटी का जो यहां पर खर्च का सवाल है उसमें वह स्टार्व करेंगी और इसे स्टार्व करके दूसरी युनिवर्सिटी खोली जा रही है। ऐसी बात नहीं है। यहां की युनिवर्सिटी के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में अलग से प्रावधान किया गया है और अभी भी १९६०–६१ में साढे नौ लाख के करीब एक मुश्त इस युनिवर्सिटी को ग्रान्ट–इन–एड के रूप में दिया है और इस आवश्यकता को, युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और राजस्थान सरकार मिल कर, जहां तक सम्भव है, ध्यान में रख कर चलेगी। इसमें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किसी को अवज्ञा करने का या किसी को ज्यादा देने का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि प्राइमरी एजुकेशन हो, युनिवर्सिटी एजुकेशन हो, हर स्तर पर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हम करना चाहते हैं।

दूसरे यह कहा गया कि जो स्कूल खोले जाते हैं वे पोलिटिकल प्रेशर और सिफारिशों के आधार पर खोले जाते हैं। मैं निवेदन करूं कि ऐसा भी कहा गया कि प्लान के मुताबिक नहीं खोले जाते हैं। दरअसल में जहां के लोग इस बारे में उत्साहित होकर पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन देकर इस तरह के स्कूल-कॉलेज की मांग करते हैं और जहां लड़कों की तादाद उपयुक्त उपलब्ध होती है, उन स्थानों के ऊपर स्कूल खुल सकते हैं। कहीं नजदीक भी खुले हैं, लेकिन उन आधारों को सामने रखते हुए कि विद्यार्थियों की तादाद उपयुक्त हो और लोगों का कन्ट्रीब्यूशन हो, तब स्कूल खोले गये हैं। भीलवाड़ा के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने समझा है कि जिन स्कूलों के नाम लिये गये हैं वे एक तहसील के थे। यह बिल्कुल गलत चीज है। पुर दूसरी जगह है, हराड़ा दूसरी जगह है, रायपुर दूसरी जगह है। एक एक स्थान पर है, दूसरा दूसरे स्थान पर है, जहां स्कूल खोले गये हैं। इसके साथ ही वहां पर लोगों ने कन्ट्रीब्यूट किया है और लड़कों की तादाद भी काफी थी....

श्री मानसिंह महार : बैराठ, धांध और राड़ावास के बारे में क्या राय है, कोटपुतली में नींव लगा कर पधारे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोटपुतली में डिग्री कॉलेज खुलना उपयुक्त है। वहां के लोगों ने ढाई लाख रुपया कॉलेज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना तय किया था। उसमें से वे डेढ लाख रुपया दे चुके हैं। इसके अलावा कोटपुतली में डिग्री कॉलेज खुलने से कोटपूतली के अलावा इस तहसील के आसपास के इलाकों को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए पोलिटिकल कारण न समझ कर यह समझना चाहिए कि आज कोटपूतली से लगा कर जयपुर तक आयें तो इसके बीच के अन्दर, ७० मील के अन्दर कोई कॉलेज नहीं था। अगर वहां पर कॉलेज खुला तो आसपास के लड़कों को बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकती है और फिर लोगों ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट करने की बात कही है, इसलिए उसको स्वीकार किया गया है।

माननीय अध्यक्षजी, पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स चलाने वालों पर आक्षेप करना आसान होता है, लेकिन आज के दिन जो इन्स्टीट्यूशन्स चलाते हैं वे लोग कितनी परेशानियों और कितनी मुश्किलों से चलाते हैं। मैं समझता हूं कि हमें यह मान कर चलना चाहिये कि राजनैतिक कारणों से आक्षेप करने के बजाय आज जो भी राजस्थान में समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं उनकी हम कद्र करें ; बजाय इसके कि इस सदन में हम इनके नाम से किसी प्रकार के आक्षेप-प्रत्याक्षेप में पड़ें जिससे ये लोग समझ लें कि इस प्रकार की संस्था चलाना बेकार है। अगर चलायेंगे तो हमारी इज्जत से भी हाथ धोने का नम्बर आयेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत गम्भीरता से सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए पूरी नाप-तोल के बाद कुछ कहा जाय तो उपयुक्त होगा। क्योंकि आखिर जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लोग कार्य करते हैं वे कार्य कर रहे हैं सेवा की भावना से प्रेरित होकर। उस भावना से हम लोग कार्य कर सकें उतना ज्यादा उपयुक्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में, मेरा मानना है, केवल सरकार के द्वारा ही शिक्षा को चलाया जाना उपयुक्त नहीं हो सकता और हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके उतना ही उपयुक्त होगा।

प्राइमरी स्कूलों की स्थिति के बारे में कहा गया है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूलों को सहायता देने के लिये सारे हिन्दुस्तान में एक पेटर्न कायम है और वह है कि ५००) रु० का और इसी ५००) रु० के पेटर्न को आधार मान कर सब जगह चला सकते हैं और राजस्थान सरकार ने भी इसको आधार माना है और इसी आधार पर सहायता दी जाती है। कई जगह प्राइमरी स्कूलें लोकल बॉडीज चलाती है। मगर राजस्थान में यह सरकार के पास है। आज शिक्षा में जो खर्च राजस्थान में हो रहा है, युनिवर्सिटी और दूसरे स्कूलों पर उसको देखे तो मालूम होगा कि सारे बजट का २३ परसेन्ट आज केवल शिक्षा पर खर्च होता है। जहां पहले सन् १९५०-५१ में शिक्षा पर २ करोड़ ६ लाख खर्चा होता था वहां आज शिक्षा पर करीब १४ करोड का खर्चा होता है। सात गुणा बढ गया है। रहा लड़कियों के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में नहीं आने का। मैं यह कहूँगा कि इसकी वजह यह है कि इसके लिए कई कारण और कन्सेशन्स हैं। अभी भी प्राइमरी स्कूलों में ४९ परसेन्ट लड़कियों की तादाद हो पाई है। आप १९ स्कूलों में ही पहुंच पाये हैं इसलिए आप कहते हैं। वहां दूसरे स्कूलों के मुकाबले में परसेन्टेज कम हो सकता है। हमने महिला अध्यापिकाओं के लिए दूसरी सहूलियतें और रहने की व्यवस्था भी की है और दूसरी सहूलियतें भी देने को प्रयत्नशील हैं लेकिन सामाजिक दिक्कतें हमारे सामने होने की वजह से महिला अध्यापिकायें मिलती नहीं और कई स्थानों पर छोटे छोटे बालक और बालिकाएं साथ साथ पढते हैं।

मैं आशा करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य यहां पर अलग अलग जगहों से पधारे हुए हैं, जैसे अलवर वगैरह से, वे इस बात को महसूस करेंगे कि ज्यादा स्कूलें खोली गई हैं। जब मैं शिक्षा मन्त्री था उस समय की छोटी-मोटी बातें, भली-बुरी जैसी भी है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि अब जो भी कट मोशन्स हैं, उनके बारे में शिक्षा मन्त्री के जवाब के बाद उन्हें माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : शिक्षा विभाग में उदयपुर ही उदयपुर छाया हुआ है। ऊपर से नीचे तक उदयपुर ही उदयपुर हो रहा है, उसको तो हटा दीजिये। कम से कम डिप्टी तो जयपुर का हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्वयं ही हट गया हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने ऐसा काम कर दिया है कि आपको बिना पूछे कोई काम वे नहीं कर सकते।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैंने हट्टूंडी के मसले को लेकर कुछ बातें कही थी। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने जो मैंने आरोप लगाये उनकी जांच की। मैं समझता हूं कि उनका यह कहना कि उन्होंने इस संबंध में जांच कराई बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अगर जांच होती तो कम से कम जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ चार्जेज लगाये उसको तो इत्तिला होती, उसको तो कम से कम उस संबंध में पूछताछ करते। मगर कोई पूछताछ नहीं की गई। माननीय सदस्य ने जिस समय हट्टूंडी के संबंध में कुछ आंकड़े दिये थे उसी समय मैंने कहा था कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। उसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि जांच की है। मेरे समझ में नहीं आता कि किस तरह से आपने इसकी जांच की है। मैं आज भी कहता हूं कि मंत्री पर जो चार्जेज लगते हैं उनको बचाने की कोशिश न करें। जो चार्जेज लगाये गये वे सही हैं। आप कहें तो मेरे पास रेकॉर्ड है वह मैं हाउस में लाने को तैयार हूँ, अगर आप इन्क्वायरी करने को तैयार हों। आप अगर गोलमाल करने के लिये ही रेकॉर्ड देखना चाहते हैं तो मैं आपके पास भी अपने रेकॉर्ड को पेश करने को तैयार नहीं हूं। मैं आपको रेकॉर्ड इस विश्वास के साथ दिखाने को तैयार हूं कि आप उसकी इन्क्वायरी करेंगे और इन्क्वायरी में उनको बचाने की कोशिश न करेंगे। यदि आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो यह उचित नहीं है। अगर आप आंकड़े देखना और रजिस्टर देखना चाहते हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप मेरे साथ हट्टूंडी चलें। मैं आपको रजिस्टर पकड़ा दूंगा जिनमें रकमें रिसीव की हुई हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिसको आपने असत्य कहा है। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसमें आय के खाने में वे रकमें दर्ज नहीं हैं। मैं कलकत्ते गया था वहां से मैं सारे आंकड़े लाया हूं। मैं सेठों के यहां से हट्टूंडी के संबन्ध में आंकड़े लाया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे रकमें जमा नहीं हैं। आज भी वे जमा नहीं हैं। आप यह कहें कि मैंने विधान सभा में यह आक्षेप लगाये हैं इस कारण से इन्क्वायरी नहीं हो सकती तो मैं यह कहूंगा कि यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। वह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन है और उसको खास तौर से शिक्षा मन्त्री चला रहे हैं इसलिये वे इस बात के लिये जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी के प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको आदेश मिलेगा। आप चाहें तो मैं उन ट्रस्टों के नाम बता सकता हूं जिनसे रुपया लाया गया है और जमा नहीं कराया गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि एक एक पैसा जमा मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट हाउस में पेश की गई है उसमें नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूं कि एक एक पैसा जमा मिलेगा, आप इसकी इन्क्वायरी करा सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अभी मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि पिछले वर्ष १२ हायर सेकिन्डरी स्कूलें खोली गई हैं। इसमें कुटड़ में खोली है....

श्री अध्यक्ष : अब इस तरह की बहस....

श्री मानिकचन्द सुराणा : गलत जवाब दिया गया है। मांडल और कुटड़ में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : सभी फेल हुए हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पाठ्य पुस्तकों को बदलने के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है और उनको क्यों बदला जाता है व मूल्य सस्ता होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): पाठ्यक्रम को बार बार बदलने को सरकार पसन्द नहीं करे, इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन दोनों चीजों का आभाव है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बहस चली थी उस समय इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ये दोनों बातें परम आवश्यक हैं। अगर शिक्षा का स्तर आपको टीक ढंग पर रखना है तो पाठ्य पुस्तकों को बार बार नहीं बदलना चाहिये और उनका मूल्य बहुत मंहगा नहीं रखना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि रिजल्ट के बारे में कहा उसमें सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है। मैंने जो दिया है वह जोड़ कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट की रिपोर्ट है उसमें रिजल्ट को जोड़ कर दिया है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैंने फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. की बात कही। आप हायर सेकिन्डरी स्कूल की बात कहते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा की मांग पर।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब तो मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया है, अब आपको क्या कहना है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने अपने समय की शिक्षा की प्रगति और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में कहा है। इसमें कई चीजें छूट गई हैं। अगर उसके सम्बन्ध में तमाम सदन को सूचना नहीं दें तो कट मोशन्स बेकार हो जावेंगे। इसलिये मैं उन बातों के लिये कहना चाहता हूं जिसको सुनने के लिये माननीय सदस्य उत्सुक हैं।

अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बहुत सी बातें शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में बताई। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों में राजस्थान में शिक्षा की जो उन्नति हुई है उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने काफी दिलचस्पी ली है। इसलिये उन्होंने इस पर रोशनी डाली है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, साफ सुनाई दे नहीं रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तीन वर्ष के बालक से लेकर २२ वर्ष के छात्र तक को शिक्षा देने की मुख्य जिम्मेदारी इस शिक्षा विभाग पर है और इस साल करीब १३ करोड़ ७३ लाख रुपया शिक्षा के लिये स्वीकृत हुआ है। इसमें ४५ हजार के करीब ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं। इतना बड़ा विस्तार इस विभाग का है। ऐसा मालूम होता है कि इसके महत्व को तो माननीय सदस्यों ने माना है; क्योंकि कम से कम १११ कट मोशन इस पर आये वो यह दिखलाते हैं कि जहां एक ओर माननीय सदस्य इसके विस्तार को स्वीकार करते हैं, इसमें दिलचस्पी लेते हैं, यह देख कर मुझे खुशी हुई।

एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि शिक्षा का विस्तार काफी हो चुका है, अब कन्सोलिडेशन की जरूरत है। कई जगह पाठशालाएं खुल गई तो सामान की कमी है, अध्यापकों की कमी है और कई तरह की कमियां समय समय पर सामने लाई गई हैं। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि अगले सालों में हम शिक्षा के विस्तार की तरफ ज्यादा ध्यान न दे कर उनकी एफिसियेन्सी और कन्सोलिडेशन की तरफ ध्यान दें तो समुचित होगा। यह बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करके आया उसकी तरफ कम ध्यान देकर युनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इस पर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। देखने में भले ही ऐसा आता हो लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं उनसे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है।

बजट जैसा कि मैंने निवेदन किया शिक्षा को १३, ७३, ००, ००० का है जिसमें से प्राथमिक शिक्षा पर ४, ३५, ००, ००० है, यह औसत पड़ती है ३५ प्रतिशत। सौ में से ३५ रूपया प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं और दूसरा जो खर्चा है वह हटाने से ४० प्रतिशत खर्चा प्राथमिक शिक्षा पर हो जाता है। तो यह कहना कि इस तरफ कम ध्यान दिया जाता है, मेरे खयाल से वाजिब नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंनगर) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खर्चा बताया गया है वह केवल मास्टरों की तनख्वाह पर ही होता है या इसके अलावा और कामों पर भी खर्च किया जाता है, लड़कों के डेवेलपमेंट की तरफ कोई खर्चा किया जाता है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो कुल खर्चा है, मास्टरों की तनख्वाह और दूसरी प्रकार की आवश्यक सामग्री आती है वह खर्चा भी इसमें शामिल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया इस तरह इन्टरप्ट न करें। माननीय सदस्यों ने जो दृष्टिकोण रखे हैं उनको सुन कर उनके जवाब में मन्त्री महोदय अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, उसे सुनें। इस तरह क्रोस एग्जामिनेशन थोड़े ही चल सकता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो जानकारी फिर भी चाहें तो दे सकता हूं। इतने थोड़े समय में हर चीज की जानकारी हो जाय, जितनी बातें कही गई हैं उन सब की जानकारी हो जाय, यह संभव नहीं है। यह प्रश्न नहीं है कि जो जानकारी है उसको नहीं देना चाहते। तो यह मैं देख लूंगा, यह मेरे ध्यान में है, अध्यापकों पर कितना खर्चा होता है और दूसरी चीजों पर कितना खर्चा होता है।

बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में आंकड़े दिये थे। उन्होंने ५१ लाख ३८ हजार के बजाय बताया कि ६० लाख हैं। उनको भ्रम हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि ६० लाख तो होंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये ५१ लाख ६० हजार के हिसाब से बताये हैं। आज १९६२ है दो साल और बढ गये, १९६२ में बराबर ६० लाख होते हैं। परसेन्टेज देख लीजिये सालाना कितने बढते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५१ लाख की संख्या आज है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ६० लाख ७२ हजार तक पहुँच जायेंगे।

राजस्थानी भाषा के बारे में बहुत जोरों से माननीया बहिन ने, स्थान तो याद नहीं है....

एक माननीय सदस्य : टॉडगढ़।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिक्र किया था। इसमें शक नहीं है कि राजस्थानियों की और राजस्थान सरकार की सहानुभूति राजस्थानी भाषा के साथ हो सकती है। पर बदकिस्मती रही वह यह है कि भारत का संविधान बना तो उस समय में और और प्रान्तीय भाषाओं को प्रान्तीय भाषायें माना गया था। हिन्दी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तामिल, तैलगु को माना गया था पर राजस्थानी रह गई। कैसे रह गई, किसकी गलती रही ? इसमें जाने से कोई लाभ नहीं, पर राजस्थानी रह गई। एक अवस्था थी, मैं खुद इस बात का पक्षपाती था, मैंने कोशिश भी की कि राजस्थानी राजस्थान की भाषा हो। पर आज हिन्दी भाषा आपकी राजभाषा है। हिन्दी हिन्दुस्तान में कई जगह बोली जाती है। हिन्दी राजस्थानी की ही बेटी समझी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हिन्दी का प्रचार इतना हो गया है और उसकी तुलना में राजस्थानी इतनी खो गई है कि संविधान में जब तक प्रावधान नहीं हो तब तक राज्य की ओर से राजस्थानी को हिन्दी की तरह प्रश्रय मिल जाये, यह चीज कठिन मालूम पड़ती है। फिर भी यह नहीं है कि राजस्थानी के प्रति राजस्थान सरकार कोई उदासीन हो। अकादमी की मार्फत राजस्थानी भाषा के प्रचार के लिये कई प्रयत्न हो रहे हैं। इस बारे में एक नोट पढ़ कर सुनाऊंगा :

"राजस्थानी भाषा में गत एक वर्ष में ८ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इतर भाषाओं के अनुवाद व राजस्थानी के नाटक, कहानी, निबंध कविता संग्रह प्रकाशित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत और रावत सारस्वत आदि के 'रविठाकुर री बातां', 'चित्रांगदा', 'रवीन्द्र पथ भारती', 'गीतान्जलि' के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। प्रति वर्ष अकादमी द्वारा १५ हजार रुपयों की राशि निर्धारित की जाती है, लेखकों को देने के लिये। 'मरुवाणी' जैसे प्रमुख पत्र को

Page No. 44

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

८ हजार की सहायता दी जाती है ।"

और भी लम्बी लिस्ट है पुस्तकों की, उसको पढ कर मैं समय नहीं लेना चाहता। मैं बहिनजी और दूसरे माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थानी की उन्नति के लिये राजस्थान सरकार जितने प्रयत्न कर सकती है करेगी, किये भी हैं और आगे भी करेगी ।

हमारे अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने मदनगंज के स्कूल का जिक्र किया था। वैसे सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं के बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भी कहा है ध्यान देने योग्य है। मैं भी चाहता हूँ और सदन के माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि जहां इनका कार्य सुचारु रूप से चलना चाहिये, कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुधारना चाहिये, पर साथ ही साथ उनकी कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । विभाग के पास शिकायत आती है तो विभाग बराबर इसके लिये कार्यवाही करता है। स्कूल जिसका आपने जिक्र किया था, मुझे यह जानकारी मिली है कि कुछ अध्यापकों ने शिकायत सीधी पुलिस के पास कर दी थी। किस्सा माननीय सदस्य ने बताया उससे कुछ मिलता जुलता था। अभी इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है, एन्टी करप्शन नहीं, मामूली पुलिस ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कितने दिनों से जांच कर रही है ?

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही। फिर बीच में बोलने लग गये, माननीय सदस्य ।

(१.० म. प.)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, और तरह से भी जानकारी दी जा सकती है । शिक्षा विभाग के पास जैसे ही शिकायत आई ऑडिट कराया गया, ऑडिट रिपोर्ट भी आयी हुई है और उसकी जांच डिपार्टमेन्ट में चल रही है। चूंकि सार्वजनिक संस्था थी उसका काम धन्धा न रुके, और जब प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायत आयी तो उसके हाथ में वह काम न रहे, सरकार ने यह किया कि अजमेर कलेक्टर बोर्ड का चेयरमैन है और किशनगढ़ के एस.-डी. ओ. सदस्य हैं उनकी देखरेख में स्कूल का काम चलता रहे और जो उनको ग्रान्ट दी जाती है वह उनके तत्वावधान में दी जाती है । रहा पिछला केस, उसके लिए सरकार सतर्क है और कार्यवाही हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह : पिछला केस कौनसा ? पुलिस जांच कर रही है तो उस समय कलेक्टर भी उसके अध्यक्ष थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई दूसरी संस्था होगी, कोई दूसरे अध्यक्ष रहे होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, शायद वे नहीं थे।

एक बार शिकायत आती है कि सार्वजनिक संस्थाओं को पैसा नहीं मिलता । हम सोच रहे हैं जिस प्रकार से अजमेर राज्य में एक तरीका सोचा था कि चैक द्वारा सीधा शिक्षकों को रुपया भेज दिया जाय, वह अच्छा तरीका रहा था। ७५-८० परसेन्ट जहां ग्रान्ट दी जाती है तो आखिर शिक्षकों को आश्वासन होना ही चाहिये कि उनको समय पर वेतन मिल जाय और उनकी मर्जी के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कटौती न की जाय । मैं समझता हूँ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

माननीय सदस्यों को यह बात रुचिकर लगेगी कि चैक सिस्टम कर दिया जाय, अभी हम इसके लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा दूसरा और कोई शिक्षकों को समय पर वेतन मिल जाय इसके लिए आश्वासन का तरीका नहीं पाया जाता।

बोर्ड द्वारा टैक्स्ट बुक्स का नेशनेलाइजेशन किया गया। उसमें गलतियां पाई गई। जो गलतियां हैं वे तो हैं। कोई नहीं कहता कि अच्छी बात है। इस सम्बन्ध में जो विभाग और बोर्ड का सम्बन्ध है वह भी ध्यान रखने की बात है। बोर्ड एक स्टेट्युटरी बोडी है और शिक्षा विभाग एक सीमा में उसके काम में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर भी मैं चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि बोर्ड का ध्यान उन कमियों की ओर दिलाया जाय जो माननीय सदस्यों ने यहां बतायी हैं।

एक माननीय सदस्य जो कोटा की तरफ से आते हैं उन्होंने एक गुमानपुरा के स्कूल का जिक्र किया। बाढ़ आ गयी और वहां पर मकान की व्यवस्था नहीं हुई। इस सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर में भी बता दिया है, मकान की व्यवस्था जल्दी ही हो जायगी।

पे स्केल्स के सम्बन्ध में तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने रोशनी डाल दी है....

श्री भैरोंसिंह : फिर ये माननीय शिक्षा मन्त्री जी कौन हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: I meam मुख्य मंत्रीजी थे। मंत्री तो उनके बनाये हुए होते हैं यह है। पार्टी का लीडर चुना हुआ होता है, मंत्री तो चुना हुआ होता नहीं, उन्हीं के बनाये हुए होते हैं। लीडर के मार्ग-दर्शन में चलना पड़ता है यह वाजिब भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि मंत्री उनके तावे में है। टीम स्पिरिट से काम होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह परम्परा यहां पहले से चली आ रही है कि मुख्य मंत्रीजी पहले जवाब दे दें और विभाग के मंत्री जो हों वे बाद में जवाब दें। यही परम्परा यहां फिर डाली जा रही है। शिक्षा मंत्री के पहले मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया। तो क्या यह मान लें कि और मंत्री केबिनेट में जिम्मेदार नहीं हैं और मुख्य मंत्री ही जवाब देंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार की ओर से ही जवाब दिया जाता है। इन कटौती प्रस्तावों पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वस टैक्निकल अर्थ में सरकार का उत्तर नहीं है। वही जाब्ते का उत्तर है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपकी मदद के लिए दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह टैकक्निल उत्तर नहीं था और यह टेक्निकल उत्तर है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया वह पर्याप्त है और मुझे आपको सुनने की फुरसत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि कट मोशन्स जो पेश किये गये हैं उनको वापिस लेंगे। आपको उत्तर से संतोष होगया होगा और मैं मानता हूँ कि आपको हो जाना चाहिये। एक आश्वा-

Page No. 46

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सन मैं दे देना चाहता हूं कि कई सुझाव आपके अच्छे लगे। उनके लिए तत्काल तो मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता....

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन से सुझाव हैं जो आपको अच्छे लगे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अरे भाई ! बैठो। मेरे पास सूची तो है, आपके समय का ही मुझे ध्यान है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हम बहुत खुशी से सुनेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन आलोचनाओं में जो तथ्य की बातें हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा। कुछ शिकायतें हैं जिनके लिए मैंने बता दिया, और कोई होगी तो ध्यान दिया जायेगा। कुछ स्पष्टीकरण के सवाल रह जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि दूसरा कट मोशन आने वाला है और महारथी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा कट मोशन नहीं आवेगा, डिमान्ड आवेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरी डिमांड पर कट मोशन्स आवेंगे। थोड़ा सा समय लेना चाहता था वह न लेकर इनके लिए दे दूं।

श्री मानसिंह महार : शिक्षा पर तो कुछ कह दीजिये, यह व्याख्या तो हो गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने कट मोशन्स वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : किताबों के लिए बताया गया, भ्रष्टाचार की बातें बतायी गई उनके लिए एक्शन लिया जावेगा या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी बात कही है...

श्री भैरोंसिंह : किताबें आपके सामने रखी हैं उनके लिए क्या करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिक्षा विभाग का ताल्लुक नहीं है, बोर्ड का जरूर ध्यान दिलाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : बोर्ड में करीब करीब सब सरकारी अफसर हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है, जिस प्रकार का दोनों विभागों का सम्बन्ध है उनको ध्यान में रख कर की जावेगी।

श्री मानसिंह महार : डिप्टी डाइरेक्टर के लिए क्या इरादा है ? शाम को साइकिल पर दोस्तों को लेकर घूमते हैं।

वे दीखते भी ऐसे हैं जैसे × × × × आ रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इस प्रकार के शब्दों पर आपत्ति करता हूँ। सब राजस्थान के चुने हुए माननीय सदस्य हैं। यहां आये हैं। उनको अपनी अपनी बात कहनी होती है, वे अच्छी भाषा में कह सकते हैं।

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भैरोंसिंह : ये शब्द कार्यवाही में से एक्सपन्ज करा दिये जावें।

श्री हरिराम चौहान: लॉ और एम.ए. क्लासों के बारे में क्या कहना है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हम यहां अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर उनको एक्सपन्ज कराते हैं, इसके बनिस्पत क्या हम ऐसा संयम अपनी भाषा में नहीं रख सकते कि जिससे अपने कहने की बात कह दी ?

अब रहा सवाल लॉ और एम. ए. क्लास खोलने का, सो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी इस बारे में जिक्र किया था। प्लान के साथ हम यह करना चाहते हैं क्योंकि युनिवर्सिटी जहां जहां होंगी वहां वहां हमें प्लान के साथ करना है। शिक्षा शास्त्रियों की भी यही राय है कि युनिवर्सिटी टीचिंग युनिवर्सिटी हो। तो यह देखना होगा कि कहां कहां टीचिंग युनिवर्सिटी हो सकती हैं। तो तत्काल तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि अलवर में पोस्ट ग्रेजुएट क्लॉसें खुल जावेंगी या नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): यह प्राइमरी स्कूलों की पुस्तकों को जो बेचा जाता है उसमें हाइएस्ट पर्सेन्टेज पहले लेनेवालों को दिया जाता है। यही कारण है कि गांवों के बुक-सेलर्स को अवसर नही मिलता, पहले शहर वाले ही ले लेते हैं। बच्चे शहरों में जाकर खरीद नहीं सकते। तो इस तरह गांवों में पांच, पांच, छः छः महीनों तक पुस्तकें नहीं मिलतीं। तो, यह बेचने का जो तरीका है उसमें क्या आप कोई परिवर्तन करने को तैयार हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं देख लूंगा, तरीके को समझ लूंगा। सुधार की उसमें गुंजाइश होगी तो जरूर करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में पोलिटिकल साइन्स और साइन्स कॉलेज के लिये बिल्डिंग अब बन कर तैयार है। तो आपके आश्वासन के अनुसार क्या ये इस वर्ष खुल जावेंगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर पहले का आश्वासन दिया हुआ है और दूसरी सारी आवश्यकताएं पूरी करदी गई हैं तो इस पर जरूर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या १५ पर काफी कटौती के प्रस्ताव हैं। सो अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो सब कटौती के प्रस्तावों पर अलग अलग मतदान न करा कर मांग पर ही मतदान करा लिया जावे ताकि उन सब पर एक तरह से उसी को मतदान हुआ माना जा सके ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,७९,१६,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई

मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २१-उद्योग।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,६४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि जो व्यवस्था मांग संख्या १५ पर बहस के लिए की गई थी वही इस पर भी लागू होगी। इस पर आज शाम तक बहस होगी और कल सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जावेगा।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा दिये जानेवाले औद्योगिक लोन के दुरूपयोग पर ध्यान आकर्षित करने के लिये)।

५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु. की कटौती की जाय (औद्योगिक विभाग द्वारा आयात के लाइसेन्स से आनेवाले माल का उचित उपयोग न करने पर प्रकाश डालने के लिए)।

६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बेनायल एण्ड केमिकल वर्कस लि० कोटा को अधिक कम रेट में बिजली देकर राज्य-कोष में होने वाले नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये)।

८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर में उद्योगों के विकास की उपेक्षा पर प्रकाश डालने के लिये)।

१४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (पब्लिक रीलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ कानून, १९६१ के जरिये जिन उद्योगों को सरकार ने अपने अधीन लिया है उनमें होने वाली गड़बड़ी पर प्रकाश डालने के लिये)।

७३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में बन्द पड़ी ग्लास फैक्ट्री को चालू करवाने में सरकार की उपेक्षा पर बहस करने हेतु)।

७९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक, ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर फैक्ट्री खोलने की परिवर्तनशील नीति पर प्रकाश डालने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): (३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में ऊन उद्योग को प्रारम्भ करने पर बहस करने के लिये)।

(६१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिला हैडक्वार्टर पर *Dyeing*

(श्री भीमसेन)

and finishing centre की बढती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार करके इसका management non-official agency को दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(६२) मांग संख्या २१-मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (लूणकरणसर, जिला बीकानेर में नमक उद्योग को प्रोत्साहन देने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(६३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला बीकानेर के कोलायत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत Fuller's Activisation Plant लगाने में असफल रहने तथा इस वर्ष के बजट में तत्सम्बन्धी प्रावधान न किये जाने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(६४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (लूणकरणसर में जिप्सम क० लिमिटेड ने अपनी लीज शर्तों के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना न लगाने तथा फलस्वरूप लीज को Cancel न करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(६५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऊनी तैयार माल के finishing एवं Dyeing की व्यवस्था न किये जाने से सम्बन्धित संस्थाओं को अपना माल पानीपत आदि स्थानों पर finish करवाये जाने से अतिरिक्त भार आता है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (कस्बा बातू, नापासर, महाजन, जैतपुर, ऊदासर, तेजरासर, गुसांईसर आदि स्थानों पर खादी बोर्ड द्वारा बुनकरों को वित्तीय एवं अन्य साधन न देने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(६७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिप्सम कं. को अधिक हिस्से खरीद कर Nationalise करने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(६८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में ग्लास फैक्ट्री का विकास करने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(६९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (चर्म उत्पादक सहकारी समिति, खिंपेरा पंचायत समिति, लूणकरणसर को वित्तीय सहायता देने की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(७०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में Tannery न स्थापित करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : (४) मांग

(श्री कुमारानन्द)

संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु. की कटौती की जाय (ब्यावर को इन्डस्ट्रीयल क्षेत्र घोषित करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : (७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (उद्योग के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को ऋण दे दिया जाता है जो उद्योग नहीं करते, इस पर बहस करने के लिए)।

श्रीरामानन्द अग्रवाल (अलवर) (६) : मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर जिले के औद्योगिक विकास की ओर सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

(१०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाने में सरकार की ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

श्री जुभारसिंह (चेचट) : (११) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में लघु उद्योगों की प्रगति नगण्य है, इस ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (१२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (सीमेंट कम्पनी, लाखेरी की शोचनीय स्थिति पर विचार करने हेतु)

(१३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बूंदी जिले में उद्योग के अभाव से भयानक बेकारी पर विचार करने हेतु)

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : (१६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (कुटीर उद्योग में बढ़ोत्तरी करने पर बहस करने हेतु)

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु.) (१५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (सराड़ा, खैरवाड़ा तहसीलों में आदिवासी क्षेत्र में छोटे उद्योगों की स्थापना पर बहस करने हेतु)

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : (१८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योगों में १)रु० की कटौती की जाय (राजगढ, जिला अलवर में उद्योग पुरी सरकार द्वारा कायम नहीं किये जाने पर बहस करने के लिये) ।

(१६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राजगढ कस्बा में सीमेन्ट का कारखाना सरकार द्वारा न लगाये जाने पर बहस करने के लिये) ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (२१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–में १००) रु० की कटौती की जाय (उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विवाद करने हेतु) ।

(२२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की

Page No. 51

(श्री भैरोंसिंह)

जाय (खादी बोर्ड में हुए घोटालों तथा सरकार की उनको रोकने में असफलताओं पर विचार हेतु) ।

(२३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योगों में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकारी संरक्षण एवं सहयोग से कुछ उद्योगपतियों द्वारा राज्य के उद्योगों पर एकाधिकार करने से उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु) ।

(२४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (जयपुर के औद्योगिक विकास में पिछड़ने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु) ।

(२५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योग के ठीक प्रगति न करने की व्यवस्था पर विचार करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (२६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक–३५ उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (मांडल क्षेत्र में नई शुगर मील पब्लिक सेक्टर में कायम करवाई जाने पर बहस करने हेतु) ।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : (२७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योगो में १)रु० की कटौती की जाय (विजयनगर में बन्द पड़ी कपड़ा-मिल चालू करने पर बहस करने के लिये) ।

(३५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने पर बहस करने हेतु) ।

(३६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक, ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उत्पादन सम्बन्धी बुनियादी आवश्यक वस्तुओं के नियन्त्रण पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): (२८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उद्योग विभाग द्वारा घरेलू उद्योगों की उपेक्षा की गई है, इस पर बहस करने हेतु) ।

(२९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग द्वारा कोयला, टीन, स्टील आदि के लाइसेन्स दिये जाने की प्रणाली के सम्बन्ध में विवाद करने हेतु) ।

(३०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा नमक को लॉटरी खोलने की नीति अपना कर जुए की प्रवृत्ति को पनपाने के सम्बन्ध में विवाद करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (३१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामोद्योग की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित करने के लिये)

(७५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक सहकारी समितियों को दी जाने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वाली सरकारी सहायता में होने वाले पक्षपात पर प्रकाश डालने के लिए)

(७६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (इन्डस्ट्रियल एस्टेट पर किए गये खर्च और उनके उपयोग पर बहस हेतु)

(७७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बड़े उद्योगों के लिए दिए जाने वाले ऋण की नीति पर बहस करने हेतु)

(७८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर कोटन मिल में रखे गये मजदूरों के बारे में बहस करने हेतु)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : (३२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी में कोई उद्योग अभी तक नहीं खोले जाने पर बहस करने हेतु)

(३३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी में इन्डस्ट्रियल एस्टेट का काम शुरू न करने पर बहस करने हेतु)

(३४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उद्योगों के लिए दिये गये कर्जों से उद्योग न चल कर अपने काम में लोगों ने ले लिया, इस बारे में जांच करने के लिए कमेटी का निर्माण किये जाने के बारे में बहस करने हेतु)

श्री जयकृष्ण शर्मा(थानागाजी) :(३७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (अलवर में उद्योगपुरी स्थापित करने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (३८)मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (कच्चे माल का कोटा दिये जाने की सरकार द्वारा की गई व्यवस्था पर बहस करने हेतु)]

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग पर मेरे ७ कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं समयाभाव के कारण और उनका कुछ का परस्पर सम्बन्ध होने की वजह से एक साथ ही जिक्र करूंगा और उन पर एक साथ ही प्रकाश डालूंगा ।

सबसे पहले जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह राज्य सरकार द्वारा दिये गये औद्योगिक लोन के दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित करने के लिये है । हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक हमारी राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के विकास का प्रश्न है, राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है । पहली दो योजनाओं में हमने जो टार्गेटस फिक्स किये थे उन तक को हम पूरा नहीं कर पाये ।

अन्य प्रान्तों की प्रगति से हम तुलना करें तो राजस्थान में हम उद्योगों पर जो खर्चा

(श्री मुरलीधर व्यास)

कर रहे हैं वह बहुत कम है। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। आगे अगर उसको औद्योगिक नहीं बनाया जावेगा तो बेकारी की बड़ी भारी समस्या हमारे सामने आवेगी।

केन्द्र के बजट में २० प्रतिशत रुपया औद्योगिक विकास के लिये रखा गया है; जब कि हमारे यहां सिर्फ २. ५६ प्रतिशत आता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम आने वाले समय में अपना औद्योगिक विकास कैसे करेंगे। फिर भी मैं सरकार की इस औद्योगिक नीति पर इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति सफल नहीं रही है और हम अपने टार्गेट्स अचीव नहीं कर पाये हैं। मुझे सन्देह है कि जो धनराशि हमने इसके लिये रखी है उससे हम राजस्थान का औद्योगिक विकास कर सकेंगे या नहीं।

फिर भी पुराने उद्योग-धन्धों के बारे में सरकार की नीति को हम बहुत गम्भीरता से देखना चाहते हैं। सरकार केन्द्र से करोड़ों रुपया कर्जा लेती है। आजकल १ अरब २५ करोड़ की कर्जदार है। इसमें से काफी पैसा औद्योगिक क्षेत्र में भी लगता है। अब राजस्थान बनने के बाद जिन जिन क्षेत्रों में हमने पैसा लगाया—कोपरेटिव सोसाइटियों में अथवा व्यक्तिगत पार्टियों को लोन देकर इन्डस्ट्री का प्रसार करने में—उस पर गहराई से हमें देखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि उससे हमें लाभ मिलता है या नहीं।

जनलेखा समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तीन सेक्टरों में जो रुपया हमारा लगा है उसका ठीक तरह से लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा बहुत सा रुपया डूबता जा रहा है। बजट की बहस के दौरान भी बहुत सी बातें आई थीं। राजस्थान बनने से पहले घाटा हुआ सो हुआ। पर बाद में जो रुपया लगाया गया उसके द्वारा होने वाले लाभ की तरफ भी हमने ध्यान नहीं रखा। ५६—६० की जो जनलेखा समिति की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जिन इन्डस्ट्रियों में हमने पैसा लगाया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाया उनमें से कुछ तो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और उसका रुपया सरकार के पास नहीं आया। जैसे इण्डियन इन्डस्ट्री को लोन पहले का ७० हजार का था, ६० हजार और दिया गया। सारा रुपया अवसान में चला गया। बैंक ऑफ बांसवाड़ा को सहकारी संस्था में परिणित कर दिया गया। जयपुर स्पिनिंग और वीविंग मिल में पहले ६,६७ हजार था बाद में ७,४७ हजार और दिया। इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से शार्दूल टैक्सटाइल मिल, गंगानगर को भी दिया गया। ५ लाख, ६० हजार पहले और इतना ही राजस्थान बनने के बाद। पर इसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भवानीमंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी इसी तरह की बात है। एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑफ इण्डिया संस्था थी, वह समाप्त हो गई। डालमियां जैन एयरवेज, दिल्ली अवसान में चली गई है। प्रेमनाथ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड भी अवसान में चली गई है। रामपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड भी अवसान में चली गई। डूंगरपुर शुगर इन्डस्ट्री कोई लाभ नहीं दे रही है। जो हम लोन देते हैं, पैसा लगाते हैं उससे अगर लाभ नहीं मिलता उसके बाद भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार कोई परवाह नहीं करती तो मैं यह समझता हूं कि धीरे धीरे यह होगा कि जो लोन प्राइवेट पार्टीज को या कोपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू देते हैं या पंचायतों के थ्रू देते हैं उसका एक मात्र लक्ष्य यह है कि उस पैसे से कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है; यह देखना चाहिये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लोन चाहे पंचायतों के थ्रू दीजिये, कितना कितना रुपया प्राइवेट पार्टीज़ को दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया और प्राइवेट पार्टीज़ ने उस रुपये को किस किस काम में लगाया, उससे कितना काम हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोन आप चाहे किसी के थ्रू देवें, चाहे वह फाइनेन्स कोरपोरेशन द्वारा दिया गया हो या किसी के भी द्वारा दिया गया हो आज बैंक्स के पास पैसा काफी है, विकास होना चाहिये। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि जितना हम दे रहे हैं उससे उतना वाकई लाभ हो रहा है या नहीं। जितना रुपया दिया गया और जिस तरीके से दिया गया उसमें मैं मानता हूँ अधिकांश पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे से जो लाभ हम पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ नहीं मिल रहा है। आप यदि इसको गलत समझते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बारे में एक कमीशन मुकर्रर कीजिये; जिन जिन संस्थाओं को, जिन जिन लोगों को या सोसाइटीज को रुपया दिया है, जिस प्रकार से रुपया दिया है उससे वे टार्गेट्स एचीव कर रहे हैं या नहीं। पैसा तो काफी लग रहा है लेकिन जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो रहा है।

इसके अलवा अपने राज्य के अन्दर जो पैसा देने की नीति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना यह चाहिये कि उससे कितने आदमियों को रोजगार मिला। उसकी रिपोर्ट हर माह विभाग के पास आनी चाहिये। जो लोन देते हैं, जो सुविधा देते हैं, पार्टी जब लोन ले लेती है उसके बाद यह भी मांग करती है कि हमें इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया जाय। इसके अलावा बात शुरू हो जाती है कि हमें जमीन दी जाय, पानी–बिजली की सुविधा मिले। इस प्रकार से तरह तरह की मांगें शुरू हो जाती हैं और सरकार उसको देती है। टीन और लोहा का कोटा मांगा जाता है वह भी दिया जाता है। इन सब सुविधाओं के बावजूद भी इन्डस्ट्रीज का विकास नहीं होता है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। इसलिये जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया इसके लिये जांच कमीशन बैठाया जाना चाहिये जो माहवारी या तिमाही रिपोर्ट दे उन उद्योगों के बारे में, किस प्रकार से उद्योग चल रहे हैं। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है।

दूसरा मेरा कट मोशन भी इसी से संबंधित है। बहुत सी पार्टीज को बाहर से इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया जाता है लाखों, करोड़ों रुपयों का लाइसेन्स दिया गया है। बाहर से माल आता है। ऐसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने इम्पोर्ट लाइसेन्स ले करके माल मंगा लिया। उनके पास जमीन नहीं है फिर भी माल मंगा लिया जाता है और उसे ब्लेक मार्केट में बेच दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण

(श्री मुरलीधर व्यास)

मिलेंगे । मैं कुछ इन्डस्ट्रीज के नाम आपके समक्ष पेश करूंगा जो बाहर से माल मंगाते हैं और उसको ब्लेक में बेच दिया है। माल बाहर से आने के बावजूद भी ऐसे कई उद्योग हैं जो नहीं चल रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। सरकार का ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहता हूं, वह इस बारे में जानकारी करे।

टूल अलाइड एण्ड को. नाम की एक कम्पनी है जो एम. एल. एज. क्वार्टर्स के पास है। उसको हजारों रुपयों का स्टील का कोटा दिया गया। नेशनल ग्लास वर्क्स है....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): आप जो पहले बोले हैं उस कन्सर्न का नाम बता दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : टूल अलाइड एण्ड को.। मेरा निवेदन यह है कि इनको जो कोटा मिलता है उस हिसाब से काम नहीं होता है। आपको बताऊं हमारे यहां की फर्म्स को हो लाइसेन्स दिया गया हो, यह बात नहीं। कलकत्ता, दिल्ली आदि बाहर की फर्मों को लाइसेन्स दे रहे हैं। आप राजस्थान के लिये मंगाते हैं तो ठीक बात है। लेकिन बाहर के लोगों को आप जब देते हैं तो यह पता नहीं चल पाता कि कितना माल मंगाया गया है, उसकी क्या कॉस्ट है। शारदा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को ४.६० हजार का कोटा दिया गया। शारदा इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता को १,७०,००० मशीनरी पार्ट्स के लिए दिया गया। एस० एस० आई. नं० २५, तारीख २४-१२-६१ बिरला मिल्स को ८० हजार, मुरलीधर झुंझुनूं वाला को १४८ टन टिन प्लेट्स का कोटा दिया। इस तरह की कई फर्म्स हैं जिनको लाइसेन्स दिया गया। उनके द्वारा बाहर से माल मंगाने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिये। नेशनल साइकिल्स वगैरह के लिये जो वायर आदि का कोटा मिलता है वह कितनी गाड़ियों के लिये मिलता है, कितनी साइकिलें बन रही हैं उसमें कितना माल लगता है, कितनी साइकिलें बेची, कितना सेल्स टैक्स चुकाया, माल ज्यादा मंगा लिया हो और थोड़ा माल बनाया हो या ब्लेक में बेच दिया हो, ये सब जांच करने पर मालूम हो सकता है। कितना माल मार्केट में आया और जो माल मार्केट में आया होगा उसका सेल्स टैक्स मिला या नहीं। इस तरह से सारा हिसाब हो सकता है। आज होता क्या है कि विभाग में भी ऐसे लोग घुस गये हैं जो देखते हैं अपनी कमाई के साथ साथ उनकी भी कमाई हो जाती है। इस तरह से मनमाने ढंग से लाइसेन्स दिया जाता है और ज्यादातर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो काम नहीं करते।

(१.३५ म. प.)

(श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

कोई लोग बाल्टियों के नाम से कोटा लेते हैं और वहां न तो बाल्टियां बनती हैं और न कुछ होता है। तो हमें इस प्रणाली के अन्दर एक आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको यह जांच करनी चाहिये कि कितने लाइसेन्स दिये, कितना माल आया, सेल्स टैक्स दिया या नहीं, इतना माल बनाया या नहीं, कितने आदमी काम करते हैं यह भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

देखा जाये । हमको देखना चाहिये कि कितने आदमी रोजगार पर लगे हैं। अगर किसी में दस लाख का काम होता है तो उसमें देखिये कि कितने मजदूर हैं । कोई तो अपने यहां ४० बताता है, कोई ६० बताता है और कोई १०० मजदूर बताता है । आखिर एक इन्डस्ट्री में कम से कम २,५००) रुपये लगने के बाद में एक आदमी को काम करना चाहिये और अगर किसी इन्डस्ट्री में १० लाख रुपया लगा है तो इतने आदमी तो कम से कम लगने ही चाहिये । आपकी एक नीति होनी चाहिये कि इतना पैसा लगा है तो उसमें इतने आदमी काम करने चाहिये । तो यह सारा ढांचा एक दूसरे के साथ सम्बन्धित है। इसकी हम ठीक तरह से जांच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं तो नतीजा यह होगा कि हम न तो ठीक तरह से विकास कर सकेंगे और न हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, न बेकार लोगों को काम मिलेगा । इसलिए जो मेरे दो कटमोशन्स थे उनके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ। हमें गम्भीरता के साथ इसको देखना चाहिये ।

यह लिस्ट बहुत लम्बी है कि कब कब कितने लोगों को लाइसेन्स दिया गया, बाहर से माल मंगाने के लिये । इसको सरकार खुद देख ले कि कितने इम्पोर्ट लाइसेन्स दिये गये हैं और कितना माल आया है और उसके बाद में उसकी चीजें कितनी बन सकती हैं इसकी जांच करली जाये और चीज बनी या नहीं तो पता होगा कि आपकी करोड़ों की सम्पत्ति बेकार जा रही है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो इसका सही उपयोग करने के लिये मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी जांच की जाये और इसके लिए फिर से अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की कृपा करें ताकि हमारे उद्योगों का विकास हो सके । इन्हीं लफ्जों के साथ जो दो कटौती के प्रस्ताव हैं उनको रखता हूँ ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मेरा तीसरा प्रस्ताव वेनायल एण्ड केमिकल वर्क्स लि०, कोटा को कम रेट में बिजली देकर राज्य कोष में होने वाले नुकसान की ओर है । इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह बिड़ला कन्सर्न है । ठीक बात है, कोटा में काम चलता है । १२ करोड़ का इनवेस्टमेंट है और चार करोड़ के करीब तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं आपको करेक्ट कर दूं कि यह बिड़ला कन्सर्न नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इतना बतला दें कि किसका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह डी०सी० एम० वाले श्रीराम हैं उनका है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें भी तो बिड़ला ही हैं। खैर....

श्री सभापति : थोड़ा समय का आप विचार रखें । १५ मिनट तो ले चुके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं ५ मिनट हर कटमोशन पर ले रहा हूँ ।

तो इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार बिजली के बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करती है और उस नीति के आधार पर ही बिजली देती है । राज्य सरकार ने उसको ३ न. पैसे पर युनिट बिजली दी और सरकार का अगस्त, १९६१ का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ८. ३२ न. पैसे यानि ९ न. पैसे के अन्तर्गत बिजली देती है । यह सरकार का नोटिफिकेशन है और सारे उद्योगों के लिए सरकार ने एक नीति निर्धारित की कि बिजली हमको ८.३२ न. पैसे के हिसाब से देनी है वहां सिर्फ ३ न. पैसे के हिसाब से इस कन्सर्न को देती है । २५,००० किलोवाट बिजली इस कन्सर्न को दी जाती है । इस प्रकार से उसमें आप हिसाब लगायें कि आपको कितना नुकसान होता है । जहां सरकार का नोटिफिकेशन है कि इतने से कम रेट पर बिजली नहीं दी जायेगी उस नोटिफिकेशन के खिलाफ ऐसा आप करते हैं । अगर यह पहले कर देते तो बात दूसरी थी, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद आप ३ न. पैसे के हिसाब से देते हैं और उसका पूरा हिसाब लगायेंगे तो उससे १८ लाख रुपयों का नुकसान राज्य के खजाने को होता है । तो आप १८ लाख रुपयों का किसी व्यक्ति विशेष को मुनाफा देते हैं तो क्यों नहीं आपकी तरफ से मांग आये तो वे ५ लाख रुपया चन्दा का दे सकते हैं ? तो चुनावों में दे सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से दे सकते हैं । तो इस तरह से हर जगह सुविधा देकर जो नया रास्ता आप खोल रहे हैं और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं उसको चेक-अप करना चाहिये । इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बिजली आप जेनरेट करते हैं उसके ऊपर ४ न. पैसे तक खर्च लगता है और जेनरेट होने के खर्च से भी कम में आप उनको देते हैं । इस प्रकार से जेनरेट होने के भी १ न. पैसा कम में बिजली देते हैं तो आपको ऐसा लाभ एक व्यक्ति विशेष को देने से क्या फायदा ? एक ओर तो आप दूसरों के ऊपर बिजली पर टैक्स बढ़ाते हैं और दूसरी ओर एक केपिटलिस्ट को जनरेटिंग होने की रेट से भी कम में बिजली देते हैं और लाखों रुपयों का नुकसान खजाने को करते हैं । तो यह कौनसी संधि है ? हम तो यही कहेंगे कि कुछ अपने स्वार्थों के लिए सारी जनता को नुकसान पहुंचाने की बात है । तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नीति को समाप्त करना चाहिए । इस तरह से आपके करने का नतीजा यह होता है कि दूसरी इन्डस्ट्रीज़ जो मुकाबले में खड़ी होती हैं टिक नहीं पाती और बहानेबाजी करते हैं कि अपने इस इन्डस्ट्रीज को इतनी रेट से बिजली दी और हमको इतने में दी है, इस कारण से हम इतने घाटे में रह गये । इस तरह से आपका धीरे धीरे रुपया डूबेगा । तो नाना प्रकार की बातें हो सकती हैं । इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा मन्त्री महोदय से कि जो इस प्रकार की हमारी पक्षपात की नीति है इसको समाप्त करना चाहिए और इस प्रकार से जो राज्य के खजाने में नुकसान पहुंचाने की नीति है और एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की नीति है यह केपिटलिस्ट नीति हो सकती है, यह समान न्याय की नीति नहीं हो सकती, यह सोशियलिस्टिक नीति नहीं हो सकती । ठीक है, उद्योगों के लिए हमें कुछ सुविधायें देनी चाहिए । लेकिन उसकी नीति स्पष्ट होनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिए, सब के लिए समान होनी चाहिए। अगर यह होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा....

इसके अतिरिक्त मेरे दो-तीन कटौती प्रस्ताव और हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उद्योगों के सम्बन्ध में राज्य की नीति में परिवर्तन आना चाहिए। एक ओर तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को आप इतनी सुविधायें देते हैं जिससे सरकारी खजाने को इतना नुकसान पहुंचता है तो समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि ऐसी योजना बना कर कुछ उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में चलाये। आज राजस्थान में पब्लिक सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। उस ओर सरकार का ध्यान कतई नहीं है। पब्लिक सेक्टर में हमारे यहां पर पलाना को ओपन कास्ट माइनिंग को करने का सवाल है। वह आज तक बराबर ५ साल से लगातार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में पब्लिक सेक्टर में फर्टीलाइज़र फैक्टरी का सवाल है और सरकार कहती थी कि सरकार उसको खुद खोलेगी, लेकिन उसको भी लम्बा कर दिया और मैं तो कहूँगा कि सरकार की पब्लिक सेक्टर में कोई काम करने की नीति नहीं है। वह जो हमारे यहां पर असंतुलित औद्योगिक व्यवस्था चल रही है उसके अन्दर आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा और मैं मांग करता हूं कि पब्लिक सेक्टर में जिन बुनियादी उद्योगों को खोलना चाहिए उनको आप खोलें। तो उसी प्रकार से हनुमानगढ में फर्टीलाइजर फैक्टरी खोलनी चाहिये। मैं कहूँगा कि उसमें विलम्ब हो रहा है। पलाना की ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में तो मेरा ऐसा दिमाग बना हुआ है कि सरकार उसे करेगी भी या नहीं। लेकिन ऐसे मूलभूत उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में खोलना चाहिये और प्राइवेट पार्टीज को लोन देते हैं इससे तो ज्यादा अच्छा यह है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये हम बार बार मुख्य मन्त्रीजी से अर्ज करेंगे कि बीकानेर में ग्लास फैक्टरी बन्द पड़ी है उसको खोलना चाहिए। सरकार का खुद का ४०,००० रुपया उनकी तरफ है। सरकार ने खुद उनको जमीन दी कि लो जमीन को तुम लो। उनको सुविधाएं दी, फिर फैक्टरी खुली और आपस में झगड़े के कारण दोनों पार हो गए। नतीजा यह हुआ कि सरकारी पैसा उसमें रह गया। सरकार कम से कम अपने पैसे का व्याज लगाये तो वह भी लाखों रुपया होता है। अगर सरकार फौरन कार्यवाही करे तो सरकार अपने कब्जे में उसको कर सकती है और कब्जे में करने के बाद में वहां पर ग्लास फैक्टरी को खोल सकती है। सरकार को बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिये सोचना पड़ेगा कि जो उद्योग पहले चलते थे उनको आज क्यों नहीं चलाया जा सकता।

भीलवाड़े के सम्बन्ध में अभी मेरा कटमोशन है। मैं उससे भी साथ में जोड़ देता हूँ। भीलवाड़े की मिल का जहां तक सवाल है, भीलवाड़े में सरकार ने उस उद्योग को अपने हाथ में लिया। उसके लिए कानून बनाया और उस कानून के अन्तर्गत मजदूरों को सुविधायें मिलती हैं उनको समाप्त करके भी सरकार ने लिया। मुझे खुशी है कि जो मिल—मालिक पहले एक प्राइवेट पार्टी थी, जो उसको चलाता था और सरकार से पैसा लेकर चलाता था लाखों रुपया आपने उसको दिया

Page No. 59

(श्री मुरलीधर व्यास)

था, लेकिन वह उसका दुरूपयोग करता था और दुरुपयोग का नतीजा यह हुआ मेवाड़ टैक्स्टाइल मिल और ब्यावर की दूसरी मिल है, इन दोनों मिलों में घाटा आने लगा और सरकार ने उनको लिया और लेने के बाद में, मुझे इस बात की खुशी है कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं देखता हूँ कि उसमें मुनाफा हो रहा है। कितना, किस आधार पर हो रहा है, उसका एक मात्र कारण यह है कि मजदूरों से ओवरलोड लिया जाता है, काम ज्यादा लिया जाता है और पूरी सुविधायें नहीं दी जाती हैं और आज उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज करीब जो २० लाख का घाटा हो चुका था मिल के अन्दर उसमें करीब २-३ सालों में १७-१८ लाख का कर्जा आपने चुकाया है। चुकाया है या नहीं, लेकिन उसकी हालत यह आ गई कि गये साल में ६,८०,००० का मुनाफा उस मिल को रहा। जब एक मिल को एक साल के अन्दर सरकार अपने कब्जे में लेती है और ६,८०,००० की उसके अन्दर कमाई होती है, इससे स्पष्ट है कि जो मालिक पहले इसको चलाता था वह गड़बड़ करता था, हमारा पैसा डूबता था और सरकार ने इस बात को अपने हाथ में लिया तो इससे स्पष्ट हुआ कि पब्लिक सेक्टर में कोई काम प्रारम्भ करेंगे तो उसका लाभ अच्छा मिलेगा। इसलिये सरकार की नीति स्पष्ट बन जानी चाहिये कि हमें पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये और भीलवाड़े में जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज़ का कानून बनाया था १९६० में उस कानून के अन्तर्गत लाभ मिला। आज उसकी स्थिति ठीक हो गई है। तो अब सरकार को चाहिए कि जब मालिक हमारी सरकार ही है तो वह रहे और उस कानून को, क्योंकि सरकार हमारी समाजवादी है, जो कि मजदूरों पर प्रहार करनेवाला है उस कानून को हटा लेना चाहिए। नहीं तो नतीजा यह होगा कि आज जो फायदा नजर आ रहा है वह नहीं रहेगा और दो साल के अन्दर दूसरे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें घुस जायेंगे, मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा अफसर वहां पर बढा दिये गये हैं और इन ६ महीनों से बढने प्रारम्भ हो गये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि अफसर ज्यादा हो जायेंगे और प्रोफिट कम हो जायगा, जिसका भार मजदूरों पर पड़ेगा। एक मिल दे दिया है रामेश्वरजी टांटिया को जिसके लिए कानून था, वही मिल प्राइवेट पार्टी को दे दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक प्राइवेट पार्टी उस मिल को चलाती है और जैसा आप लाभ उठा रहे हैं उसी प्रकार से लाखों रुपया उस प्राइवेट पार्टी को मिल रहा है। आज जब कि एक कानून आप राजस्थान सरकार के दृष्टिकोण से बनाते हैं और प्राइवेट पार्टी को कानून बनाकर मजदूरों के शोषण का अधिकार देते हैं कि शोषण के बल पर तू कमा कर खा। इस प्रकार के अधिकारों से मजदूरों को वंचित किया जाता है। उनके मूलभूत अधिकारों के लिये प्रार्थना करूंगा कि अब तो राजस्थान सरकार को इस नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और पब्लिक अन्डरटेकिंग के मातहत जिन मिलों की व्यवस्था अपने हाथ में, ली वह ठीक बात है, लेकिन साथ ही साथ जिस कानून के जरिये मजदूरों का शोषण होता है वह समाप्त होना चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मजदूरों के जितने कानून हैं वह दूसरे कारखानों पर लागू होते हैं वे यहां भी लागू होने चाहिए और जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वे यहां भी मिलनी चाहिए और यह एक्ट समाप्त होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

और आपने जो लाखों रुपया कमाया है तो बोनस मिलना चाहिये। आज वहां का मजदूर हड़ताल पर है। लाखों रूपया जब दूसरी फर्में कमावें तो उनको बोनस देना पड़ेगा। वहां वे मजदूर हमारे अन्तर्गत भूख-हड़ताल करें और मांग करें कि बोनस मिलना चाहिए और हम लाखों रुपया कमा कर भी बोनस नहीं देते हैं और वहां पर भूख-हड़ताल चल रही है ! मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी जो अपने आपको समाजवादी हर जगह पर कहते हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि भीलवाड़े में बिना भूख-हड़ताल के ही ढाई महीने के बोनस का फैसला कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कर दिया है तो यह भी घोषणा कर दें कि इतना लाभ हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप बधाई के पात्र हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मजदूरों के लिए जो कानून रखा है उस कानून को हटा देना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है........

श्री सभापति : काफी समय हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं २ मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : अच्छा, दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे ५-६ कट मोशन्स थे उनको एक साथ रखने की मैंने कोशिश की है ताकि ज्यादा समय नहीं लगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिये कि अध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था है कि १५ मिनट से अधिक समय नहीं लिया जाय, चाहे जितने कटमोशन हों। उसका खयाल रखा जाय तो अच्छा रहेगा, ताकि दूसरे भी बोल सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सभापति महोदय, जो मेरा कटौती प्रस्ताव था वह खास तौर से ग्लास फैक्टरी के लिए ही था, क्योंकि उसके अन्तर्गत बातचीत में में ये सब बातें आ गई हैं। मैं खास तौर से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि ठीक बात है कि १० साल के अन्दर भी बीकानेर में कोई उद्योग ऐसा नहीं खोल पाये। यह दूसरा प्लान है और दूसरी योजना के अन्तर्गत बीकानेर में एक पार्टी के ऊपर पैसा है, वह पार्टी पैसा नहीं देती है और कारखाना इस प्रकार से बन्द पड़ा है, उससे नुकसान होता है तो सरकार को फौरन उसके खिलाफ कार्यवाही करके कब्जे में करना चाहिए। और उस इन्डस्ट्री को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

म्युनिसिपैलिटी के जरिये उसको करवाइये। म्युनिसिपैलिटी को आप लोन दीजिये, जब कि दूसरे लोगों को पैसा देते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी की मार्फत उसको चलाइये ताकि नगरपालिका इन्डस्ट्री चलाये, नये प्रकार की व्यवस्था करे, ताकि हजारों लोग जो बेकार हैं उनकी समस्या हल हो सके। वहां पर किसी स्थान पर कोई उद्योग नहीं खोला है इन १०-१५ सालों में तो उससे उनको यह होगा कि लाखों रुपये खर्च करके बड़े बड़े काम करते हैं उससे किसी प्रकार का सन्तोष नहीं मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा बड़ा उद्योग बीकानेर शहर में जो डिवीज़न का हैडक्वार्टर है, जब कि इतना बड़ा उद्योग इतने सालों से नहीं खुला है तो इसको ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस ग्लास फैक्टरी को अपने पास लेकर उसको चलाने का प्रयत्न करें। वहां पर सारी बातों की व्यवस्था है। अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस ओर ध्यान दें तो बीकानेर की जनता को काफी राहत मिलेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे ११ कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं ऊन उद्योग के सम्बन्ध में जो मेरा कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा।

सभापति महोदय, हमारी भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार की यह नीति है कि हम विकास योजना में जो इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं उन हिस्सों पर अधिक ध्यान दें। लेकिन जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, इसके बारे में राजस्थान सरकार भी यह मानती है कि हमें राज्य के पिछड़े हुए इलाकों की ओर ध्यान देकर उन्हें दूसरे इलाकों के बराबर लाना है। लेकिन व्यवहार में, सभापति महोदय, हमारा अनुभव दूसरा ही रहा है। आज जहां तक बीकानेर का प्रश्न है, यह हमारे राजस्थान का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन यहां पर इस इलाके में जहां तक औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं हैं, सभापति महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां उस इलाके में ऐसा रॉ मेटीरियल प्राप्त होता है, जैसे खास तौर से ऊन के बारे में। तो ऊन का जहां तक प्रश्न है उस इलाके में हिन्दुस्तान में सबसे अधिक मात्रा में ऊन उपजती है। लेकिन इतना होते हुए भी वहां ऊन पर डिपेन्ड करने वाली कोई भी इन्डस्ट्री राजस्थान सरकार की ओर से अथवा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से डेवेलप नहीं की जा सकी है। सभापति महोदय, यह एक मानी हुई बात है और इस बारे में सब एकमत हैं कि बीकानेर के ऊनी कारपेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। वैसे ही नापासर की लोइयां हिन्दुस्तान में मशहूर हैं। इन सब बातों के होते हुए भी जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है, इन पिछले दस वर्षों में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के बारे में क्या किया? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि आज अगर बीकानेर में ऊन फिनिशिंग प्लान्ट हो जाय तो ऊन की इन्डस्ट्री को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है।

(२.० म. प.)

पानीपत या दूसरी जगह ऊन का प्रोडक्शन होता है। लाल इमली के जो कम्बल हैं उसी तरह

(श्री भीमसेन)

का प्रोडक्शन बीकानेर के लोग कर सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय, उनको प्रोत्साहन देने की बात है। राजस्थान सरकार ने पिछले १० वर्षों में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में ऊन का फिनिशिंग प्लान्ट शीघ्रातिशीघ्र लगावें। ऊन के फिनिशिंग गुड्स के डाइंग की व्यवस्था करें। यदि सरकार खुद नहीं कर सकती है तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये लगा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि चाहे जिस तरीके से भी हो, इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

दूसरा, बीकानेर में चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहां पर एक टेनरी स्थापित की जानी चाहिये। सुना है कि झालावाड़ में टेनरी स्थापित की जायगी। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जहां पशुओं की संख्या अधिक है वहां प्रोत्साहन नहीं देकर दूसरी जगह कैसे दिया जाता है? मुझे झालावाड़ से कोई द्वेष नहीं है, वहां हो तो मुझे आपत्ति नहीं है; लेकिन बीकानेर में ऊन उद्योग और चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है।

मैं पलाना के बारे में कहना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में १।। करोड़ रुपये रखे गये थे और दूसरी योजना में २ करोड़ रुपये रखे गये थे, वे यों ही चले गये। अब तीसरी योजना चल रही है। राजस्थान सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट्स कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी रिपोर्ट जुलाई, ५६ में प्रस्तुत की जा चुकी है। उसकी तीन रिकमन्डेन्स थीं। पहली रिकमन्डेशन यह थी कि गेसीफिकेशन प्लान्ट लगाया जाय और पॉवर जनरेट किया जाय। उसके लिये यू० एस० एस० आर० या यू० के० से एक्सपर्ट बुलाये जायं और उनकी राय ली जाय।

दूसरी रिकमन्डेशन यह थी कि सेन्ट्रल कोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट जो है वहां के एक्सपर्ट्स की राय ली जाय कि लिग्नाइट से कौन कौनसी इन्डस्ट्रीज़ हो सकती हैं। डीजल ऑयल का प्रोडक्शन हो सकता है, ब्रिकेटिंग प्लान्ट लगाया जा सकता है इस तरह का संकेत किया था। लेकिन सरकार ने उस ओर कोई कदम नहीं उठाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए इलाके में जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिनको आगे ले जा सकते हैं उनके बारे में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने जो नीति अपनाई है वह ढिलमिल रही है।

इसके अलावा मुझे लूणकरणसर में सॉल्ट इन्डस्ट्री को डेवेलप करने के बारे में निवेदन करना है। वहां पर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड को जो लीज़ दी गई है उसमें एक शर्त यह थी कि वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। आज लीज़ लिये १० वर्ष हो गये, लेकिन फैक्टरी लगाने के लिये वह कम्पनी टालमटोल कर रही है और इधर उधर का बहाना बना कर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी नहीं खोल रहो है। लीज़ में शर्त है कि वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूगा कि या तो लीज को कैन्सिल किया जाय, कोपरेटिव बेसिस पर दूसरे लोग उसे लेने को तैयार हैं। मैं सूचना

(श्री भीमसेन)

के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सेलेनाइट से बीकानेर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बीकानेर में इसकी फैक्ट्री खुल सकती है तो कोई कारण नहीं है कि लूणकरणसर में जहां कि रॉ मेटीरियल उपलब्ध है, वहां नहीं खोली जा सकती।

इसके अलावा सभापति महोदय, बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड है जो लाखों टन जिप्सम निकालती है और बाहर भेजती है, बंगाल में फर्टीलाइजर आदि के लिये। जहां तक कम्पनी का सवाल है, वह माइन्स को इस ढंग से ऑपरेट करती है कि हमारी जो नेशनल वैल्थ है उसको बरबाद किया जाता है। ऊपर से मेटीरियल निकाल लेते हैं और गहराई में नीचे के जो डिपोजिट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। उनकी मनोवृत्ति अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की है। लेकिन जहां तक नेशनल वैल्थ के दुरूपयोग करने का सवाल है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कम्पनी में सरकार के ४९ परसेन्ट शेयर हैं। यदि सरकार अपने शेयर २ परसेन्ट और बढ़ा लेती है और इस कम्पनी का नेशनेलाइजेशन करके सरकार अपने हाथ में ले ले तो नेशनल वैल्थ की बरबादी रुक सकती है और लेबर के नाम पर जो लोगों की शोचनीय अवस्था है उसमें सुधार हो सकता है। इसी तरह से इस कम्पनी ने इलेक्शन में अपनी ओर से केन्डीडेट खड़े कर दिये थे कम्पनी की जीप्स काम में लाई गई और दो महीनों तक सैकड़ों कर्मचारियों ने काम किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि गवर्नमेन्ट के ४९ परसेन्ट शेयर्स इस कम्पनी में हैं तो गवर्नमेन्ट के डाइरेक्टर्स ने इस इन्डस्ट्री को वाच करने के लिये क्या किया?

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस बोर्ड का कम्पोजीशन ऐसा है कि इसके जो बहुत से मेम्बर्स हैं वे रीजनल इन्ट्रेस्ट से काम करते हैं। आज बीकानेर की ऊन के प्रोडक्शन के मामले में कोई भी राजस्थान में बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन खादी बोर्ड में बीकानेर का कोई भी मेम्बर नहीं है और जहां बीकानेर में वूल प्लान्ट लगाने का प्रश्न आता है तो जयपुर और उसके इर्द गिर्द के ज्यादा लोग जो इसके सदस्य हैं वे चाहते हैं कि इस तरह का प्लान्ट बीकानेर में न होकर जयपुर में हो जावे। यह सोचने की बात है, जहां अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिये खादी बोर्ड के पास ७ लाख का प्रोविजन था पिछले बजट में। लेकिन क्योंकि बोर्ड के सदस्य इसे जयपुर में लगाना चाहते थे और बीकानेर का राइटफुल क्लेम था, इस तरह के आपसी झगड़े के कारण वह रकम लैप्स हो गई और लोगों को जो लाभ मिलनेवाला था वह नहीं मिल सका।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के द्वारा वूल फिनिशिंग प्लान्ट और डाइंग प्लान्ट की व्यवस्था तुरन्त करवानी चाहिये ताकि उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

एक मेरा कट मोशन है फुलर्स एक्टिवाइजेशन प्लान्ट के लिये। इसमें राजस्थान

(श्री भीमसेन)

सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११ लाख रुपयों का प्रावधान था। दूसरी योजना में भी यह प्रावधान रखा गया था। लेकिन इस फुलर्स एक्टिवाइजेशन प्लान्ट के लिये कोई कदम नहीं उठाया। सरकार कह सकती है कि इस मुलतानी मिट्टी की जांच कराई और उसका नतीजा क्या हुआ, यह सरकार ही बता सकती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट्स के बारे में जहां तक प्रश्न है, आप उनकी ओपीनियन इधर या उधर दोनों ही तरफ ले सकते हैं। आज डालडा के बारे में जिस तरह से एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है कि इसे खाने से हैल्थ पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन असर वास्तव में पड़ता है। इसी तरह से फुलर्स एक्टिवाइजेशन की जांच कराई और उन एक्सपर्ट्स ने ऐसी ओपीनियन दे दी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरे एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाई जावे। इससे लोगों को रोजी मिल सकती है, उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकता है और सरकार की जो बार बार आलोचना की जाती है, बीकानेर की तरफ से और दूसरी तरफ से आक्षेप किये जाते हैं, यदि सरकार तत्परता से कदम उठाये तो आलोचना सुनने का मौका नहीं मिलेगा।

इसके अलावा मैंने एक कट मोशन लूणकरणसर में सॉल्ट इन्डस्ट्री को पुनः चालू करने के लिये रखा है। बीकानेर स्टेट के टाइम में प्रतिवर्ष १ लाख टन नमक तैयार किया जाता था। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और बीकानेर गवर्नमेन्ट के आपस में समझौता हो जाने के कारण नमक-उद्योग बंद कर दिया गया था और अब भी समाप्त पड़ा है। उसको प्रोत्साहन दें तो काफी लोगों को रोजी मिल सकती है और नमक की मांग की भी पूर्ति की जा सकती है।

सभापति महोदय, तहसील लूणकरणसर और बीकानेर के आसपास ऐसे कस्बे हैं और ऐसे गांव हैं, जहां काफी संख्या में बुनकर रहते हैं। लेकिन उनके लिए कोई काम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गांवों के बुनकरों को वित्तीय सहायता दी जाय और वहां के बुनकरों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से सहायता दी जाय।

इस पिछले वर्ष में चर्म उत्पादक सहकारी समितियां बनाई गई हैं। खास तौर से खिवेरा में चर्म उत्पादक सहकारी समिति बनाई। लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता लोन के रूप में या सब्सिडी के रूप में नहीं दी गई है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कहना चाहूँगा कि सरकार इस ओर तुरन्त कदम उठाये।

तो इस तरह से, माननीय सभापति जी, मैंने यह मेरे कटौती प्रस्ताव सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और बीकानेर के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको उद्योग-धन्धों में प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार सक्रिय कदम उठायेगी।

श्री सभापति : श्री कुमारानन्द।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कट मोशन ब्यावर को

(श्री कुमारानन्द)

औद्योगिक शहर, औद्योगिक नगर घोषित करने के बारे में है। आज करीब डेढ साल का अर्सा हो गया है, माननीय धारीवाल वहां गये थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्यावर को औद्योगिक शहर घोषित कर दिया जाय, लेकिन आज डेढ साल बीत गया है, उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और माननीय सभापति महोदय, जैसा आपको मालूम है, और शायद मैं कहूं तो हमारे उद्योग मंत्री को यह बुरा मालूम होगा, लेकिन ब्यावर और अजमेर के लोगों की यह धारणा है कि अजमेर-मेरवाड़ा राजस्थान में मिलने के बाद इनके साथ सौतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है और राजस्थान के हाकिम यह समझते हैं as if they have conquered Ajmer and Merwara. और नहीं तो इस डेढ साल में जब औद्योगिक शहरों की घोषणा की है और और जगह के लिये राजस्थान में वहां ब्यावर में डेढ साल हुए औद्योगिक शहर की घोषणा की लेकिन उस दिशा में कुछ भी कदम नहीं उठाया गया है। इतना ही नहीं, ब्यावर में जो लोहार काम करते हैं उनको लोहा भी उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर अजमेर से आता है और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ब्यावर में बिजनेस सेन्टर से भी लोहा मिल सकता था लेकिन वह कॉन्ट्रैक्टर आता है ब्यावर और उसके जरिये से लोहारों को लोहा मिलना है।

ब्यावर में रंगरेजी का काम भी अच्छा होता है। ब्यावर इस काम के लिए इंडिया में फेमस है। उनको मदद मिले तो रंगरेजी का काम अच्छा हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे ब्यावर में होते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग धन्धे बहुत हैं जो शुरू किये जा सकते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि बिजली और पानी जब तक नहीं मिलता है तब तक उद्योग शुरू नहीं हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हेवी इन्डस्ट्री के लिए बिजली और पानी की जरूरत है। लेकिन छोटे छोटे बहुत से उद्योग हैं जिनके लिए हमारी सरकार चाहती तो ब्यावर के वे उद्योग आज तक तरक्की के रास्ते में काफी आगे बढ़ सकते थे। हमारी राजस्थान सरकार का सबसे पहला डिफेक्ट यह है कि जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनकी तरफ जब तक ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक उद्योग धन्धों में ब्यावर तो क्या राजस्थान में कहीं भी तरक्की नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान में इन्डेक्स नम्बर मालूम नहीं है, राजस्थान सरकार नहीं बतला सकती इन्डेक्स नम्बर, इन्डेक्स नम्बर आज तक नहीं निकाला है, कहीं नहीं निकाला है। केवल बड़ी इन्डस्ट्री में निकाला है, वह भी इसलिए कि एक कमेटी बनी हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा में भी नहीं निकाला है इन्डक्स नम्बर। यह हमारी हालत है।

मैं आपसे कहता हूं कि ब्यावर में तीन मिलें हैं। इन तीन मिलों से काफी आमदनी हो सकती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि ब्यावर शहर के साथ अन्याय किया है। ब्यावर में आपने एडवर्ड मिल के लिए एक ऑर्डीनेन्स निकाला। ऐसा ऑर्डीनेन्स जो हमने अभी तक लेबर लॉ में नहीं सुना है कि इस तरह का ऑर्डीनेन्स लागू हो सकता है। लेकिन आपने ब्यावर में

(श्री कुमारानन्द)

लगाया है। खैर, उस मिल को आपने लिया हमारे आपत्ति करने के बाद भी । उसके जो सरकारी ऑफिसर थे, उनके समय में जो सारी आमदनी थी वह साढ़े पांच लाख की आमदनी थी, इस मिल की। लेकिन उसके बाद प्राइवेट हाथ में दे दिया जिसके कारण अब मिल बन्द होने वाला है। अभी हमने डिमान्ड की है, एडवर्ड मिल के लेबर ने डिमान्ड की है कि इस एडवर्ड मिल को सरकार ले ले। हमने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है। इसी तरह कृष्णा मिल है, इसी तरह से महालक्ष्मी मिल है। इन तीनों मिलों को ठीक तरह से चलायें तो काफी आमदनी हो सकती है जिससे ब्यावर को और ब्यावर के उद्योग-धन्धों को फायदा हो सकता है। आपने ऐसा नहीं किया। आपने उल्टा किया है कि हमारे मजदूरों पर, हम पर और हमारे केसरीमल पर अन्याय किया, जो जब १९३६ में गोली चली थी तब १९३६ में एक अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। हमने उस वक्त भी कहा था कि ब्यावर शहर का उद्योग-धन्धा चौपट हो रहा है। कुछ स्वार्थी लोग मालिकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीनों मिलों में काफी आमदनी हो सकती है। लेकिन आज ये मिल बेकार हो रही हैं। इन मिलों में ब्यावर में पहले साढ़े पांच हजार मजदूर थे, अब वहां बड़ी मुश्किल से साढ़े तीन हजार मजदूर होंगे। बड़ा औद्योगिक शहर बना रहे हैं ब्यावर को!

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि Beawar is an important wool export centre in India. उनको प्रोत्साहन दिया जाय तो ब्यावर में ऊन का मिल आप खोल सकते हैं। आप कहते हैं कि पानी नहीं है। हमने आपके सामने रखा था प्लान कि एक नाला है ब्यावर से करीब बीस, बाइस मील पर, उसमें करीब ४० लाख रुपये लगा और उसमें खर्च करने पर अगर ब्यावर में उस नाले के पानी को काम में लायें तो आपके जवाजा, फूलसागर, कालिंज, राजावास और मकरेरा होता हुआ ब्यावर में काफी पानी आ सकता है और इर्रीगेशन के मामले में भी वहां के लोगों को फायदा मिल सकता है, जिससे जमीन में पैदावार हो सकती है और ब्यावर को औद्योगिक शहर बनाने के लिए पानी और बिजली मिल सकती है। लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी कल ब्यावर के लोग आये थे, वे कहते थे, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए कहते थे, मैं वे शब्द नहीं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि ब्यावर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ब्यावर को बहुत तुच्छ करते हैं, ब्यावर और अजमेर राजस्थान में मिलने के बाद उद्योग धन्धों के मामले में चौपट हो गये हैं। यह वे लोग कहते हैं। कल वे लोग आये थे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ब्यावर में आप चाहें तो ग्लास फैक्ट्री खोल सकते हैं, ब्यावर में आप चाहें तो और और फैक्ट्री खोल सकते हैं। आज डेढ़ साल से ब्यावर में एक बटन फैक्ट्री बन्द पड़ी हुई है।

हमारे यहां बटन फैक्ट्री नन्दलाल ने लगाई। राजस्थान सरकार को उसने मदद के लिये प्रार्थनापत्र दिया। कम्युनिस्टों को मदद नहीं दी गई और वह बटन फैक्ट्री आज दो

(श्री कुमारानन्द)

साल से बन्द पड़ी है। मैं नहीं समझता कि आप किस तरह से ब्यावर को औद्योगिक शहर बनायेंगे और आपने उसको डिक्लेयर किया है। वह तो अभी तक ज्यों का त्यों है। इसलिये मैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। घंटी भी बजती है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहता हूं, इस सदन में कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूँ, स्पीकर साहब आप भी हमारे डिविजन के पास के हैं। हम अजमेर से ६ चुन कर आये हैं। पहले तो हम आपके अहाते में नहीं थे। अब हैं। ६ सदस्यों में से २॥ तो हमारे मिनिस्टर हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम ६ आदमियों की मीटिंग बुलावेंगे उसमें बुलाना चाहते हैं। मैं राजस्थान की दूसरी जगह की बात नहीं जानता हूँ। अजमेर के ६ आदमी हैं। वे चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हों लेकिन अजमेर की भलाई के लिये हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ६ आदमी मिल कर इसके लिये तय करेंगे कि अजमेर की भलाई कैसे हो सकती है। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अजमेर मेरवाड़ा का दूसरा चुनाव जो होगा उन चुनावों में आपको बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री से फिर कहना चाहता हूं कि ब्यावर को औद्योगिक शहर बनाइये और इसको औद्योगिक शहर बनाने के लिये तुरन्त मदद करनी चाहिये। बस, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : सभापति महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। वैसे हमारी सरकार की नीति देखी जाये तो है तो अच्छी और सरकार यह सोचती है कि हमारे प्रांत में ज्यादा से ज्यादा उद्योग चले तो हमारे प्रांत की गरीबी, भुखमरी और बेकारी दूर हो सकती है। जहां तक सरकार की यह नीति है यह बड़ी सुन्दर है और मुझे बहुत वर्ष पहले यह फिक्र था कि हमारे देश की गरीबी किस प्रकार से दूर होगी। उसका यह हल होगा। मगर मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जब यह प्रांत कृषि के आधार पर ही चलता था और कृषि को ही जीवन का एकमात्र आधार मानते थे तो उस समय घर में चार भाई होते थे वे सब अलग अलग उद्योग करते थे। एक खेती करता था, दूसरा पशुपालन का कार्य करता था, तीसरा गाड़ी आदि का काम करता था तो चौथा कपड़े आदि बनाने का काम या अन्य कोई काम करता था। लेकिन हुआ क्या है कि जब हमारी सरकार का ध्यान बड़े बड़े उद्योगों की तरफ गया है और इस वजह से गांवों में पहले जो कपड़ा बुना जाता था वह बन्द हो गया है। मिट्टी का जो काम खिलौने और दूसरी चीजें जो बनती थी वे बन्द हो गई। बांस का काम जो हमारे उधर बहुत हुआ करता था जिससे गांव में बेकारी नहीं होती थी वह बन्द हो गया। कई मजदूर जो बांस का काम करते थे वे बेकार हो गये। न उन लोगों के पास जमीन है, न वे लोग पढ़े लिखे हैं जो दूसरी जगह जाकर कम कर सकें। इसलिये बेकारी बढ़ती जा रही है। जमीन उनके पास

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

होती नहीं है जिस पर वे खेती कर सकें। ऐसी हालत में, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि सरकार का ध्यान बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगों की तरफ गया है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को छोटे छोटे उद्योगों की तरफ भी ध्यान लगाना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को चकमा देकर बड़े बड़े लोग इन्डस्ट्रीज के लिये सहायता ले लेते हैं। सरकार उन सौदागरों को जो बहुत चालाक होते हैं समझ नहीं सकती। वह उनको सहायता दे देती है, जो वे मांगते हैं। सरकार सादेपन में, भोलेपन में उनको सहायता दे देती है। सरकार उन चालाक सौदागरों की चालाकी नहीं समझ सकती और वह उनको लाइसेन्स दे देती है और कर्जा दे देती है और उनको उद्योगपति बनाने की सोचती है। सरकार यह सोचती है कि ये लोग ऐसे उद्योग लगायेंगे जिससे बेकारी दूर होगी। मगर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे व्यक्तियों को उद्योग का लाइसेन्स दिया जावे तो अनुचित नहीं होगा। मगर सरकार से गलत आदमी लोन ले लेते हैं और लोन किसलिये लेते हैं? जिस काम के लिये लेते हैं उसमें खर्च नहीं करते। जैसे किसी ने ५० हजार का लोन लिया। उसमें से वह पांच हजार की रकम सामान आदि में खर्च करेगा और ४५ हजार में अपना कर्जा चुका देगा और मकान बना लेगा व शादियें कर देगा और सरकार के अधिकारी जो भी उसको चैक करने के लिये जाते हैं उनको चाय पानी पिलाई और वह उस ५ हजार की टूटीफूटी मशीनरी को ५० हजार की बता देंगे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जो कर्जा दिया जाता है उसकी जांच करे कि आया जिस काम के लिये कर्जा दिया गया है वह उसी काम में खर्च हुआ है या नहीं और अगर नहीं हुआ है तो उन लोगों को जो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं उनको जेल के सींकचों में बन्द किया जाए। यदि सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाएगी तभी हमारे प्रान्त की उन्नति होगी और हमारा प्रान्त आगे बढ़ सकेगा। वही उद्योगपति जो सरकार से मदद लेता है कभी कभी चुनावों में सरकार को कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिये जब उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा तो कोई अच्छा कार्य नहीं होगा। सरकार पर कई उद्योगपति अपनी मोनोपोली समझते हैं। १० वर्ष पहले हमारे डिविजन में एक पत्तों का उद्योग है जो कई वर्षों से एक ही व्यक्ति के पास है और मोनोपोली है। दूसरे लोग उसके लिये बराबर कहते आ रहे हैं कि और आवाजें लगाते रहे हैं। पहले हमारे यहां एक भूतपूर्व एम. एल. ए. ने भी इसके लिये जिक्र किया था मगर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में, झालावाड़ जिले में, आज भी सरकार ने कोई उद्योग चालू नहीं किया।

मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। जिनके पास ड्राई काश्त करने का साधन था वह भी बन्द हो गया है। वहां पर बड़े जंगल हैं। वहां पर फर्नीचर का काम हो सकता है। चर्म उद्योग वहां पर चल सकते हैं, मगर इस तरफ सरकार

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

का ध्यान नहीं गया है। उधर झालावाड़ में पहले स्टेट के समय में मिट्टी के कप–तश्तरी वगैरह वहां के कुम्हार बहुत अच्छे तैयार करते थे, वह उद्योग भी मैं समझता हूँ कि सरकार का उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं देने से समाप्त हो गया है। अगर अब भी छोटे छोटे उद्योगों को पनपाया जावे तो बेकारी दूर हो जावेगी। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो बाहर से आदमी आवेंगे और बाहर के लोगों को सर्विस मिलेगी और हमारे यहां के लोग तो फिर भी दर दर के भिखारी ही रहेंगे। वे या तो उद्योगपतियों के मकान पर या गोदामों पर चौकीदारी का काम करेंगे या बेकार फिरेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि हमारे यहां छोटे छोटे उद्योगों को

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पनपावे, तभी हमारे प्रान्त की उन्नति हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, पिछले दिनों इस सदन में बजट पर बहस करते समय अपनी नॉनटैक्सेबल इन्कम किस प्रकार बढा सकते हैं, इस पर बोलते हुए मैंने डीडवाने के सोडियम सल्फेट कारखाने के बारे में जिक्र किया था। हमारी सरकार के पास राजकीय क्षेत्र में केवल एक यही कारखाना लगाने के लिये रह गया है। हनुमानगढ़ की फर्टीलाइजर फैक्टरी जो राजकीय क्षेत्र में लगाने की बात थी वह प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई और अब यह जो डीडवाने में सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाना है उसके सम्बन्ध में सरकार की बहुत ही उदासीनता की नीति है। सभापतिजी, आप इस पर विचार करेंगे और आपकी मार्फत सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू में यह स्कीम शुरू कर ली गई थी और इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पूरा समय व्यतीत हो गया, परन्तु यह कारखाना अभी तक चालू नहीं हुआ है।

जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, इस कारखाने पर हमें करीब साढ़े तीन लाख रुपया सालाना फॉरिन एक्सचेन्ज खर्च करना पड़ता है। भारतवर्ष में कोई इस किस्म का कारखाना नहीं है। फाइनेन्शियल तरीके से इसकी बहुत उपयोगिता है। मैंने निवेदन किया था कि यह कारखाना प्रोडक्शन करना शुरू कर दे तो इस पर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ६८ रुपया फी टन पड़ती है; ६८ रुपया फी टन के हिसाब से सोडियम सल्फेट तैयार हो सकता है; जब कि इस समय जो सोडियम सल्फेट विदेशों से मंगाते हैं उसकी मार्केट वैल्यू २८५ रुपया फी टन कही जाती है। इतना बड़ा मार्जिन है जिसमें कि हमारे स्टेट एक्सचेकर को बहुत बड़ा मुनाफा कर सकते हैं और वह अभी हम विदेशों से मंगा कर एक और अपने फॉरिन एक्सचेन्ज को खराब कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे स्टेट एक्सचेकर को बड़े लाभ से वंचित कर रहे हैं।

मेरा इस कट मोशन को लाने से मकसद यह है कि जिस गति से सरकार इस कारखाने को लागू करने में, चालू करने में प्रयत्नशील है, वह नाकाफी है, असन्तोषजनक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और सरकार द्वारा इस मामले में क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरता जा रहा है, यदि यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले तीन साल पहले मशीनरी मंगाने के लिये फॉरेन एक्सचेंज मंजूर हुआ, ८ महीने पहले वह मशीनरी यहां आ गई। इसके लिये सरकार ने बिल्डिंग बनाने का काम भी पहले शुरू नहीं किया। मशीनरी आ गई तो अभी ३ महीने पहले इसकी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ है। पिछली साल बजट में खुद सरकार ने ८ लाख रुपया मुनाफा इससे अनुमानित किया था और अगर हमारे यहां यह कारखाना चालू हो जाता तो हमको यह मुनाफा मिल जाता और इस साल हम और कहीं अधिक आगे बढ़ जाते। २० हजार टन की कैपेसिटी का यह कारखाना लगने वाला है। अब भी सरकार ने बजट प्रोविजन इसके लिये साढ़े आठ लाख का किया है। आशा करें कि सरकार अधिक प्रयत्नशील रहेगी पर जितना इसका पिछला रेकॉर्ड रहा है उसके बारे में यह सदन नेग्लिजेंट नहीं हो सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि तमाम पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्रीज को, क्योंकि इसे पहली बार ले रहे हैं, इसकी देखभाल करने के लिये, पीरियोडिकल देखने के लिये, जांच करने के लिये सदन की एक स्टेन्डिंग कमेटी बनाई जानी चाहिये जिसके सामने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पीरियोडिकली आती रहे, ताकि हमारे प्रान्त के विकास के लिये इतने आवश्यक उद्योग हैं उनके बारे में हम ज्यादा सजग रह सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी, जो इसके इन्चार्ज हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव अलवर जिले के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता के बारे में है। शुरू में ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से और जिलों से आनेवाले माननीय सदस्यों की बातें सुनने को मिली, उससे ऐसा महसूस होता है और जो सत्य भी है कि राजस्थान सरकार वास्तव में हमारे प्रान्त के औद्योगिक विकास के प्रति उतनी सजग नहीं है जितना कि इसे सजग होना चाहिये। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि उद्योग भी प्रान्त के विकास के लिये आवश्यक होते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार का खुद का मानना है कि वह केवल इतना कर पाई है कि एक वातावरण लोग महसूस कर सकें कि उद्योग लगाने हैं तो कुछ रियायतों की घोषणा करके द्वितीय पंच वर्षीय योजना के इस ५ वर्ष के काल में वातावरण बना पाई है, कुछ अचीव कर लिया है, ऐसी सरकार की खुद की मान्यता रही है।

ऐसी हालत में जहां सरकार को हर जिले की औद्योगिक पोटेन्शियलिटी की जांच करवा कर वहां उन उद्योगों की शुरुआत करवा देनी चाहिये वह नहीं करवाया गया। इस बारे में हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों में सरकार के प्रति असंतोष है कि वहां की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दे कर सरकार ने वहां का किसी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं किया।

अलवर के बारे में मैं निवेदन करूं कि पुराना राज्य था राजशाही का उसने अपने आखिरी दिनों में, पहले तो कुछ नहीं किया पर आखिरी दिनों में कुछ समझ आई थी और अलवर के उद्योगों की तरफ कुछ ध्यान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया था। लिहाजा जिस समय वह राज्य खत्म हुआ तब एक टैक्सटाइल मिल वहां था, एक वहां पोर्सलेन फैक्टरी चल रही थी, एक पेन्ट फैक्टरी चल रही थी, एक कत्था फैक्टरी वहां चल रही थी और कुछ ऑइल मिल्स वहां चल रहे थे। पर अफसोस की बात है कि १५ वर्ष की स्वतन्त्रा में अलवर को यह मिला है कि वहां की टैक्सटाइल मिल में अब फसल बोई जाती है, दीवारें गिर गई हैं, बिल्डिंग बनी थी वह गिर गई है और अब वहां काश्त की जाती है।

यही हाल पोर्सलेन फैक्टरी का हुआ, भट्टी वर्षा वगैरह से खत्म हो गई। इसके बन्द होने का कारण यह था कि मालिकों में अर्थाभाव के कारण झगड़ा हो गया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह फैक्टरीज़ कब तक चल रही थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्सटाइल मिल का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग ही बनी थी। मत्स्य में इस मिल के शेयर होल्डर्स में आपस में झगड़ा हो गया था, मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी इस वजह से यों ही रह गया।

पोर्सलेन फैक्टरी, राजस्थान बना उसके बाद भी चलती थी। ५०–५१ में शायद यह पोर्सलेन फैक्टरी अर्थाभाव में बन्द हुई है। कत्था फैक्टरी भी अर्थाभाव में आपस में मुकदमेबाजी हुई और बन्द हो गई। सरकार यदि दिलचस्पी लेकर हस्तक्षेप करती तो ये बन्द नहीं होती। इन सब के बन्द होने का मुख्य कारण अर्थाभाव था जिसके कारण शेअर होल्डर्स में आपस में झगड़े हुए और ये बन्द हो गईं।

ऑइल इन्डस्ट्री अलवर की विशेषता है, पर इसकी भी यही हालत है। ये मिल्स, कोयला सही वक्त पर नहीं मिलने से आम तौर पर साल में अधिकतर बन्द ही रहती हैं। इस तरीके से मेरा यह निवेदन करना है कि अलवर जहां पहले एक राजधानी था, जो राजस्थान के सातवें नम्बर पर आता था उसके बारे में राजस्थान सरकार का यह ध्यान रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रीज़ के हैड के नीचे अलवर जिले में कोई एक्सपेन्डीचर नहीं था और सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में अलवर में ३.५१ लाख रुपयों का खर्चा हुआ, जो कि राजस्थान के २६ जिलों में १६वें नम्बर पर आता है। जो स्टेट आबादी के लिहाज से, अपनी इम्पोर्टेन्स के लिहाज से भी ७ वें नम्बर पर थी इस तरीके की नीति के कारण १६ वें नम्बर पर चली गयी। यह दृष्टिकोण था। सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वहां की समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। वजह क्या ? अलवर जिले में, यह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि वहां बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं हैं जो बहुत बड़ा निजी इन्वेस्टमेन्ट करके वहां कारखाने चला सकें, न ही वहां पर इस प्रकार के लोग हैं, जिनको इन्डस्ट्रीज़ के मामले में बड़ा भारी अनुभव हो। इसलिए टैक्निकल अनुभव की आवश्यकता थी, फाइनेन्स की आवश्यकता थी। इसी प्रकार राज्य की ओर से इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटी का सर्वे करवा कर सुझाव दिये जाते तो वहां थोड़ी बहुत इन्डस्ट्रीज़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आगे बढ़ सकती थीं और नयी खुल सकती थीं। लेकिन सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ है कि जो राजाओं के जमाने में राजधानी होने के कारण छोटे मोटे आर्टिज़न्स का धन्धा वहां चलता था, दस्तकारियों का धन्धा चलता था, उनकी इस जमाने में जगह न होने के कारण वे सब खत्म हो गये और इसीलिए भारी बेरोजगारी का नजारा उनके सामने है और ताज्जुब करेंगे आप कि आपकी जिला परिषद् की खुद की रिपोर्ट है कि ऑर्गेनाइज्ड इण्डस्ट्री में १,६०४ आदमी एम्प्लोयड हैं। ६ लाख की आबादी में से यदि १,६०४ आदमी ऑर्गेनाइज्ड इन्डस्ट्री में हों तो वहां की इन्डस्ट्री की क्या दुर्दशा है, यह आप स्वयम् खयाल कर सकते हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जो नक्शा अलवर के औद्योगिक विकास के लिए हमारे सामने रखता है वह भी ऐसा नहीं है जो हम उम्मीद करें कि वहां का पासा पल्ट देगा। हम उम्मीद करें कि वहां की बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है ? इन्डस्ट्रियल एस्टेट जरूर कायम हुआ है। प्लॉट्स का अलॉटमेन्ट भी किया गया है, उनकी जो स्कीम है कि बहुत लोगों को एम्पलॉयमेन्ट दें ऐसा नहीं मालूम होता है। उन लोगों का मकसद तो कोटा कायम कराने का है और एक मिडिल मैन के तरीके से फायदा उठाने का है। इसलिए यह औद्योगिक विकास की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक बड़ी फैक्टरी वहां लगायी जाये, वहां की इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटी का सर्वे कराया जाय। बहुत लोगों का खयाल है कि वहां पर सीमेंट फैक्टरी अच्छी लग सकती है। जिस प्रकार का मेटीरियल एक सीमेंट फैक्टरी के लिये चाहिये वह वहां उपलब्ध हो सकता है। राजस्थान सरकार उसका सर्वे कराये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस एरिया में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजगढ़ एरिया में खो दरिबा में तांबे की खानें हैं। यह दूसरे हैड में है और इसका जिक्र आयेगा तब अर्ज करूंगा। ज्यादा तेजी से इन्डस्ट्रीज हमारे जिले में लग सकती है वह नहीं लग पायी।

हमारे यहां बड़ी तादाद बुनकर लोगों की है। आज उनकी इतनी बड़ी दयनीय स्थिति है, उनकी आज पर केपिटा इनकम ६०,६५ नये पैसे रोज से ज्यादा नहीं है। इस प्रकार की स्थिति इस स्वतन्त्र भारत में हमारे अलवर जिले में है और ऐसी किसी की हालत नहीं है, जैसी की आज बुनकर और कोली भाइयों की हालत है। वजह क्या है ? वे या तो पगड़ी बनाते थे या रेजा बनाते थे। हैंड़लूम नयी फैशन और डिजाइन्स बनाना तो उनको आता नहीं। ये दोनों चीजें मिल के कम्पीटीशन में नहीं ठहरतीं। रेज़ा मिल के कपड़े के मुकाबले में नहीं ठहरता और पगड़ी चलती नहीं। हमने यह मांग की कि प्रोटेक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर उन बुनकरों के लिए खोला जाय जिससे नये डिजाइन और प्रोडक्शन वे कर सकें और राज्य अपनी ओर से करें तो उसकी सेल गारन्टी हो सकती है। इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने कहा कि पचास,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पचास रुपया एक-एक बुनकर को दिये जायं । उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, हम खा जायेंगे और हमारी तरक्की नहीं होगी । वह रुपया बांट दिया गया और उनकी कोई तरक्की नहीं हुई, सिवाय इसके कि सरकारी तहसीलदार का उनकी वसूली का काम और ज्यादा बढ़ जायगा ।

इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में कुछ पुरूषार्थी भाइयों ने आकर कुछ नये काम शुरू किये हैं । टिन की चद्दरों से वे लोहे की अलमारियां बनाते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाना भी उन्होंने शुरू किया है, वायर रोड्स की कुछ इन्डस्ट्रीज पनपाना चाहते हैं—कोऑपरेटिव सिस्टम पर करना चाहते हैं—उन लोगों की शिकायत है कि हमको कोटा नहीं मिलता। बड़े बड़े आदमी ले जाते हैं । अगर उनको कोटा मिलने लग जाय तो वे काम कर सकेंगे । वे लोग वैस्ट पंजाब से आये हुए हैं । जिस तरह से छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज पनप रही हैं, उन लोगों की समझ है, इस बारे में अगर उनको मदद दी जाय तो यह काम हो सकता है । राज्य सरकार की ओर से वहां अफसर नियुक्त हैं, उनकी इस बारे में न तो ज्यादा समझ है और न ही वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद करें । उनका काम तो कुछ कोटा बांटना और सिफारिश करना है और उनके अपने जो तरीके हैं उनको अपनाने के अलावा वे और कोई काम नहीं कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि अलवर जिला, जिसका पहले राजस्थान में ७वें शहर पर नम्बर था, जो दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली का मार्केट है, ऐसी कोई बड़ी फैक्टरी, जिस प्रकार की फैक्टरी भोपाल में-हैवी इन्डस्ट्रीज़ का कारखाना खोला गया है-राजस्थान सरकार को भी खोलनी चाहिये । इसके लिए दिल्ली अच्छा फीडिंग मार्केट हो सकता है । वहां के लोगों के इतने साधन नहीं हैं, उनके पास केपिटल भी नहीं है । मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान सरकार सहानुभूतिपूर्ण तरीके से-सिम्पेथेटिक तरीके से-इस पर विचार करेगी ।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय । गांवों में लघु उद्योगों की प्रगति नगण्य है, इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

राजस्थान में पिछले ५-७ सालों में औद्योगिक दृष्टि से काफी तरक्की हुई है, खास तौर पर शहरों में । बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाने लगे हैं । बड़े बड़े उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास के लिए सोचना शुरु किया है और एक इन्डस्ट्रियल इमेजिनेशन लोगों में जाग्रत हो गई है । आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के अलावा शहरों के रहने वाले लोगों में भी यह भावना जागृत हो गई है कि वे किस तरह से उद्योगों के लिए ध्यान दें । गांवों में लोग अभी तक यह समझने नहीं लगे हैं और बहुत से लोगों को यह जानकारी भी नहीं है कि हमारी सरकार के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिये उद्योग धन्धे जारी किये जा सके और अपने गांव की ओर

(श्री जुझारसिंह)

देश की तरक्की कर सकें। वैसे तो गांवों में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री ऑफिसर की नियुक्ति हुई है और ब्लॉक हैड क्वार्टर पर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स भी हैं लेकिन उन सब के होते हुए भी गांव वालों को यह जानकारी नहीं है । मैं यह कहूंगा कि जितना खर्चा इन एक्सटेन्शन ऑफिसरों और डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री ऑफिसरों पर तनख्वाह के रूप में होता है इतनी आमदनी शायद उस ब्लॉक में होने वाले उद्योगों से नहीं हो रही है। तो यह सोचनीय स्थिति है।

गांव के लोगों में गरीबी है, उनको सरकार किस तरह से इन्डस्ट्री को उन्नत बनाने की कोशिश करती है उसका पता नहीं है और चूंकि वे लोग यह नहीं समझ सकते हैं इसीलिये उनको समझाने के लिये डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीयल ऑफिसरों को लगाया गया है। वे यह सोचते हैं कि गांव के आदमियों को कर्जा चाहिये। मगर मैं यह कहूंगा कि केवल कर्जे से काम नहीं चलता है। उनको टैक्निकल एडवाइस भी मिलनी चाहिये जिससे वे औद्योगिक उन्नति भी कर सकें। गांव वालों के पास उनकी पैदावार को मार्केट में पहुंचाने के साधन नहीं हैं और न गांवों में खेती के सिवाय कोई दूसरा धन्धा है। इसलिये गांवों में बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये उद्योग ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा गांवों को ऊपर उठाया जा सकता है। हमारे प्रान्त के पास पंजाब का प्रान्त है। हम देखते हैं कि वहां पंजाब में गांवों में इन्डस्ट्री की काफी उन्नति हुई है। वहां के लोगों ने स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज में बहुत तरक्की की है। वहां पर छोटे-छोटे उद्योगों के लिये कारखाने लग रहे हैं और उन कारखानों के द्वारा खेती के साथ साथ वहां के लोग इन्डट्री के द्वारा अपने जीवन के साधनों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ लगा हुआ हमारा राजस्थान प्रान्त है। जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि अभी गांव के आदमियों में इसकी बहुत कमी है और वे यह समझ भी नहीं सकते कि इन्डस्ट्री की तरफ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जीविका पैदा कर सकते हैं। तो यह बहुत ही सोचनीय स्थिति है। इसलिये मैं इसको ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे यहां इन्डस्ट्रियल ऑफिसर हैं तो हमारी सरकार की जो इन्डस्ट्री के मामलों में पॉलिसी है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिये और जिन लोगों के लिये यह पॉलिसी ले—डाउन की गई है उससे उनका फायदा हो सके।

हमारे गांवों में अक्सर कच्चा माल मिलता है और जो कुछ माल मिलता है उसके लिये गांव वालों को किसी प्रकार की फैक्टरी के सम्बन्ध में समझाया जावे तो हो सकता है कि वे उस पर ध्यान दें और वे ऐसी चीजें बना सकें जिससे आमदनी बढ़े और लोगों को काम मिले और बेकारी दूर हो सके।

_ स्किन एण्ड हाइड का उद्योग ऐसा है जो वर्षों से चला आ रहा है। वह इसी तरह से आज भी चलता आ रहा है जिस तरह से १०० वर्षों पहले चलता रहा है। हमारे इलाके में इस क्षेत्र ऐसा है जहां चमड़े का काम वर्षों से चलता है। वह भी आज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की उन्नति

(श्री झुझारसिंह)

नहीं हो रही है और जब से एक्सटेन्शन ऑफिसर लगाये गये हैं उसके बाद उनकी कार्यकुशलता में या पैदावार में कुछ फर्क आया हो, ऐसी बात नहीं है। वे लोग उसी पुराने ढंग से माल तैयार करते हैं और आज भी उनको कच्चा माल उपलब्ध करने और उसको बेचने में उसी तरह की मुसीबत पेश आती है जिस तरह पहले आया करती थी।

इसी प्रकार भवानी मंडी एक ऐसी जगह है जहां ऑर्चर्ड्स बहुत हैं और वहां पर नींबू और नारंगी बहुत हैं। उसके लिये किसानों को मदद करें तो वहां फ्रूट और ऑरेन्जेज इन्डस्ट्री स्थापित की जा सकती है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि रूरल एरिया के लिए प्रावधान है उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिये। फर्स्ट क्लास पंचायत समितियें हैं उनको ६५ हजार का अनुदान देने का अधिकार है। सेकिन्ड ग्रेड की पंचायतें हैं उनमें ५० हजार रुपये तक की मदद देने का प्रावधान है। ये सब बातें होते हुए भी यह सब फायदा ग्रामीण लोगों को होना चाहिये, जो नहीं होता है। इससे यह मालूम होता है कि या तो लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते या इस धन्धे की तरफ ध्यान नहीं लगाना चाहते। इसके लिये उनको प्रोपरली समझाया जावे तो जरूर वे ध्यान देंगे। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि गांवों में उद्योगों की तरक्की सरकार को ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिये और इस तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये और जो आदमी डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल ऑफिसर भेजे जावें वे ऐसे हों जो गांव के लोगों में इन्डस्ट्री के लिये भावना पैदा कर सकें, जिसके द्वारा गांव के लोग उद्योगों को चलाने की तरफ ध्यान दें और चला सकें। गांव के उद्योग लेबर इन्टेन्सिव उद्योग हों और इनमें ज्यादा से ज्यादा आदमी लगाये जावें। इससे खेती पर जो प्रेशर है उसको किसी तरह से उद्योग में डाइवर्ट किया जा सके। अभी जो इन्डस्ट्रीज शहरों में लगी हैं उसमें केपिटलिस्ट ही आते हैं। इससे प्रोडक्शन अवश्य बढ़ता है लेकिन लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलती है। इसलिये सरकार को ग्रामीण जनता की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये जिससे ग्रामीण लोगों को फायदा हो। इसी आशय से मैंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के बारे में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं, जिनको मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हर कोई यह चाहता है कि हमारे देश की भुखमरी मिटे और बेकारी मिटे और इस कट मोशन द्वारा पहले मैं लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज से ४० वर्ष पहले लाखेरी में सीमेंट की फैक्टरी कायम हुई। उस समय बूंदी की हुकूमत से फैक्टरी का इकरारनामा हुआ था कि लाखेरी से लेकर खेड़खड़ तक के पार्ट में जो भी पत्थर मिलेगा वह सीमेंट फैक्टरी को मिलेगा। इसके अलावा कम्पनी को जो भी जरूरत होगी उसके लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस लीज में कई गांवों के मसान भी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बीच में आये। आज उसी लाखेरी कम्पनी की दशा बड़ी सोचनीय हो गई है। कभी बोयलर फट जाता है तो कभी आग लग जाती है और इससे मजदूरों में एक्सीडेन्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि वहां पर मशीनें जो हैं वे ४० वर्ष पुरानी हैं और वे पुरानी होने के कारण कभी उनका बोयलर फट जाता है तो कभी आग लग जाती है और एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। जब इस प्रकार की घटनाऐं होती हैं तो मजदूरों को यह कहा जाता है कि जान बूझ कर तुमने ऐसा किया है। उनको वार्निंग और चार्जशीट दिये जाते हैं। आज वहां की यह हालत है कि जहां पहले ५ हजार मजदूर काम करते थे वहां अब सिर्फ १,४०० मजदूर ही काम करते हैं।

(३.०,म.प.)

और इस उत्पादन के कारण आज वहां के मजदूर परेशान हैं। सदन ताज्जुब करेगा, सारा सदन मांग करता है सीमेंट फैक्ट्रियां राजस्थान में अधिक से अधिक खोली जावें, पर वहां की जनता इस सीमेन्ट फैक्टरी से इतनी परेशान है कि वहां के लोगों को मकान बनाने के लिए एक पत्थर तक नहीं मिल पाता। ये दिक्कतें माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने भी हमने रखी हैं। बूंदी दरबार का जो एग्रीमेन्ट उस कम्पनी के साथ था उसे दो, तीन साल पूर्व भूतपूर्व उद्योग मन्त्री ने उस कम्पनी से सांठगांठ करके इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

वाडल, बतरना गांव उसके लीज एरिया में आता है। इतना बढिया वहां का फरसी का पत्थर है जो कोटा स्टोन में भी नहीं मिल सकता। वहां का किसान मजदूर अपनी सहकारी समितियां बना कर उसका काम करना चाहता है पर भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने कम्पनी को सौंप दिया सब। वे उस कम्पनी के परमानेन्ट दस सालों से वकील थे। एक हजार तनख्वाह पाते थे, आज भी उसी कम्पनी की वकालत करते हैं।

उद्योग मंत्री जानते हैं कि उनकी छः मील की लीज के एरिया में से कोई किसान, गरीब मजदूर, पिछड़ी जाति का आदमी मकान बनाना चाहे तो उसको वहां जगह नहीं मिलती, एग्रीमेन्ट ऐसा किया है कि ग्रामकर पंचायत को भी खत्म किया जा रहा है। किराये पर रहने की वहां जमीन नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं कर सकता। जिस उद्योग से आप बेकारी मिटाने की बात करते हैं उसकी यह हालत है। वहां के रहनेवाले आदमियों को उखाड़ा जा रहा है। उनके बनाये हुए मकानों पर मुकदमा चल रहा है और उनको एक्वायर करने की कार्यवाही जारी है।

मिल का सीमेन्ट का प्रोडक्शन भी ब्रेक डाउन है। जहां पहले उसकी उत्पादन क्षमता २ हजार टन थी आज वह १,२०० टन रह गई है। वर्कशॉप चली गई है। बूंदी दरबार से एग्रीमेन्ट में शर्त थी कि नौकरी में वहां के लोगों को और अगर टैक्निकल हैण्ड वहां का हुआ तो पहले उसको दी जावेगी जगह, पर आज वहां का कोई एम. एससी. हो या बी. एससी. या इन्जीनियर उसको नहीं रख कर बम्बई से उनके रिश्तेदार चल कर आवेंगे। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जानते हैं इस बात को कि

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

२) रु० पाने वाले को हजार मील पर ट्रान्सफर किया जाता है । इन्कार करता है तो डिसमिस किया जाता है । यूनियन बनाते हैं तो बुरी तरह से कुचल दिया जाता है, मजदूरों को बदल दिया जाता है । तो मैं आपका ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

आज यह कारखाना पुराना हो गया है, सारी मशीनरी पुरानी हो गई है, राष्ट्रीयकरण के भय से करोड़ों रुपये की पूंजी वे लगाना नहीं चाहते । इस पर भी सरकार को निगरानी रखनी चाहिये । यहां के अधिकारी, फैक्ट्री इन्सपैक्टर, माइनिंग इन्सपैक्टर, फोरमैन आदि वहां जब जाते हैं तो उस कम्पनी के डाक बंगले में ठहरते हैं, आराम से खाना खाते हैं, कम्पनी की गाड़ियों में घूमते फिरते हैं और वहां के क्लबों में खेला करते हैं । यह हालत है । अब कार्यकर्ता जब भी कभी शिकायत करते हैं तो कान में तेल डाल कर चल देते हैं ।

वहां चूने का भट्टा लगाया जा सकता है । लोगों को कुछ रोजगारी मिल सकती है, पर कम्पनी वाले नहीं लगाने देते । सरकार को देखना चाहिये और ऐसे लोगों को इसकी इजाजत मिलनी चाहिये । मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सेनिटेशन का प्रबन्ध वहां बहुत बुरा है । इससे वहां के लोग बेहद परेशान हैं । कम्पनी ने अपना गटर निकाला, वह दूर नहीं ले जाकर वहां बहने वाले एक बरसाती नाले में मिला दिया है । बरसाती नाला बरसात के बाद सूख जाता है और वही टट्टी-पेशाब बहा करता है । बरसात में नाले का पानी पीते हैं तो वही टट्टी-पेशाब पीने में लोगों के आता है । यह मामला मुख्य मंत्रीजी को भी रेफर किया गया, कलेक्टर को लिखा गया, बद्रीप्रसादजी ने जाकर देखा भी । जिसने भी देखा उसने इसे बहुत बुरा समझा । पर अफसोस तो यह है कि सात, आठ वर्ष के बाद भी वह ज्यों का त्यों चल रहा है । यहां से फोन जाता है हमारा फलां आदमी पंचायत के चुनावों में या किसी भी चुनाव में लड़ रहा है, उसे गाड़ी और पेट्रोल इश्यू करा दिया जावे । एक तरफ आप भुखमरी मिटाने का और बेकारी की समस्या हल करने का ढोंग करते हैं तो दूसरी तरफ वहां की जनता, जिन उद्योगों से आप बेकारी और भुखमरी दूर करने का ढोंग करते हैं, उनसे ही तबाह हो रही है और आपके अधिकारी और आप स्वयं उन्हीं लोगों की मदद पर जिन्दा रहना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में आप उन गरीबों की क्या रक्षा कर सकेंगे ।

इसी तरह से बूंदी में बहुत बेकारी और भुखमरी है । किसी प्रकार का उद्योग वहां नहीं है । सिलिका काफी तादाद में वहां निकलती है, जिससे एक अच्छा कांच का कारखाना चलाया जा सकता है । कहा भी गया पर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । तलवाड़ा गांव है वहां । वहां तांबा और लोहे की खाने भी हैं । ऐसा सर्वे बूंदी हिजहाईनेस ने करवाया था । इसमें आप भी सहयोग दीजिये । ऐसी बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है । कल मैटल वर्क्स के उद्घाटन के समय माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि लघु उद्योगों को पनपाना चाहिये

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अगर देश की बेकारी और भुखमरी को दूर करना है तो ।

मेरे गांव में पानों की खेती की दो बीघा जमीन में अनेक परिवार पेट भरते हैं और तकरीबन २०० परिवार इस धन्धे को करते आ रहे हैं। सीमेंट कम्पनी ने यहां के भूतपूर्व मिनिस्टर से मिल कर इस उद्योग को भी खत्म करा दिया। एक तरफ मुख्य मंत्री महोदय यह कहते हैं लघु उद्योग पनपें, दूसरी ओर उनके साथियों के चाहे वेभूतपूर्व हों, ये कारनामे हैं। केतकी, केवड़ा भी बहुतायत से पैदा होता था, जिससे भी कई परिवार अपना गुजारा करते थे । उनको भी बन्द करवा दिया। एजीटेशन किया गया, पर उसको भी कुचलवा दिया गया। नौजवानों ने कुछ ने फिर हिम्मत की जिसमें वे दो बीघा जमीन से अपना पेट भरते हैं। उनको थोड़ी डांडे और लकड़ी की आवश्यकता होती है, पर वह सहूलियत उनको दिलाने तक में वहां के सरकारी अधिकारी टालमटोल करते हैं। अखबारों में आप कितना ही अपना गुणगान करें, बखान करें कि हम लघु उद्योग के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, पर ये कारनामे आप के स्पष्ट आपकी कहानी कहते हैं। सरकार आज इस उद्योग को सहूलियत देने के बारे में भी कान में तेल डाले पड़ी है, जिसमें एक परिवार दो बीघा जमीन से अपना गुजारा कर सकता हैं ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इस तरह से बड़े उद्योगों की हालत बताई और साथ ही छोटे उद्योगों के बारे में भी सरकार का क्या रुख है, उसकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, यह बताया।

वह चम्बल प्रोजेक्ट एरिया हो गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने एक आश्वासन और दिया है कि शुगर मिल वहां खोलेंगे। वह आश्वासन पूरा किया जाना चाहिये।

तो कट मोशन के जरिये मैं यह तस्वीर आपके सामने खींचना चाहता था। आशा है सरकार अब भी उधर ध्यान देगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, बजट में जो धनराशि उद्योगों के लिये रखी उसका मैंने सारा हिसाब देखा। करीब आपने ६२ लाख, ६५ हजार रखा। इन रुपयों में से यदि कर्मचारियों का वेतन और आयोजन-व्यय निकाल कर देखें तो वास्तविक व्यय उद्योगों के प्रावधान के लिये और उनको सहायता के लिये केवल १५ लाख रुपया कर सकने की स्थिति हमारे सामने स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जो यह लम्बी चौड़ी स्कीमें हमारी राजस्थान सरकार ने बनाई हैं, उद्योगों को पनपाने के लिये उसमें ज्यादातर खर्चा सरकारी कर्मचारियों पर और दफ्तरों पर होगा। तो वास्तव में देखा जावे तो हमारे राजस्थान में उद्योग पनपें इसके लिये कोई कोशिश नहीं की गई । जितने भी हमने उद्योग लिए एक लम्बी चौड़ी स्कीम है और जो पंचायत समितियों के लिए धनराशि दी गयी है उसमें स्पष्ट है कि २६ मदें रखी हैं और उनके लिए १० लाल रुपया

(श्री विजयसिंह झाला)

केवल रखा गया है। उस सारे का अनुपात देखें कि २६ धंधों के लिए केवल १० लाख रुपया सारे राजस्थान के लिए रख रहे हैं तो क्या अब हम आशा कर सकते हैं कि इस प्रकार इस २६ मद के लिए सारे राजस्थान में यदि इस धनराशि को पंचायत समितियों में वितरण करके इसके अनुपात पर खर्च की जाये तो बहुत ही कम धनराशि होती है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि जितनी हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए धनराशि रखी उसके काम के लिए केवल पंचायत समितियों के मारफत खर्च कर दी जाती तो इससे ज्यादा फायदा उद्योगों को होता। जितनी भी उद्योगों के लिए धनराशि रखी उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा सब के लिए रखा गया है।

मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनके लिए जो धनराशि रखी गई है वह केवल ५,५०० रुपये की है; इसी तरह लुहार और सुथार के काम के लिए ६-६ हजार की धनराशि रखी गई है। अब इस रुपये को सारे राजस्थान में बांटें तो केवल थोड़ा थोड़ा रुपया मिलता है और उससे किसी तरह का उद्योग पनपे, इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कहूंगा कि We are Jack of all trade but master of none. थोड़े थोड़े हमने सब उद्योग लिए और उसमें किसी उद्योग विशेष में एक्सपर्टता प्राप्त की हो, ऐसी बात नहीं है। आज दिन तक जो धनराशि उद्योगों के लिए दी गई वह सारी की सारी राजनीतिक स्टन्ट पर दी गई है। इसलिए जो लोन दिए या जो अनुदान दिए उससे उद्योग राजस्थान में पनपे हों, ऐसी एक भी मिसाल मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने उद्योगों को राजनीति के दांव पर लगाया है। जो कांग्रेस के लिए इलेक्शन में काम करते हैं उनके लिए ही लोन दिया जाता है और इसके अतिरिक्त मैं भूतपूर्व एम०एल०ए० साहब का उदाहरण देना चाहता हूं, यदि माननीय सभापतिजी को कोई ऑब्जेक्शन न हो तो! श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा को १५ हजार रुपया लघु उद्योगों के लिए दिया गया और उसी तरह से उनके लड़के को १५ हजार रुपया दिया गया अभी दो साल पूर्व। लेकिन आज दिन तक यह धनराशि उद्योगों के लिए लगाई गई हो, ऐसा नजर नहीं आता। साथ ही साथ तुला फैक्टरी जो कि माननीय मंत्री महोदय के ही क्षेत्र में है, उस फैक्टरी के लिए ६०-७० हजार रुपया लगाया गया है....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): कौनसी फैक्टरी ?

श्री विजयसिंह झाला: तुला नाथद्वारा कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी पैसा दिया जाता है केवल एक राजनीतिक स्टन्ट देख कर ही दिया जाता है। यह देखा जाता है कि आगे जाकर कौन इलेक्शन में ज्यादा काम आयेगा, कौन ज्यादा प्रचार करेगा। इसलिए आज वास्तविक हालत यह है कि पैसा उद्योगों के लिए उनको नहीं दिया जाता जो कि वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं। जो राजनीतिक स्टन्ट बनाकर आगे आते हैं उनको पैसा मिलता है और पैसा मिलने पर भी जो उद्योग करना चाहते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होने से वह सफल हो पाते हों, ऐसी बात भी नहीं है। इस

(श्री विजयसिंह झाला)

तरह एक बड़ी धनराशि उन पर खर्च की जाती है।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

जहां तक खादी ग्रामोद्योग का सवाल है, मैं मानता हूं कि यह सारा राजनीतिक स्टन्ट है और इसको बन्द कर देना चाहिए। जितने भी उद्योग पनपाये गये हैं उनमें ऐसे उद्योग बहुत ही कम हैं जो कि किसानों से संबंध रखते हों और यदि ऐसे उद्योग हमारे राजस्थान में लगाये जायें कि जो किसान अपना प्रोडक्शन करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं तो उसका पैसा भी फैक्टरी में देकर बांट लें और साथ ही साथ उद्योग भी चले और किसानों को भी लाभ हो। लेकिन मैंने यह लम्बी चौड़ी लिस्ट देखी तो इस प्रकार के उद्योग, जिनका संबंध किसानों से है, ऐसा एक भी उद्योग दिखाई नहीं दिया। जहां तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मारफत गुड़ विकास फैक्टरी वगैरह खुली हैं वह भी ऐसी नहीं हैं कि किसानों को फायदा पहुंचा सकें। या तो उनको पूरी तरह से अनुदान नहीं दिया गया, जहां एक लाख की आवश्यकता होती है वहां दस हजार दे दिया जाता है तो दस हजार में तो ऐसी फैक्टरीज़ चलती भी नहीं हैं। उदयपुर जिले में जहां गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है किसानों को मजबूर होकर ८ आने मन में देना पड़ता है। एक नवीन भारत इन्डस्ट्री जो कि हमारे भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री दामोदरलालजी व्यास के रिश्तेदार की है वहां गये साल ८ आने मन में गन्ना देना पड़ा है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): I object to this allegation, Sir. The Hon'ble Member must say who is that relative who is interested in that Navin Bharat Industries.

श्री विजयसिंह झाला : I am not interested in Navin Bharat, I am citing a particular instance.

श्री निरंजननाथ आचार्य : He has said on the Floor of the House that the Navin Bharat Industries भूतपूर्व राजस्व मन्त्री के रिश्तेदार हैं; that is an allegation against a person who is undefended on the Floor of the House.

श्री विजयसिंह झाला : It is shown by the Navin Bharat Industies.

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी के रिश्तेदार का रेफरेन्स सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

श्री विजयसिंह झाला : मुझे मालूम नहीं है। उनके जो ओनर हैं उनका रिश्ता....

श्री सभापति : उस रिश्ते को यहां कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या रिश्ता है, यह बताया जाये। He must say what relation.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले यह बतादें कि उनके रिश्तेदार नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह बताता हूं कि कोई रिश्ता नहीं है और क्योंकि आप ने फाल्स एलीगेशन्स लगाये हैं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इसलिए आप बतायें। The onus is upon the Hon'ble Member.

श्री विजयसिंह झाला : अगर उनका रिश्ता ही जानना चाहेंगे तो जो कांकरोली से आये हुए माननीय सदस्य हैं उनके घर जाकर बता दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : You will correct yourself. I am from Rajsamand and not from Kankroli.

श्री विजयसिंह झाला : रिश्ता है, यह उनसे मालूम हुआ। बहुत समय इसमें चला जायेगा।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की इन्डस्ट्री हमारे राजस्थान में खुलनी चाहिए जिनका सीधा सम्बन्ध किसानों द्वारा प्रोडक्शन को जाती है उससे हो।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

मैं अपने नाथद्वारा की एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा मीनाकारी का काम होता है। वह सारे राजस्थान में प्रसिद्ध है अमेरिका और इंग्लैंड में भी सामान जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां पर हमारे मुख्य मन्त्रीजी भी कई बार चले जाते हैं, वहीं के वे रहने वाले हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि उनसे कई बार डेपुटेशन भी मिला....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मन्त्री) : क्या करें उसके लिए ?

श्री विजयसिंह झाला : कोशिश करें। कहना हमारा काम है, करना, नहीं करना तो आपका का काम है। अपने घर में आप ही ध्यान दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : फिर करने का तो आपका काम है।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा(सराड़ा-सु.):सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव सराड़ा खेरवाड़ा तहसीलों में आदिवासी क्षेत्र में छोटे उद्योगों की स्थापना पर बहस करने के लिए है। यह आदिवासी क्षेत्र है। वहां के मजदूर अहमदाबाद व गुजरात की ओर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहां पर गांवों में कोई छोटे उद्योग नहीं हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में खनिज पदार्थ काफी मात्रा में पाये जाते हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई जांच या उसकी खोज नहीं की जाती है। हमारे वहां पर सरांड़ा तहसील में एक लोहे की खान है। उस खान की सरकार ने कई बार जांच कराई है और अभी तक भी उसकी जांच हो रही है। जांच करने वाले कहते हैं कि ६०–७०–८० प्रतिशत इसमें लोहा पाया जाता है। लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तक इन तहसीलों में कोई रेगुलर धंधा व रेगुलर उद्योग नहीं है

(३. २० म. प.)

(श्री देवीलाल मीणा)

(श्री भीमसेन, सभापति पदासीन)

जिससे वहां के मजदूर, वहां के गरीब काश्तकार अपना धंधा करके गुजर बसर कर सकें। उन काश्तकारों के पास खेती भी उतनी नहीं है ताकि साल भर के लिए वे अपने निर्वाह के लिए नाज पैदा कर सकते हों। अनाज उतना ही पैदा होता है जिससे कि वे ४ महीने या २ महीने तक अपना गुजर-बसर कर सकें। उसके बाद का समय होता है वे लोग या तो प्राइवेट किसी की मज़दूरी पर जाते हैं या वे सरकार की ओर से कोई धंधा सड़कों का चलता है तो उस पर अपनी मजदूरी-धंधा करके निर्वाह करते हैं।

मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां आदिवासी व दूसरे लोग जो बुनकर व चमार हैं। बुनकर को बलाई भी कहते हैं वे लोग बेकार से हो गये हैं। उनके पास कोई काम धन्धा भी नहीं है। वहां पर ग्रामोद्योग खोले जायें ताकि वे अपना धन्धा करके निर्वाह कर सकें। मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार का ध्यान उन गांवों की ओर जाना चाहिये जहां कि आज तक कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं। मैं यही कह कर यह कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकिशन।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : सभापति महोदय, राजगढ़ कस्बे के अन्दर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट सरकार द्वारा स्थापित करने के बारे में मेरा कटौती-प्रस्ताव है। मैं इस मुद्दे पर जो हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने अलवर जिले के बारे में कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वहां पर पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अलवर जिले के औद्योगिक विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके आंकड़े जो उन्होंने बताये हैं; यदि वे सही हों तो पहली पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल खर्च नहीं हुआ है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३,५०,-०००) रु० खर्च हुए हैं; जब कि अलवर जिला एक पहाड़ी इलाका है और वहां पर मिनरल प्रोडक्ट्स काफी हैं। वहां पर कोपर माइन्स हैं जिनमें ओलरेडी खोह दरीबा की खान पर काम हो रहा है। उस पर ३-४ साल से काम किया जा रहा है। लेकिन उनकी सुविधा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो कहूँ कि २० साल पहले जो स्टेट के टाइम में सड़क बनी थी उसके बाद राजस्थान सरकार ने कोई नई सड़क नहीं बनाई।

दूसरा यह है कि दूसरे इलाकों में चम्बल योजना से इलेक्ट्रिसिटी लाये जाने की स्कीमें चल रही हैं। वह बहुत इम्पोर्टेन्ट माइन है खोह दरीबा की। उसके लिए चम्बल की बिजली पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। इस माइन के डेवलपमेंट के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता है, यह बातें मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ।

कृषि और इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट के बिना प्रान्त या क्षेत्र की खुशहाली नहीं हो सकती है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि हर इलाके के विकास के लिये इन्डस्ट्रीयल

(श्री हरिकिशन)

सर्वे कराया जाय कि कहां पर क्या क्या इन्डस्ट्रीयल पोटेन्शियेलिटी मिलती हैं और कहां कहां उद्योग चल सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अलवर जिले में और अलवर जिले में भी राजगढ़ और उसके आसपास जो कस्बा है दोनों की पोपुलेशन मिला कर ७० परसेन्ट पोपुलेशन है वह बेकार है। वहां पर हजारों आदमी रहते आये हैं। वहां पर इस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है। कॉपर माइन्स राजगढ़ से २२ मील के फासले पर है। इस लिये राजगढ़ एक ऐसी जगह है जहां कि इन्डस्ट्रीयल एस्टेट बखूबी कायम हो सकती है।

इन्डस्ट्रीयल एस्टेट में ३-४ बातें देखने की होती हैं। वहां पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स अच्छे होने चाहिये। राजगढ़ रेलवे लाइन से कनेक्टेड है। दूसरे रोड से भी वह कनेक्टेड है। वहां से अलवर ३० मील पड़ता है। वह अलवर और जयपुर के बीच अच्छा कस्बा है। पहले वह एक इम्पोर्टेन्ट टाउन था। लेकिन राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे वहां बेरोजगारी की समस्या आ गई है। जो ऐसी जगह है कि जहां पर मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन्स अच्छे हैं और रेलवे लाइन्स हैं और पास में खानें हैं, वहां पर इन्डस्ट्रीयल पोटेन्शियेलिटी प्रत्यक्ष नजर आती है। ऐसी जगह इन्डस्ट्रीयल एस्टेट कायम होनी चाहिये। ऐसी जगह कायम नहीं करके दूसरी जगह राजस्थान सरकार कारखानें खोलती है, वे इन दी लोन्ग रन पनप नहीं सकते। जहां कि ऐसी फैसिलिटीज हैं और रॉ मेटीरियल भी एवेलेबल हैं वहां का राजस्थान सरकार को सर्वे कराना चाहिए और इन्डस्ट्रीयल एस्टेट कायम होनी चाहिए, ताकि वहां की बेरोजगारी दूर हो।

दूसरा मेरा कटौती-प्रस्ताव सीमेन्ट की फैक्टरी के बारे में है। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर आपको लाखों टन लाइम स्टोन्स के डिपोजिट्स मिलेंगे। उससे राजगढ़ कस्बे में कलई बनाई जाती है और वह कलई दिल्ली को सप्लाई की जाती है। जहां हजारों आदमी रात-दिन काम करते हैं उन माइन्स के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार की ओर से सर्वे नहीं हो रही है। इसके बारे में कई दफा कहा गया और चिट्ठी भी दी गई है। मैंने जबानी भी पहले जो उद्योग मंत्री श्री धारीवालजी थे उनसे बात की थी, सर्वे कराने के लिए कि वहां पर कितने मिनरल डिपोजिट्स हैं ताकि यह मालूम किया जा सके कि सीमेन्ट का कारखाना उधर चल सकता है या नहीं, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। उसका नतीजा यह है कि वहां पर उन चीजों का ठेका दिया जाता है और वे ठेकेदार उन सारी चीजों को बेच देते हैं। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री का सर्वे कराया जाय। वहां का जो पत्थर है वह ऊंची क्वालिटी का है और वह बहुत ही उपयुक्त है और एक सीमेन्ट फैक्टरी वहां पर अच्छी तरह से चल सकती है। मेरी यही प्रार्थना है कि सीमेन्ट फैक्टरी के लिए और दूसरी चीजों का सर्वे होकर जल्दी उन पर कार्य किया जाय।

श्री सभापति : श्री सम्पतलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने चार कटौती प्रस्ताव सदन समक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ । सभापति महोदय....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : पांचवें का क्या करेंगे ? पांचवां छोड़ देंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह : पांचवें का ध्यान नहीं रहा। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) आरम्भ में धन्यवाद ही देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन यह है कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार यह हमारा वर्ष राजस्थान के औद्योगिकरण के लिए एक प्रारम्भिक काल है। अब तक हमने अप्रत्यक्ष रूप में इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान में बिजली के अभाव में हम राजस्थान का जितना औद्योगिक विकास कर सकते थे उतना नहीं कर पाये। हमारी सरकार अब इस कमी की पूर्ति के बारे में काफी आश्वस्त है और ऐसा समझकर चल रही है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास अब बहुत शीघ्र ही आरम्भ होकर एक अच्छी स्थिति को पहुंच जायगा । मैं ऐसा समझता हूँ, सभापति महोदय, कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए हमारे बुनियादी सिद्धान्त जो हैं वे जनहित की दृष्टि से उचित नहीं हैं। यह कहा जा सकता है कि बाकी के प्रदेशों में भी हम इस प्रकार से जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करते आ रहे हैं उसकी श्रेणी में राजस्थान में बड़ी फैक्ट्रीज की कमी है और अच्छे अच्छे मिल्स नहीं हैं और उस कारण हमारा औद्योगिक विकास रुका हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए औद्योगिक विकास प्रारम्भ करने से पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे औद्योगिक विकास का लक्ष्य क्या है ? यदि हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने का है तो हमें उस प्रकार के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी । हमारा लक्ष्य इस बात का है कि हम उत्पादन भी बढ़ावें लेकिन उसके साथ साथ जो बेरोजगारी का मसला हमारे सामने विकट रूप से खड़ा है उस पर भी काबू कर लें तो इस दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा । लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, हमारी सरकार का मोटा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने का है । इसके जरिये लोगों को कितना रोजगार मिलता है वह इसकी ज्यादा चिन्ता नहीं करती है । उनका शायद मतलब है बड़ी बड़ी फेक्ट्रीज चालू करके कुछ मजदूरों को एम्पलोयमेन्ट देते हैं और जिस कारण बेरोजगारी की बात हमारे सामने खड़ी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि सरकार अपने दृष्टिकोण को बदले और यह तय करे कि उत्पादन बढ़ाना है और आदमी के हाथ से बढ़ाना है । यदि आदमी के हाथ बेकार होकर उत्पादन बढ़ाते हैं तो वह लाभदायक नहीं हो सकता ।

आज सरकार यदि कहे कि लोगों को नौकरी देकर उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार तो क्या कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती कि हमारी सर्वि-

(श्री भैरोंसिंह)

सेज से जो एम्पलॉयमेन्ट मिलता है उससे बेरोजगारी को दूर किया है ।

खेती के साधन जो उपलब्ध हैं उनसे बेरोजगारी पर काबू पाने के लिये खेती में कुछ तरक्की की है; ज्यादा से ज्यादा जमीन लोगों को मिले और बेरोजगारी मिट सके । लेकिन लैंड पर जितना प्रेशर है उससे कोई यह नहीं कह सकता कि इससे सारी समस्या का समाधान हो सकेगा ।

राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी बार बार दोहराते हैं कि राजस्थान में उद्योग की उन्नति हो रही है । यह उन्नति उनके भाषण में हो सकती है, किताबों में हो सकती है, आंकड़ों में हो सकती है, लेकिन बाहर गावों में या छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे उद्योग चलते हैं उनको प्रत्यक्ष देखना चाहें तो नज़ीर देने की आवश्यकता नहीं होगी । जो उद्योग चल सकते हैं या चलाये जा सकते हैं वे दिन ब दिन मरते जा रहे हैं । उनके मरने के कारण कई हो सकते हैं लेकिन उनको मौत से बचाने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि बल्कि और दिक्कतें पैदा होती हैं । वे दिक्कतें ये पैदा होती हैं कि आज सरकार ने उद्योग के विकास को भी राजनैतिक सांचे में इस प्रकार से जकड़ लिया है कि कोई भी आदमी आजादी से उन पर काबू पा नहीं सकता, वह स्वतंत्र रूप से व्यापार कर नहीं सकता । जितनी कंट्रोल्ड कोमोडिटीज़ हैं उनको पाने के लिये उन्हें सरकार के सामने एप्ली-केशन मूव करनी पड़ती है और उनका हिसाब इस प्रकार से चलता है कि या तो शान्त होकर बैठ जावें या ५ हजार रूपयों का कोटा लेना है तो उसकी असली कीमत और ब्लैक की कीमत में जितना डिफरेन्स है उतना खर्च करने का सौदा लाभदायक मालूम हो तो उस दृष्टि से कोटा प्राप्त करने की कोशिश करता है । राजस्थान में मुख्य मन्त्रीजी मानें या न मानें लेकिन उत्पा-दन बढ़ा नहीं, घटा है । यदि वे इस बात को नहीं मानते हैं तो बतावें कि लघु उद्योगों के जरिये उत्पादन कितना बढ़ा है, यदि इसके आंकड़े इकट्ठे किये हों तो बतादें । लेकिन आंकड़े इकट्ठे करने का सबसे सरल तरीका है, सेल्स टैक्स के आंकड़ों से कर लेंगे । सेल्स टैक्स बढ़ रहा है । बरतन बनाने के लिये जितनी चद्दरें मिलती हैं उनका ब्लैक मारकेटिंग करके साबित न होने के लिये सेल्स टैक्स बतादेंगे कि इतना उत्पादन हुआ, बाकी इतनी बची, बिक्री इतनी हुई और इतना सेल्स टैक्स जमा कराया । इसको लेकर सरकार आंकड़े तैयार करती है । कहीं भी चले जायें, राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जावें । सभी माननीय सदस्यों ने यहां शिकायत की है कि छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पनपे । बड़ी इन्डस्ट्रीज को पनपाने के लिये छोटी इन्डस्ट्रीज को जब तक उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे तब तक उनका उद्धार नहीं होगा । बड़ी इन्डस्ट्रीज खोलिये लेकिन उनके द्वारा कोई लघु इन्डस्ट्री समाप्त नहीं हो सकती । राजस्थान में बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज नहीं हैं, लेकिन आज वे यदि छोटी इन्डस्ट्रीज को खाने का काम करती हैं तो उन पर चैक लगाना पड़ेगा और जितने छोटे धन्धे हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा ।

जयपुर का २० वर्ष पहले का भूगोल-इतिहास पढ़ते थे तो उसमें लिखा था कि

Page No. 86

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर रियासत में कौनसी चीजें मशहूर थीं, कितना उत्पादन था ; कितना क्या था, आज उन सारे आंकड़ों का आज के आंकड़ों से मुकाबला किया जाय तो मुख्य मन्त्रीजी शायद कबूल कर लेंगे, जयपुर में पहले कांच की चूड़ियां का उत्पादन होता था, हाथी दांत की चीजों का उत्पादन होता था, पीतल का काम होता था वह आज समाप्त सा हो गया है और वह इसलिये बन्द हो गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कच्चा माल आसानी से मिलता नहीं है और यदि वे ब्लैक से खरीदते हैं तो प्रोडक्शन पर कीमत ज्यादा बैठती है और जो लोग कोटा लेकर आते हैं और उत्पादन करते हैं उनके मुकाबले में उनकी कीमत ज्यादा होती है और बिक्री नहीं होती है। इसी का परिणाम है कि जयपुर मे कांच की चूड़ियां बनती थीं, वे बन्द हो गई, हाथी दांत का काम होता था, वह बन्द हो गया और इसी प्रकार से पीतल के बरतनों का काम राजस्थान के तीन चार स्थानों पर होता था वह भी धीरे धीरे ठप्प हो गया है। जयपुर में इन चीजों को बनाने वाले जितने थे उन बेचारों को कोटा नहीं मिलता। यह सही है कि भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी को चुनाव जीतने के लिये परमिट दिये, डाइरेक्टर महोदय ने परमिट दिये और कह दिया कि इतने पीतल के शीट्स मिल जायेंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि यह राजनैतिक स्टंट है, उसका विरोध किया गया और कहा गया कि राजनैतिक स्टंट नहीं है, इस परमिट से पीतल की शीट्स मिलेंगी; लेकिन अन्त में वे शीट्स नही मिली। जयपुर में ही नहीं बल्कि आज श्रीमाधोपुर, सवाई माधोपुर आदि कई स्थानों पर जहां पहले पीतल का काम होता था वहां आज काम ठप्प पड़ा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लघु उद्योगों के लिये द्वितीय प्लान में जो धनराशि रखी थी वह पूरी खर्च नहीं कर पाये और जो अनुमान खर्चे का था उससे अगले साल के लिये राशि निर्धारित की है। यह नीति स्पष्ट है लघु उद्योगों के सम्बन्ध में। पहले जितनी धनराशि रखते थे उसको खर्च नहीं कर पाये, उसके लिये दूसरे वर्ष में हमें कमी करनी पड़ती है।

अब सरकार एक तरफ यह कहती है कि लघु उद्योगों को बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ लघु उद्योगों के लिये जो राशि निर्धारित की जाती है उसमें कमी होती जाती है, इसलिये यह सरकार जो लघु उद्योगों में उन्नति की चर्चा करती है वह सही नहीं है। सरकार कहती है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा छोटे छोटे काम हाथ में लेकर चालू कर दिये हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूँ, आज से शायद चार-पांच महीनें पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जितना खादी ग्रामोद्योग का काम है, हम चाहते हैं कि वह पंचायतों को सौंप दिया जाय। शायद मुख्य मन्त्रीजी याद करते होंगे कि परेशान होकर कहा होगा लेकिन आज वे उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को पंचायतों को देने की न्यायोचित मांग है, लेकिन वे कर नहीं सकते इसलिए कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो राजनैतिक सहायता सत्तारूढ़ दल को मिलती है वह नहीं मिलेगी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपकी गलत धारणा है। खादी में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

काम करते हैं उनको कांग्रेस के समर्थन के लिये रुपये दिये जाते हैं, यह बिल्कुल गलत धारणा है, दिल में आप भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं आपको बता दूं कि खादी में जितने काम करने वाले हैं, आपके पहले जो वित्त मन्त्रीजी थे, इस समय शायद खादी ग्रामोद्योग के वे ही मन्त्री हैं, बाकी संस्थाओं को छोड़ दीजिये वे जिनके अध्यक्ष हैं या मैम्बर हैं उनको जो रुपये दिये हैं उनका दुरूपयोग हुआ है। आप कैसे चलाते हैं, आप कहते हैं कि राजनैतिक हित नहीं होगा, लेकिन इसके जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ एन्टी करप्शन विभाग ने लिख दिया है कि उन्होंने गलत कार्यवाहियां की हैं, खादी में मिल का सूत मिलाया है, आपकी कोर्ट्स ने कहा है कि खादी में मिल का सूत मिलाया है लेकिन आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते उनके खिलाफ। उनकी जगह यदि मैं होता तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री मुझे सींकचों के पीछे बन्द कर देते। लेकिन आज वे कांग्रेस के समर्थक हैं, भूतपूर्व मन्त्री हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं खादी बोर्ड के मसले को देखें, उसकी जितनी जांच हुई है उसको देखें, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखें और निर्णय पर पहुंचे कि इस मद में जितना रुपया खर्च होता है उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग। आज जो मेम्बर्स हैं उन्होंने संस्थाएं बना रखी हैं, राजस्थान के चाहे शिक्षा मन्त्री हों, चाहे और मन्त्री हों, चाहे बड़े नेता हों....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जनरलाइज़ न करें, सब लोगों ने सोसाइटीज़ बना रखी हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी सोसाइटी वगैरहा कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं....

श्री सभापति : आप समय का खयाल करके बोलें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे समय का खयाल है। मैं लाया हूँ साथ में लिस्ट जिसमें आपने इन लोगों को जो दे रखा है वह है। मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। वैसे मैं कहना नहीं चाहता था। अब मैं जरूर बताऊंगा........

श्री सभापति : पांच मिनट बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने पूछ लिया, मेरे पांच मिनट तो इसी में चले जायेंगे। ठीक है,

(विराम)

आपने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ता हूँ इस चीज़ को। मेरा निवेदन करना है कि आज वाकई कॉटेज इन्डस्ट्री का हाल अजीब है। राजस्थान में चर्म उद्योग चलता है, लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक जो ये काम करते हैं उनको कोई सहूलियतें नहीं मिलती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि राजनैतिक दृष्टिकोण से पैसा नहीं दिया जाता है तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो चर्म उद्योग के लिए पैसा दिया है, जिन लोगों को दिया है, उनमें से कितने लोग हैं जो चर्म उद्योग नहीं करते हैं। आप दूर नहीं जाइये, आप भीलवाड़ा में ही चले जाइये। वहां मैंने देखा है

(श्री भैरोंसिंह)

कि चर्म उद्योग के नाम पर कर्ज दिया गया है, चर्म उद्योग सोसाइटी को कर्ज दिया गया है और जो कर्ज देने की व्यवस्था की है, वह कर्ज जिन लोगों को देना चाहिए चर्मकारों को, उनको नहीं मिला है। अब उनके नाम से नोटिस दिया जाता है कि तुम्हारे नाम इतनी रकम निकलती है, वह वापिस जमा कराओ। जिनसे पैसा जमा कराने के लिए कहा था वे चर्मकार इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारे नाम तो पैसा नहीं निकलता है। फिर किसके नाम निकलता है तो पता लगा कि अमुक अमुक आदमी ने लिया। अब वह आदमी कौन है तो उसकी एक जिम्मेदारी नेता की हैसियत है। जब उससे पैसा मांगा गया तो वह फरार हो गया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन मसलों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें आज अगर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ऊपर कॉटेज इन्डस्ट्री का भार छोड़ दें, तो यह काम नहीं होने वाला है। आप इस काम में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करिये, यह काम पंचायत समिति को दीजिये और उनकी मार्फत गांव तक पैसा पहुंचाइये ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार सरकारी प्रावधान का लाभ उठा कर गांव में छोटे छोटे उद्योग चालू कर दें। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों में हमारे यहां जो उत्पादन होता रहा है उसके वितरण में एक प्रकार की धांधली बरती जाती रही है। कोटा और परमिट देने में एक धांधली बरती जाती रही है जिसके कारण जो गरीबों के लिए चीजें हैं वे उनको नहीं मिल पातीं। पिछले वर्ष हमारी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के रेलवे मंत्री से बातचीत कर गाडिया लोहारों के लिए रेलवे से स्क्रेप आइरन लिया था। यह कोटा लिया था वह इसलिए लिया था कि गाडिया लोहारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस नाम के लिए कोटा लिया वह गाडिया लोहारों को मिला या अजमेर के व्यापारियों को मिला? वह उन गाडिया लोहारों को नहीं मिला। अगर स्क्रेप आइरन गाडिया लोहारों को मिलता तो वे उसको लेकर उससे फायदा उठा सकते थे। लेकिन वह उनको न मिल कर अजमेर के दो-तीन व्यापारियों को मिला। उन दो-तीन व्यापारियों पर हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री की कृपा हो गई। वह कोटा गाडिया लोहारों के लिए था लेकिन सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि उद्योग मंत्री के कृपा-पात्र अजमेर के व्यापारियों को वह मिला। इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जानते होंगे, जब वे सांभर गये थे तो सांभर के सॉल्ट ट्रेडर्स ने उनके सामने कई प्रकार की दिक्कतें रखी थीं। आज सरकार ने नियम बना रखे हैं और उनके अनुसार जेनुआइन सॉल्ट ट्रेडर्स को ही सॉल्ट की वैगन्स मिलते हैं। आज हमारे सामने वैगन्स की प्रोब्लम है और उसके कारण जिन लोगों को वे परमिट दिये, जिन लोगों को कोटा अलॉट किया गया, वे समय पर माल को नहीं उठा सके और समय पर माल को नहीं उठा सके तो सरकार ने उस कोटे को कैंसिल करके एडहोक बेसिस पर उसका अलॉटमेंट कर दिया और उसके बाद जो बाकी बच गया उसको सरप्लस डिक्लेअर कर बिना नियम के जिस तरह सरकार ने चाहा वह तक्सीम कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सॉल्ट ट्रेडर्स को देने का नियम है कि जो जेनुआइन सॉल्ट ट्रेडर्स हों, जो सॉल्ट का बिज़नेस करते हैं उनको देने का नियम है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों को

(श्री भैरोंसिंह)

दिया है जो यह बिज़नेस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को दिया है जो मशहूर हैं कि जिन्दगी में उन्होंने इस प्रकार का सॉल्ट का बिज़नेस नहीं किया है, उनको दिया है और जो सॉल्ट ट्रेडर्स हैं सांभर के वे अपने व्यापार से वंचित होकर भूखे मरते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में जहां कोटा डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल आता है, उसको सख्ती से कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैंने पहले विधान सभा में कहा था कि सरकार मासिक रिपोर्ट विधान सभा के सामने प्रस्तुत करे। लेकिन सरकार एक वर्ष के, दो वर्ष के आंकड़े विधान सभा के सामने प्रस्तुत नहीं करती है (घंटी) कि हमने कितने लोगों को लाइसेन्स दिये हैं इम्पोर्ट करने के, कितने व्यापारियों को कितना कोटा दिया है। हम यह जाकर तलाश करें तो एक-दो वर्ष बीत जायं, लेकिन बुलेटिन को देख कर यह निकाल नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में इस प्रकार की सामग्री दी जाती है माननीय सदस्यों को। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या क्या कार्यवाही स कार की तरफ से हो रही है, भारत सरकार का कोटा मिलता है, उसको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिनको कोटा दिया है, उनका प्रोडक्शन क्या था और कितना प्रोडक्शन किया है, उसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जाती, इत्तला नहीं दी जाती और उसके पीछे एक कारण है कि इस प्रकार की जानकारी विधान-सभा में समय समय पर दे दी तो सदन के कई माननीय सदस्य और बाकी के कम्पीटीशन में आने वाले ट्रेडर्स शिकायत करके सरकार के सामने इस प्रकार के मसले लायेंगे और उसके कारण सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ी हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आलोचना करना चाहते हैं केवल इसलिए कि राजस्थान में जितनी इन्डस्ट्रीज़ के लिए कोटा मिलता है उसका पूरा सदुपयोग हो, और इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर विधान सभा के सदस्यों के सामने इस प्रकार की पुस्तिकायें रखें जिनको देख कर, उसकी जांच करके, समय समय पर सरकार को सूचना देते रहें कि जितनी आपने व्यवस्था की है उसके आधार पर कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना उसका सदुपयोग हुआ है।

मैं अब एक बात कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा और वह यह है कि मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में कुछ मौनोपोलिस्टिक टेंडेंसी बढ़ रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि पैसा वाला ही पैसा लगा सकता है। मैं मानता हूं कि हैवी इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर जब तक किसी के पास पैसा नहीं होगा वह पैसे के इन्वेस्टमेंट की रिस्क ले नहीं सकता। लेकिन मुसीबत यह है कि आज आप स्वयं महसूस करते हैं कि जिस प्रकार पर कैपिटा इन्कम का पर्सेन्टेज आता है, उसके आधार पर जनरल मासेज़ की इन्कम इतनी नहीं बढ़ सकती कि वे रुपया इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट कर दें और अच्छी अच्छी इन्डस्ट्रीज़ पर कब्जा कर लें। उस हालत में आप मजबूरी प्रकट करके कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेठों और करोड़पतियों को लाइसेन्स नहीं दें तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जितने व्यापारियों को

(श्री भैरोंसिंह)

लाइसेन्स दिये हैं, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रोत्साहन देने के लिए और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया है, उनमें सरकार ने २० लाख, किसी में ३० लाख रुपया दिया है और किसी न किसी प्रकार से अपना हिस्सा रखा है। इसलिए मैं सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूँ कि मोनोपोलिस्टिक टैंडेंसी को रोकने के लिए आप ऐसे इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करें जो कि राजस्थान में छोटे छोटे उद्योगपति, व्यापारी इस प्रकार के हैं, जो पांच हजार रुपया इन्वेस्ट करके, दस हजार रुपया इन्वेस्ट करके, एक लाख रुपया इन्वेस्ट करके, दो लाख रुपया इन्वेस्ट करके, एक अच्छी रकम इकट्ठी करके बड़ी इन्डस्ट्री पर व्यय करने को तैयार हो जायं। यह हो सकता है कि उससे कई लाभों से आप वंचित हो सकते हैं, उनमें प्रेशर टैक्टिक्स नहीं हो सकती है उनमें इलैक्शन के टैम्पटेशन नहीं हो सकते हैं लेकिन उससे मौनोपोलिस्टिक टैंडेंसी नहीं रहने वाली है। आप महसूस करते हैं, भारत सरकार महसूस करती है कि जो पर कैपिटा इन्कम बढ़ रही है, वह कुछ आदमियों की बढ़ी है, बाकी के समाज की गिरी है। आप कहते हैं कि राजस्थान में ऐग्रीकल्चर का स्प्रेड वर्क होने की वजह से स्केटर्ड इन्कम राजस्थान के लोगों की है। वह बाकी के प्रदेशों की नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन्डस्ट्रियल आउट पुट के द्वारा इन्कम बढ़ने वाली है, उसको डीसेन्ट्रलाइज करके चलायें जिससे कि रकम एक जगह एक्यूमुलेट न हो। आप बड़ी इन्डस्ट्री लगायें उसमें पहले उनको चान्स दें, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको बतायें कि फलानी जगह मिल लगाना चाहते हैं, उसमें केपीटल इन्वैस्टमेंट इतना होगा और इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि कोपरेटिव बेसिस पर चलायें तो इतने इतने शेअर्स होते हैं। आप कहते हैं कि राजस्थान सरकार की साख बहुत बढ़ी है, हम लोन मांगते हैं तो लाखों करोड़ों का लोन मिल जाता है और राजस्थान सरकार कहती है कि पचास लाख का इन्वेस्टमेंट, कोई करता है तो उसमें हम दस लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में छोटे छोटे व्यापारी बहुत मिल जायेंगे, जो आपके दस लाख रुपये के साथ में चालीस लाख रुपया इकट्ठा करके लगा दें। लेकिन मजबूरी यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति कलकत्ता, बम्बई से आकर राजस्थान में लाइसेन्स ले सकते हैं और उनको राजस्थान सरकार खाली पड़ी जमीन दे सकती है, बिजली दे सकती है। लेकिन जो छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनका विकास नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाय और जहां तक हो सके ऐसी इन्डस्ट्रीज़ कोऑपरेटिव बेसिस पर दी जाय, इसको पब्लिसिटी करके लोगों को इस तरफ अट्रेक्ट किया जाय और लोगों को इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट में सहयोग देने का अवसर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि राजस्थान में इन वर्षों में उद्योग काफी तादाद में बढ़े है। काफी कपड़े की मिलें खुल रही हैं, लेकिन शक्कर उत्पादन की तरफ बहुत ध्यान नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद)

दिया गया है। राजस्थान बनने से पहले हमारे क्षेत्र में तो जो शुगर फैक्टरीज़ थीं वे ही अब भी हैं—एक भी नहीं बढ़ी है। पहले न इतने तालाब थे और न बन्ध थे, लेकिन उसके बाद इन वर्षों में इन सब सुविधाओं के हो जाने से वहां काफी गन्ना उत्पन्न होने लगा है, लेकिन उसका खरीदार नहीं होता। जब कि गन्ने की रेट एक रुपया आठ आना, एक रुपया दस आना लगा दी गई फिर भी वह गन्ना वहां की शुगर फैक्टरी द्वारा नहीं उठाया जाता। इसके कारण उस गन्ने का गुड़ बनता है जो आठ रुपये मन के हिसाब से बिकता है। गन्ने की कीमत तय करने के बाद जिस मिल मालिक को जो जोन दे दिया जाता है जिससे दूसरी मिलें वहां से गन्ना नहीं खरीद सकती हैं, उसके कारण मांडल में जहां ६ लाख मन गन्ना होता है उसके आसपास के ग्रामों में करीब १५ लाख मन गन्ना होता है और भोपालसागर मिल वाले को जो जोन दे दिया जाता है तो वह अपनी इच्छानुसार खरीदता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे गन्ना उत्पादन करनेवालों को उनके आगे डाल दिया जाता है कि मरजी आवे जैसा वे रोंद दें। किसानों को गन्ने की गाड़ी की चिट्ठी नहीं मिलती है। आज वहां के किसान की हालत यह है कि उनका गन्ना सूख रहा है। गये साल भी जून महीने तक सूखता रहा। अब यह कहा जा सकता है कि दूसरे मिल-वाले को दे दिया जाय लेकिन जो जोन जिसको मिल जाता है उससे बाहर वह गन्ना जा नहीं सकता। आज होता यह है कि एक हजार किसान गांव के चिट्ठी लेने जाते हैं उनमें से मुश्किल से सौ-पचास किसानों को चिट्ठी मिल पाती है और ६०० को वापिस लौट कर आना पड़ता है हताश होकर। इसलिये मेरा निवेदन है कि मांडल में एक शुगर फैक्टरी का निर्माण किया जाय, पब्लिक सेक्टर में। जहां गन्ने के उत्पादन की तादाद बढ़ी है उसके अनुसार हमारे यहां पचास लाख मन गन्ना पैदा होता है उसको एक फैक्टरी उठा नहीं सकती। अगर और फैक्टरी नहीं खोली जाती है तो किसान को एक रुपया प्रति मन का नुकसान होता है। इस तरह से पच्चीस लाख रुपये का किसानों को नुकसान हर साल होता है। मैं यह नहीं कहता कि इसी साल यह बन जाय। यह हो भी नहीं सकता कि एक साल में बन कर चालू हो जाय। लेकिन जब तक वह नहीं बन सकती, यह तो आप कर सकते हैं कि किसानों को अपने माल के लिये पर्चियां घर पर ही मिल जायं इससे यह पता चल जायगा कि मिल कितना माल खपा सकती है। उसके बाद जो माल बचता है वह किसी दूसरे प्रान्त की फैक्टरी को दिला दिया जाय। इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। जब तक गांव में फैक्टरी न बन जाय, अतिरिक्त जो गन्ना रहता है उसको बिकवाने का दूसरी जगह इन्तजाम किया जाना चाहिये।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): सभापति महोदय, आज देश में, देश में ही क्या हमारे इस प्रान्त में इस बात का तकाजा है कि उद्योगों का विकास जितनी त्वरित गति से हो सके, हो और इसी संदर्भ में कुछ अर्थ-शास्त्रियों ने फिगर्स निकाले हैं, जो फालतू कैपेसिटी इन्डस्ट्रीज की रह जाती है उसके विषय में। उन आंकड़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है तो वास्तव में वस्तुस्थिति समझ में आती है, जिस स्थिति के कारण यहां उत्पादन में कमी पड़ती है। यह भी सुनने को मिलता

(राव श्री नारायणसिंह)

है—जिस प्रकार बजट स्टडी की पुस्तक निकली है उसमें बताया गया है—कि यहां के कपड़ा उत्पादन में कमी आयी है । आज इस विषय को लेकर मैंने भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । खास तौर से सभापति महोदय, आपकी मार्फत इस सदन का ध्यान विजयनगर मिल के बन्द हो जाने से जो स्थिति पैदा हुई है उसकी ओर आकर्षित करने का है । विजयनगर टैक्सटाइल मिल्स को लगे हुए काफी अर्सा हो गया । जिस समय यह लगी थी उसमें मैं भी जिम्मेवार था और उसको लगाने पर बीस साल की मोनोपोली भी दी गई । जिस समय ये सब बातें हुई उस समय यह अनुमान नहीं किया जा सकता था कि जो मिल लगाने वाले हैं वे उस मिल को चलाने के बजाय इस प्रकार का अवरोध पैदा कर सकते हैं, जिससे मजदूर समस्या बराबर लटकती रहेगी । सन् १९४९ से यह गड़बड़ चल रही है । जिस समय भार्गव एवार्ड के अनुसार ४२ रुपये न्यूनतम वेतन मजदूरों को दिया जावेगा, यह बात तय हुई थी । उसके बावजूद भी झूठे दस्तखत इत्यादि की और दूसरी प्रकार की कम्पलेन्ट्स चालू हुईं । परिणाम यह हुआ कि अजमेर सरकार के वक्त इस विषय में और बातें उठी और ५६ रुपये न्यूनतम वेतन मुकर्रर किया गया । उसके बाद १९५२ में मिल बन्द कर दिया गया और मजदूरों की समस्या उसी प्रकार लटकती रही । जो कुछ भी न्यूनतम वेतन मुकर्रर किया गया उसके चक्कर में दूसरी तरह की दिक्कतें आती रहीं । इस दर्मियान में यह नक्शा बनता रहा, कभी मिल चालू तो कभी बन्द । इस तरह से ६ लाख का घाटा हो गया । सन् ५७ में फिर मिल बन्द हुई । कुछ कारण ऐसे थे जो बकाया रकम मजदूरों की थी उसकी बाबत कुछ कुर्कियां हुईं और इस तरह से चार-पांच हजार की रकम चुकाई गई । तब सेठ ने यह जाहिर किया कि वह जल्दी ही मिल को चालू कर देगा और जो कुछ कमियां हैं उनको पूर्ति कर देगा । इसके बावजूद १९५८ में आखिरी बार फिर मिल बन्द हुई । वह चीज जिसका तसफिया कभी का कर दिया जाना चाहिये था तब तक नहीं हुआ । वहां के जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक पत्र २६।८।६० को मुख्य मंत्री के नाम लिखा । उसके साथ साथ उन्होंने अपने मजदूरों के हिसाब के चुकारे का भी हिसाब संलग्न किया । अभी समय नहीं कि उस सारे हिसाब को मैं दोहराऊं । अभी तक काफी लाख की रकम मजदूरों की बकाया है । मिल की स्थिति इस प्रकार की है कि सारी मशीनरी बहुत काफी पुरानी है जिससे लेबर को काम करने में काफी दिक्कत आती है । इसके साथ साथ आज का नारा तो यह है कि लेबर की पोटेन्शियल को ऊपर उठायें, लेबरर्स की कन्डीशन को अच्छी करें । इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ जो मजदूरों को पुरानी मशीन के साथ जूझना पड़ता है; इतना ही नहीं लाखों रुपयों की रकम बकाया उन सेट साहब में है । यद्यपि मिल पर कुर्कियां हो रही हैं फिर भी सेट साहब की तरफ से कोशिश चालू है कि फिर वे लाइसेन्स प्राप्त करें । सन् ५८ में यह बन्द हुई तब से नैराश्यता का वहां पूरा वातावरण है । मैंने, स्वयं ने जनरल इलेक्शन के समय इसको पूरी तरह से देखा, पहले से भी देखता आ रहा हूँ । इसके बावजूद भी मिल चालू होने में कठिनाई है । वहां की मिल

(राव श्री नारायणसिंह)

छोटी मोटी मिल नहीं, १४,००० स्पीन्डल्स हैं, ३११ लूम्स हैं। अगर उसका निपटारा जल्दी कर दिया जाता तो वहां की खुशहाली बढ़ती। मैं यह भी सोच रहा हूं कि यहां उन मजदूरों के लाभ के लिये इसके अतिरिक्त कार्यवाही करने के पुख्ता सुझाव दिये जायं और दिये भी हैं। मैंने यह देखा कि जिस समय ६१ में पब्लिक रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ एक्ट पास हुआ था उस समय मुझे आशा बंधी थी कि उसके अन्तर्गत कुछ ठोस कार्यवाही सरकार कर सकेगी। इसके अलावा मैंने यह भी सुझाव दिया था कि इस मिल को कोआॅपरेटिव बेसिस पर परिवर्तित किया जाय तो अच्छा रहेगा। इस कोआॅपरेटिव में इस प्रकार के सिद्धान्त रखे गये थे कि इसको इन्डस्ट्रियल रिलीफ एक्ट के अन्तर्गत लेकर जो कुछ मजदूरों का बकाया है उसका इस तरह से तसफिया किया जाय कि जो कुछ मजदूरों का बकाया है वह शेयर के रूप में आ जाय। इस तरह से मजदूर, मिल का स्वामी और सरकार स्वयं शामिल होकर मिल को चालू करें। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इन चीजों को क्यों नहीं कर पाती। इसके साथ साथ मैं तो यह समझता हूँ कि आज की स्थिति में या तो सेठ को यहां से स्पष्टतया सचेत हो जाना चाहिये कि इतने अरसे में वे मिल को चालू कर दें और फौरन मशीनरी रीप्लेस करने का प्रयास करें अथवा उस स्थान की जो मांग है उसको पूरा करते हुए दूसरे किसी उद्योगपति को मिल लगाये जाने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ यदि सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठाती तो जो बढ़ती हुई औद्योगिक आबादी विजयनगर की है उस पर एक तरह से ठेस लगेगी।

इसके अलावा और कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं कि जो बुनियादी वस्तुएं हमारे उद्योगों के सिलसिले में आवश्यक हैं और हमारी रोजमर्रा की खपत के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनकी सुलभ प्राप्ति हो, इस प्रकार के कदम उठाने में यहां शायद कमी रही है। मैं इस वर्ष में कॉटन, सीमेंट और कोल इन तीन विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कॉटन कन्ट्रोल ऑर्डर १-९-६१ को ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड से अपोइन्ट किये हुए सेन्ट्रल इन्डिया कॉटन एसोसियेशन उज्जैन में काम करता है; जिसके मातहत केवल दो प्रतिनिधि राजस्थान में हैं जिनमें से एक विजयनगर में भी है। पर दिक्कत यह है कि ऐसे अधिकारी और वे सारे राजस्थान के लिए दो जब तक माल का इन्स्पेक्शन नहीं कर ले तब तक वह लाभ उठाया नहीं जा सकता। इससे बड़ी दिक्कत आती है, काफी स्टॉक पाइलिंग हो जाता है। इस अड़चन को भी किसी तरह सोच विचार कर दूर किया जाना चाहिये।

सीमेंट के बारे में भी कई शिकायतें अलग अलग तरह से आती हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अलावा सारे राजस्थान से ही इस तरह की शिकायतें सुनने को मिली हैं। पहले परमिट सिस्टम था, अब प्रोफोर्मा सिस्टम कर दिया है। इसका परिणाम यह होता है कि म्युनिसिपल अधिकारी हैं उनके सामने सब जाता है। वहां से इसकी मंजूरी होती है। इसमें बड़ा लम्बा अर्सा गुजर जाता है

(राव श्री नारायणसिंह)

और सीमेन्ट की उपलब्धि में काफी दिक्कत आती है। इस दिक्कत के कारण पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स में जो काम चलते हैं उनमें जहां यह काम में आती है; इन्डस्ट्रीज में भी उसका योगदान होता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या इसका अन्तिम परिणाम होता होगा, इस दिक्कत को मिटाने की ओर प्रयास करना अतिआवश्यक है।

कोयले के बारे में भी पहले के सत्र में एक बार मैंने जिक्र किया था। कोयले के बारे में जो स्थिति राजस्थान में गुजरी थी उसके लिये तो हम राजस्थान सरकार पर उपालम्भ नहीं रख सकते, वैगन्स के अभाव में कोल का बोटल नेकिंग हुआ। आज हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि कोयला ऐसी बुनियादी वस्तु है जिस पर कई उद्योग-धन्धों की सफलता निर्भर करती है। अजमेर के कुछ कोल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन को रिप्रेजेन्टेशन है। उस पर नजर डालते हैं तो कई स्थितियां ऐसी बनती हैं जिनको दूर करना बहुत आवश्यक हो जाता है।

कोल के एस्टेब्लिश्ड डीलर्स केवल अजमेर में हैं, राजस्थान में कहीं अन्यत्र कोल के एस्टेब्लिश्ड डीलर्स नहीं हैं, इसलिये वहां टेन्डर सिस्टम अडोप्ट किया गया। टेन्डर से कीमत बोलने का सिस्टम है वह ऐसा है कि सही ढंग से यदि सोचा जाय तो स्टॉक रखने में खर्चा होता है, और और खर्च आते हैं उनके अनुसार टेन्डर की पूर्ति नहीं हो सकती और फिर भी टेंडर। नीचे तो इसके जो आखिरी परिणाम होते हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं। वैगन्स अलॉट किये जाते हैं, इसके सम्बन्ध में इस मर्चेन्ट एसोसियेशन ने साफ लिखा है कि केवल अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिये १,६०० वैगन्स की आवश्यकता है, वहां ६०० वैगन्स ही मिलते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग): सालाना बता रहे हैं या मन्थली ?

राव श्री नारायणसिंह: १,६००सालाना, ६०० भी सालाना। इसके अलावा इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि बजाय इन मर्चेन्ट्स के पास सीधा पहुंचने के कलेक्टर के पास पहुंचता है, फिर स्टेशन से ले आने में काफी दिक्कत होती है। जहां एस्टेब्लिश्ड डीलर्स हैं उनके पास सीधा पहुंचना चाहिये। टेन्डर सिस्टम का गलत तरीका है। एस्टेब्लिश्ड डीलर्स का तरीका जैसा कि राजस्थान में भी अजमेर में है, वैसा ही तरीका सब जगह प्रसारित किया जाना चाहिये। उनके प्रतिवेदन के अनुसार कोटा के अलॉटमेंट के बारे में जो कहा है उसके सम्बन्ध में कहते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां के इन्डस्ट्रीज ऑफिस द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको इर्रेगुलेरिटी और इस तरह की शिकायत नहीं रहे, क्योंकि आज अलॉटमेंट वगैरह में इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ हो गई हैं कि उनके कारण उनको कोटा उपलब्ध नहीं होता है। इस विषय में मैं जो डायरेक्शन कोल कन्ट्रोलर ने ४२ में दिया वह पढ़ कर सुनाऊंगा........

श्री चन्दनमल वैद : कौनसे साल में डायरेक्शन दिया ?

राव श्री नारायणसिंह : ४२ में, उसमें लिखा है :—

"Coal Dealers : In allotting coal dealers for supply of coal to the small industries or brick fields, whose monthly requirements are less than a wagon load and for domestic purposes recommendations should be made directly in the name of local dealeres and not in the name of middlemen. The P. C. Cs. should not disturb the normal channel of business and should allot wagons to all coal dealers in proportion to the extent of their past business."

इस सिद्धान्त को मूलाधार रखते हुए सोचे तो यह दिक्कत दूर हो सकती है । इन तीनों चीजों के बारे में मैं इस थोड़े समय में जो प्रकाश डाल सकता था वह डाल चुका ।

इसके बाद लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है । इसके सम्बन्ध में समयाभाव के कारण ज्यादा नहीं कहते हुए Report on Small Industries in India by International Planning Team-Ford Foundation की रिकमन्डेशन्स हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उन्होंने यह मान्य किया है और सबसे प्रथम उनका वाक्य है :—

"Indian market is one of the largest potential domestic markets in the world. If this market is fully developed in both the cities and villages, it could stimulate perhaps the greatest industiral revolution ever seen and make India one of the foremost producing and consuming areas in the world."

और आगे यह भी कहा है :

"Many small industries are now facing a crisis deteriorating in output and in employment and are increasingly unable, because of decline in demand and production, to pay better wages or lift standard of living of their employees."

(४.० म. प.)

कुछ स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के विषय में उन्होंने जो कमियां पाई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश इन शब्दों में डाला है :—

"To little initiatives on the part of the private sector, too great reliance upon Government to take action and upon Government purchasing orders, lack of production and marketing methods, lack of credit facilities and lack of systematic approach towards improvement."

इस प्रकार से कहते हुए विषद् रूप से कुछ सुझाव दिये हैं । मैं केवल उनको समय की कमी के कारण गिना जाऊंगा । उन्होंने एक तो मल्टीपर्पजेज इन्स्टीच्यूट्स ऑफ टैक्नोलोजी—यह स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए रिकमन्ड किया है और डिजाइनिंग मैथड ऑफ सप्लाई, क्वालिटी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेशनल स्केल ऑफ डिजाइन्स रिकमन्ड की हैं, कस्टमर्स सर्विस कॉरपोरेशन का सुझाव दिया है, एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट ऑफिस का सुझाव दिया है और इसके अलावा उन्होंने क्रेडिट और फाइनेन्स पर काफी प्रकाश डाला है और

(राव श्री नारायणसिंह)

उसमें स्मॉल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन का सुझाव दिया है। एक प्लान्ट फॉर प्रोडक्शन एण्ड ट्रेनिंग का सुझाव दिया है और मार्केटिंग पर जोर देते हुए मार्केटिंग सर्विस कॉरपोरेशन का सुझाव दिया है। कहने का तात्पर्य यह है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Just a minute, Sir, इन्हीं सुझावों के आधार पर बातों को लेकर यदि हम सोचें तो उन्हीं के समानान्तर हमारे राज्य में ऑर्गेनाइजेशन्स बन सकते हैं, जिस प्रकार मल्टीपर्पज इन्स्टीट्यूट्स ऑफ टैक्नोलोजी, स्मॉल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग सर्विस कॉरपोरेशन इत्यादि पर विचार कर सकते हैं। यह निर्विवाद बात है कि टैक्निकल नो-हाऊ की और क्रेडिट फेसिलिटी और फाइनेन्स को जो स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को जरूरत होगी उन पर विचार करना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो पिछड़ा हुआ जो लेबर है उनको लेबर देना होगा। इसका तो मैं पूरा अनुमोदन करूंगा कि मिनिरल इन्डस्ट्रीज की रिपोर्ट में कहते हुए कहा गया है कि टैक्निकल रिसर्च इत्यादि की व्यवस्था की गई है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि स्मॉल इन्डस्ट्रीज अथवा बिग इन्डस्ट्रीज अलावा इसके कि पूरा इन्डस्ट्रीयल सर्वे हर जगह का हो, ऐसी भी ब्रान्चें इन्डस्ट्रीज ऑफिस की होनी चाहिये। ये मार्केट्स एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के हिसाब से, रॉ मेटीरियल की उपलब्धि के हिसाब से सब खयाल रखते हुए किस इन्डस्ट्री को किस जगह स्थान मिले, किस प्रकार की स्मॉल इन्डस्ट्री अथवा बड़ी इन्डस्ट्री कहां पनप सकती है और किस प्रकार इन्डस्ट्रीयल उन्नति में वे सहयोगी हो सकती हैं उनकी गाइडनेस का सिलसिला बनाना चाहिये, जिससे एक प्लान्ड तरीके से हमारी इन्डस्ट्रीज की प्रोग्रेस हो सकेगी और खास तौर से छोटे २ उद्योगों में कुटीर उद्योगों में लगे लोग पनप सकेंगे। इस सम्बन्ध में एक बात और कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्मॉल इन्डस्ट्रीज और कुटीर उद्योगों के लिए सहयोग उत्तम है ही। इस सम्बन्ध में पंचायत को प्रोत्साहित करना चाहिये। वे स्वयम् इन इन्डस्ट्रीज को हाथ में ले सकें, उनको चला सकें। उनकी क्रेडिट और फाइनेन्स की दिक्कतों को दूर करें। जहां पंचायतों के साधनों को कमी की बात आती है तो वे भी दूर हो सकेंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ इन पंचायतों को देने से उस प्रकार की सीमा कोऑपरेटिव सेक्टर की बनेगी जिससे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग सही ढंग से और सही निरीक्षण से पनप सकेंगे।

इतना ही कह कर चूंकि समयाभाव के कारण कई बातों पर प्रकाश नहीं डाल सका हूं, मैं समझता हूँ कि इन सुझावों को अमल में लाने की पूरी पूरी कोशिश की जावेगी।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारीलाल !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष आज की इस उद्योग सम्बन्धी मांग पर तीन कटौती प्रस्ताव प्रेषित करता हूं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव घरेलू उद्योग धन्धों की जो उपेक्षा की जा रही है उसके सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कि राजस्थान सरकार की पूरी की पूरी नीति जो उन्होंने कॉटेज इन्डस्ट्रीज के सिलसिले में या घरेलू उद्योग धन्धों के विषय में अपनाई है वह पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं कि आखिर में इसकी ओर वे क्या लक्ष्य रखते हैं। सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां कृषि के कार्य करने के बाद भी बहुत ज्यादा समय देशवासियों के सामने या कृषकों के सामने फालतू रहता है जिस समय में वे घरेलू उद्योग चला सकते हैं, छोटे छोटे काम करके सप्लीमेन्टरी इनकम कमा सकते हैं, इसकी उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि बड़े जोर से इस बात का प्रचार किया जाता है कि हम देश में और खास कर राजस्थान में बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह बात एक जगह ठीक हो सकती है। जहां राजस्थान के बड़े बड़े मंत्री, मुख्य मंत्री बड़े बड़े सेटों के पास, कलकता, बम्बई के सेटों के पास उनकी चापलूसी करने के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए, बड़े बड़े सौदे करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, न जाने पर्दे के पीछे क्या होता है। इतनी बात करते हैं या नहीं, लेकिन यह सही है कि उन्होंने हमारे घरेलू उद्योग धन्धे की नितान्त उपेक्षा कर दी है। यदि बजट के आंकड़े देखें तो प्रतीत होगा कि जहां लोन का मसला आता है तो १७ लाख रुपया दिया गया है। यह किस किस जगह पर दिया गया है और किस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है इसकी लम्बाई चौड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पिछले साल के आंकड़े हैं कि ४५३ आदमियों के लिए सुविधायें जुटाई गईं। जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में सामन्जस्य स्थापित किया जाय वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ से छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को बचाया जाय। इस प्रकार की हमारी नीति होनी चाहिये। राजस्थान के औद्योगीकरण की बात सोचते हैं तो घरेलू उद्योग धन्धों की क्या स्थिति हो, यह देखना होगा। राजस्थान में औद्योगीकरण हो, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ बनें, वे कायम कर दी जायें, उसके साथ साथ घरेलू उद्योग धन्धों का अहम सवाल है और यह प्रमुख स्थान रखता है। भारतवर्ष में जितने उद्योग धन्धे बढ़े हैं और नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन उतनी नहीं। हाथ से बनाया जानेवाला कपड़ा घरेलू उद्योग-धन्धों में प्रमुख स्थान रखता है, गांवों में खपत के लिहाज से बनिस्बत बड़ी बड़ी मिलों के। जब राजस्थान के सामने भुखमरी है, अनएम्पलॉयमेन्ट है तो उसका समाधान करना पड़ेगा, उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा, गरीबी से लड़ना पड़ेगा, तो स्वतः ही हमारा ध्यान घरेलू उद्योग धन्धों की तरफ चला जाता है। मैं आपको दूसरे देशों का उदाहरण दूं। सेकिन्ड वर्ल्ड वार के वक्त में जापान के लिए यह कहा जाता था कि यह देश बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जावेगा और बीस वर्षों में भी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। आज हम देखते हैं कि जापान ने घरेलू उद्योग धन्धों के कारण, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ के कारण तेजी से तुरन्त तरक्की करली है और भारत जैसा देश उसके सामने कर्जे के लिए हाथ पसारता है। दूसरे देशों की ओर भी ध्यान लगाइये कि जो सेकिन्ड वर्ल्ड वार में चौपट हो गये थे, जर्मनी,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जिसके उद्योग धन्धे, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ ध्वस्त हो गई थीं, फिर अपने पांव पर तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ है और आज उसके उद्योग धड़ाधड़ माल पैदा कर रहे हैं। कारण क्या था ? कारण यही था कि उनका सही प्लानिंग था, राइट चेनल में सरकारी मशीनरी ने काम किया।

उनका जो दृष्टिकोण था वह पर्टीक्यूलर लक्ष्य को लेकर था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : वह दृष्टिकोण क्या था ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह मैं रख रहा हूँ। तो इस सम्बन्ध में चूंकि कटौती–प्रस्ताव पेश करने के लिए मुझे केवल ५ मिनट मिले हैं...

श्री सभापति : आप संक्षेप में बोल दें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जैसा कि सभापति महोदय का भी मुझे आदेश है, परन्तु खास तौर से कुछ मोटे मोटे सुझाव इस संबंध में रखना चाहता हूं।

छोटे उद्योगों को चलाने के लिए पहले एक बात कही जाती थी कि राजस्थान के अन्दर कुछ शक्ति नहीं है, पॉवर की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य इस बात पर निर्धारित करके होना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर सरप्लस मैन पॉवर है, राजस्थान के अन्दर आदमियों की शक्ति काफी है। आज राजस्थान का नौजवान अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहता है, अपने बाजुओं का जोर आजमाना चाहता है और अपने पसीने की कमाई से अपनी रोजी–रोटी कमाना चाहता है, परन्तु उसके पास साधन उपलब्ध नहीं हैं। यहां स्पष्ट दृष्टिकोण यह अपनाया जाना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी के मैन पॉवर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धन्धे, क्रूड ऑइल के छोटे छोटे इन्जिनों से चलने वाले जिनमें ५–४ तकुओं से भी काम चल सकता है, जैसा कि अम्बर चर्खा पास हुआ है उस अम्बर चर्खे को १ हॉर्स पावर या दो हॉर्स पावर या क्रूड ऑइल वगैरह के इन्जिन से ५–६ तकुओं के चर्खे ईजाद किये जाने चाहिए। इस तरह के औद्योगीकरण के लिए घरेलू धन्धों को पनपाया जाना चाहिए। यहां भरतपुर स्टेट का सवाल था और भरतपुर और धौलपुर का सवाल है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से १५ साल पहले वहां पर कुछ ऐसी स्कीमें चलती थीं जिनके लिए बड़ी बड़ी प्रश्नावलियां तैयार की गई थीं कि हर जगह कहां कहां किस किस चीज की क्षमता है, उसका सर्वे किया जाय। यह बड़ी लम्बी चौड़ी प्रश्नावलियां तैयार की गई थीं जिनका सर्वे करने का लक्ष्य था।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको केवल ३ मिनट और बोलना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

महोदय, निवेदन करूंगा कि मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं और कुल मिला कर अगर समय निर्धारित भी करेंगे तो मेरी दृष्टि घड़ी पर है और मुझे बोलते हुए अभी ५ मिनट ही हुए हैं और १५ मिनट का समय है। तो मैं निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कम से कम समय लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक प्रश्नावली इस संबंध में तैयार की जाय कि किस किस स्थान पर किस किस प्रकार के उद्योग चलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जरी का काम भरतपुर खास में बड़ा अच्छा होता था। वहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर भूखे हैं। मैं केवल उद्योगों के नामों की गिनती बताऊंगा, क्योंकि समय की कमी है। किस किस उद्योग के बारे में प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या तरीके काम में लाये जाने चाहिए उनको बताने की स्थिति में मैं आज नहीं हूं, क्योंकि समय का अभाव है।

भरतपुर में चन्दन और हाथी-दांत का काम होता था। भरतपुर में यह ऐतिहासिक काम था। यह उद्योग धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इस संबंध में पूरी तरह से कदम उठाये जाने चाहिएं। यह एक ऐतिहासिक काम है और बड़ा आर्टिस्टिक है। ऐसा काम है जो विदेशी मुद्रा के अर्जन करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहां तक कि बड़े बड़े विदेशी मेहमान आते हैं भरतपुर में शिकार खेलने के लिए। विदेशों के हैड आॅफ दी स्टेट्स, राजा और बड़े बड़े प्रेसीडेन्ट आते हैं उन लोगों को जब ये चीजें पेश की जाती हैं तो वे मुक्त कण्ठ से इस उद्योग की और इन चीजों की प्रशंसा करते हैं।

तो इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि बाड़ी और डीग के अन्दर वहां लोहे का काम करने वाले हजारों की तादाद में मजदूर हैं। वे लुहार रात-दिन लोहे का काम करते हैं और बड़े बड़े कड़ाव, गड़ांसे, कुल्हाड़ी वगैरह वे बनाते हैं। लेकिन रॉ मेटीरियल के अभाव में यह काफी क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। डीग में आॅलरेडी इसके लिए एक कोंपरेटिव सोसाइटी भी बनी है। उसमें किस किस तरह से क्या क्या हुआ उसकी लम्बाई-चौड़ाई में आज नहीं जाऊंगा। इन सब की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

अबाबाद में करघे का काम होता था। आज वहां हजारों की तादाद में मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। यहां तक मैं निवेदन करूंगा कि हाथ करघे के काम के लिए मैं राजस्थान की ही बात नहीं कहूंगा, हिन्दुस्तान में भुसावर एक मशहूर जगह थी। बड़े दुःख की बात है कि वहां जुलाहों का यह काम जल्दी हो खत्म होता जा रहा है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको एक मिनट में ही समाप्त करना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो एक मांग रह गई है, केवल दो मांगों पर बोला हूं।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

इस प्रकार जहां पर बयाने का सवाल था तो बयाने के अन्दर एक जमाना था मुगलकाल से अब तक कि वहां के बुनकर दिल्ली तक अपना माल बेचने के लिये जाया करते थे ; आज वह इन्डस्ट्री वहां पर सूत के अभाव में काफी बरबाद हो चुकी है । उनको कोटा वगैरह नहीं मिलता है ।

इसी तरह से तेल घानी का सवाल है । मैं निवेदन करूंगा इस संबंध में कि राजस्थान सरकार ७ बड़ी बड़ी मिलें तेल की और कायम कर रही है, परन्तु इसके साथ साथ मैं चेतावनी के तौर पर सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही वे मिलें कायम की जायं लेकिन उनके साथ में तेलघानी के काम की, जिसके ऊपर हजारों की तादाद में परिवारों की ज़िन्दगी मुनस्सर है, उपेक्षा नहीं की जाय । तिलहन हमारे इलाके में बहुत ज्यादा होता है । हम चाहते हैं कि उसके लिए मिलें कायम हों, लेकिन साथ ही तेलघानी का काम जिसके ऊपर छोटे छोटे लोगों की जीविका आधारित है उसको भी बराबर प्रोटेक्शन मिले ।

सभापति महोदय, मैं निहायत ही नम्रता के साथ भरतपुर जिले के बड़े ही प्रमुख और महत्वपूर्ण मसले की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । वहां पर जहां कि खारे पानी का इलाका है वहां आज से २० वर्ष पहले उस इलाके में नमक का काम इतना प्रधान था कि वह भारतवर्ष में बहुत ही प्रमुख काम था । आज वह नमक का काम वहां पर नहीं हो रहा है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : एक मिनट हो गया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: एक मिनट में ही समाप्त करता हूँ । Just a minute. वहां पर जो नमक का काम था उस नमक के काम के लिए योजना बनाई गई और बड़े बड़े आदमी आगे बढ़े, इस बात के लिए । कुछ आदमियों में इस बात का इन्सेन्टिव पैदा हुआ कि नमक उद्योग को पुनः चालू करेंगे । इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोगों की जीविका का पालन हो........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सांभर के नमक से भरतपुर जिले का नमक अच्छा है ।........

श्री मोहनलाल सुखाडिया : चेयरमैन महोदय, घंटी बजाने का मतलब कुछ होता है; यह नहीं होता है कि घंटी बजती रहे और वे चालू रहें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना पूरा टाइम ले चुके हैं ।

(विराम)

श्री मूलसिंह ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : Just a minute. केवल एक मिनट ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह समझता हूँ कि यह मेरे साथ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अन्याय है और मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि मेरी वाणी पर, और खास तौर से जब कि मैं ठोस सुझाव दे रहा हूं, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उनको काफी समय दिया गया, मेरे ३ कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए मेरी जबान पर ताला लगाया जा रहा है, हाउस से बहिर्गमन करता हूँ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बहुत कटौती-प्रस्ताव हैं, कम से कम समय लें तो ठीक रहेगा।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इस उद्योग के अनुदान पर पांच कटौती के प्रस्ताव अपनी तरफ से मैं पेश करता हूँ।

पहला मेरा प्रस्ताव है ग्रामोद्योगों के बारे में।

आज राजस्थान के अन्दर विकास के बारे में सरकार बहुत लम्बी चौड़ी बातें करती है। वह हां, अगर जो गुजरे हुए साल हैं उन सालों में हमारे इस उद्योग विभाग ने किस तरह से ग्रामोद्योग को पनपाने के लिये काम किया है इसके ऊपर अगर हम दृष्टिपात करें तो मैं कह सकता हूं कि इस विभाग के पास कोई भी इस तरह की योजना, जिससे यह मालूम हो सके कि किस किस जगह पर किस किस तरह के ग्रामोद्योग जिला स्तर पर चल सकते हैं, नहीं है।

आज से एक साल पहले उदयपुर में जिला प्रमुखों और पंचायत समिति के प्रधानों और राज्य के उच्च अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उस वक्त भी वहां पर सभी लोगों की तरफ से इस ग्रामोद्योग और खास तौर से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में जो भी योजना और तरीके सरकार ने काम में ले रखे हैं, उसके बारे में बहुत ही ठोस सुझाव दिये गये थे। पर आज एक साल से भी ज्यादा समय हो गया, सरकार ने उनको कोई अमली रूप नहीं दिया है। पंचायत समितियों की तरफ से भी प्रस्ताव पास करके भेजे गये कि खादी कमीशन की तरफ से कुछ संस्थाओं को पैसा दिया जाता है वो उन संस्थाओं को नहीं दिया जावे। मैं एक संस्था का उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। शाहपुरा में खादीतट सर्वोदय संघ है, जिसका एक खादी भंडार प्रतापगढ़ में है और दूसरा किशनगढ़ में। इस लम्बे चौड़े क्षेत्र में कितने ही तो जिले आते हैं और कितनी ही तहसीलें पड़ती हैं। परन्तु जब खादी कमीशन को यह लिखा जाता है कि पंचायत समिति के प्रस्ताव के आधार पर हम यहां अपना उद्योग चलाना चाहते हैं तो उनका जवाब मिलता है कि वहां एक संस्था काम कर रही है, जब तक आपका एफीलियेशन उसके साथ नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चल सकता। इन संस्थाओं में किस तरह से काम होता है, यह इससे जाहिर है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बनेड़ा पधारे थे तो उनको दर्ख्वास्त देकर यह बताया गया था कि इस संघ की तरफ से बनेड़ा के अन्दर एक अम्बर चरखा का परीक्षण के तौर पर ६० महिलाओं ने काम किया और साठ चरखे खरीद लिये। पर उनको २०) रुपये के हिसाब से जो रिबेट उन पर मिलनेवाला था वह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उनको नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण हैं ? इन कारणों पर विनोबा भावे से लेकर उनसे नीचे तक के कार्यकर्त्ताओं से लिखापढ़ी की गई, व्यक्तिगत तौर से भी बात की गई पर हल कुछ नहीं निकला !

इसके अन्दर एक नियम बना हुआ है कि जितना मुनाफा जिस सेन्टर से होता है उस मुनाफे उस सेन्टर पर खर्च किया जाता है। बनेड़ा में को उस खारीतट खादी संघ की तरफ से एक सेन्टर चलता है, खादी भंडार चलता है। सात साल से बराबर मुनाफा हुआ है वह करीब २७ हजार रूपये का है। उसको बनेड़ा या बनेड़ा तहसील में खर्च करना था। पर उसमें से सिर्फ ४००)रु० लगाकर एक सर्वोदय आश्रम के नाम से छोटा सा मकान बनाया गया है। इसमें क्या होता है, यह कुछ भी पता नहीं और जैसा कि अभी कहा गया कि खादी ग्रामोद्योग की जो संस्थाऐं हैं राजनीति में काम नहीं करती। यह गलत है।

मैं आदरणीय अध्यक्ष (सभापति) महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के दौरान में बनेड़ा के खादी भंडार के संचालक महोदय ने, नो बातें कहीं कि चुनाव में किन लोगों को वोट देना चाहिये। इसके विपरीत इस खादी संस्था के शाहपुरा के रहनेवाले मन्त्री महोदय हैं, उनको बुला कर कहा गया कि तुम्हारे यहां पर काम करने वाले लोग इस तरह की बातें क्यों कहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है और यह कांग्रेस के खिलाफ पड़ती हैं, इसलिये उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। कहने को तो कहा जाता है कि किसी तरह राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये, पर प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यकर्त्ताओं को डांटा जाता है और राजनीति में काम करने को बाध्य किया जाता है। कोई अपनी सही बात जनता के सामने रखना चाहते हैं उन कार्यकर्त्ताओं को सही बात नहीं रखने दिया जाता। ये तरीके हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम में लाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वह तो आपके फेवर में है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं फेवर की बात नहीं कहना चाहता। आप इन तथ्यों को तथ्य के रूप में नहीं रखते। आप गलत बातों को सही रूप में नहीं रखते। आप गलत बातों का समर्थन करते हैं। पंचायत समितियें जो बहुत ही जिम्मेदार हैं और जो अपने क्षेत्र में विकास करना चाहती हैं वहां पर काम करनेवाले जितने जुलाहे, कोली हैं उनको काम मिलना चाहिये। जो काम मिल भी रहा है उचित रीति से नहीं मिल रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से और खास तौर से उद्योग विभाग के मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी अनुदान उनको दिया जाता है और आपके बजट में बताया गया है चार लाख और ५३ हजार रूपया इस हाथ करघे के लिये उसको इस साल देने का प्रावधान रखा है, मैं आप से बहुत ही अदब से अरज करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को हो वह दिया जाना चाहिये, जो अपने क्षेत्रमें इस कपड़े के काम को चलाना चाहती हैं और इसके अलावा आपने यह बताया कि हजारों, लाखों रूपया बहुद्देशीय सहकारी समितियों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को, किसी को पांच, किसी को दस, किसी को इससे अधिक रुपया लोन उधार दिया है जिन समितियों की संख्या सैंकड़ों की तादाद नें है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बनेड़ा पंचायत समिति में भी ६ ऐसी सहकारी समितियां खोली गई हैं, पर उनमें से चार बन्द हो गई हैं, इसलिये कि उनका दिवाला निकल गया और मूल पूंजी भी नष्ट हो गई-इसका कारण वे लोग नहीं हैं जो काम करते हैं, पर वे लोग हैं जो सरकार के आदमी हैं। जैसे कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर लोग जिनके अन्दर आपस में झगड़े हैं। पंचायत समिति में जो कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर रहते हैं उनको कहते हैं कि आप लोग इन्डस्ट्रीज़ कोऑपरेटिव सोसायटीज को डवेलप करिये, तो जवाब मिलता है यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण करना है, औद्योगिक समितियों को आगे बढ़ाना या उनकी ओर तवज्जोह देना हमारा काम नहीं है। इसके लिये तो उद्योग विभाग की ओर से और इन्सपेक्टर रखे गये हैं। जो गांवों में साल भर नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि बिना उचित देखभाल के और गाइडेन्स के बनेड़ा की पंचायत समिति में इस तरह की सहकारी समितियां बन्द, फेल हो गई; हाथ करघा सहकारी समितियों का दिवाला निकल गया।

चर्म उद्योग सहकारी समिति, तेल-घाणी सहकारी समिति का भी दिवाला निकल गया। यहां तक कि लोन जो मिला था वह लोन उन सदस्यों पर बराबर कायम रह गया है और वे लोग उसे चुकाने में असमर्थ हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): On a point of information, Sir, ये जिनकी बात बता रहे हैं, क्या उस पंचायत के आप प्रधान नहीं हैं और वे सहकारी समितियां आप के ही तहत नहीं चलती हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह मैंने पहले भी कहा था........

श्री सभापति : समय केवल दो मिनट है अब आपका।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा, जब वे पूछ रहे हैं। मेरे वैसे पांच कटौती प्रस्ताव हैं। आप चाहें तो मैं बैठ सकता हूँ। पर अगर पांच कटौती प्रस्तावों पर आप पन्द्रह मिनट का भी समय नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति : आपको समय का तो बराबर ध्यान रखना ही पड़ेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मैं इस पचायत समिति का प्रधान हूँ यह बिल्कुल सही बात है और इसलिये मैंने सही स्थिति सदन के सामने रखी है। पर पंचायत समितियों के आधीन कोऑपरेटिव समितियों पर कोऑपरेटिव विभाग का अधिकार चलता है। इसकी देखरेख करने का भार कोऑपरेटिव विभाग का है। उनकी देखरेख करने का अधिकार न तो प्रधान के अधीन है, न विकास अधिकारी को ही देखने का अधिकार है। इसलिये यह घोटालेबाजी होती है। आप डबल एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्था में रखते हैं। इससे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यह घोटाले हैं, जो नहीं होने चाहिये। एक ही विभाग के हाथ में हो तो उस काम को चैक किया जा सकता है, जो नहीं हो रहा है। इसलिये ये गडबड़ियां होती हैं। आपका ध्यान मैंने इनकी ओर दिलाया है। आप भी प्रधान हैं, इसलिये आप भी समझिये और एक ही अधिकार, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको लाया जाय इसकी मांग करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पंचायत समिति की मीटिंगों में जाते हैं वे पावर रखते हैं देखरेख करने की। आप कैसे कहते हैं कि इन्सपेक्टर आते नहीं ? आते हैं वे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: आपके यहां आते होंगे, हमारे यहां तो आज दिन तक नहीं आये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पर प्रधान को कोई मना नहीं करता देखरेख करते रहने में।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो कानूनी बात है। मैं कानून में इन्टरफियर नहीं करता, आप करते होंगे।

इसके अलावा मैंने एक कटौती प्रस्ताव यह रखा है कि उदयपुर के अन्दर जो टैक्स-टाइल मिल बनी है, इसके अन्दर जो मजदूर रखे गये हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी इन्डस्ट्री जहां खोली जाती हो उसके पीछे दो मकसद होते हैं। एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़े और दूसरा यह कि जो भी अनएम्पलॉयमेन्ट हमारे यहां है, वह खत्म किया जावे। उदयपुर मिल में जहां कि १८०-२०० मजदूर हैं और इसका जिस रोज उद्घाटन हुआ था मुझे भी मिल को देखने का अवसर मिला और जितने भी मजदूर वहां पर काम करने को थे उनसे मैंने खुद ने पूछा है कि आप कहां के रहनेवाले हैं तो मालूम हुआ, उस मिल में जितने मजदूर थे उनमें से ७५ परसेन्ट मजदूर या तो कानपुर से लाये गये हैं या दूसरी जगहों से भर्ती किये गये है। उदयपुर खास या आसपास के व राजस्थान के उस मिल में २० या २५ परसेन्ट भी नहीं हैं। तो इस तरह से जो मिल या कारखाना खोला जाता है उसके अन्दर इस बात की भी आवश्यकता है कि जो एम्पलॉयमेन्ट हो, जो मजदूर लगाये जावें वे ज्यादा से ज्यादा हमारे इस क्षेत्र के रहनेवाले लोग हों, ताकि बेकारी जो है वह दूर हो सके।

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

जिन माननीय सदस्यों के दो से अधिक कटौती के प्रस्ताव हैं वे अधिक से अधिक १० मिनट बोल सकेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, यह सब के साथ लगायें तो बहुत अच्छा हो। जिनके दो कटमोशन्स थे उनको भी आपने १५ मिनट बोलने दिया है और जिनके ५ थे उनको १५ मिनट भी नहीं दिये।

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय चेयरमैन, इस विषय पर मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। २ कटौती के प्रस्ताव बूंदी नगर से ताल्लुक रखने वाले हैं और एक प्रस्ताव जनरल है। पहले मैं दो कटौती के प्रस्तावों पर निवेदन करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कि बूंदी उन कस्बों में से है जहां एक भी इन्डस्ट्री आज नहीं देख पा रहे हैं, जो कि चलती हो । अगर आप वहां जाकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सैकड़ों आदमी और औरतें जंगलों से लकड़ी लाकर अपनी गुजर करते हैं । यहां तक कि आदमी ही नहीं, औरतें भी जंगलों से लकड़ी लाकर उनको बेचती हैं और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं । इसी के साथ साथ उस लकड़ी काटकर लाने से रोज़ी उनको मिलती है वह बहुत कम है । दिन भर में मुश्किल से १२—१४ आने वह व्यक्ति कमा पाता है; क्योंकि जंगलों से लकड़ी बिक्री के लिए सहकारी समितियां हैं उन सहकारी समितियों के जरिये लकड़ी बेची जाती है और उसके कम्पीटीशन में आकर सिर बोझा लाने वाले व्यक्ति और औरतें हैं उनको इस बात से बड़ी मायूसी है । इस अरसे में जितनी बेकारी इस कस्बे में बढ़ी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के बहुत कम ऐसे कस्बे होंगे जो इस आबादीवाले हों और जहां कि इतनी बेकारी हो । सभापति महोदय, उम्मीद तो यह थी कि इन दस वर्षों के अन्दर कोई बड़ी इन्डस्ट्री, जिसमें हजार, दो हजार आदमी लग सकेंगे इस क्षेत्र में लगाई जायेगी, लेकिन इसके लिए हमें निराश होना पड़ा है ।

गत वर्ष हमने एक ऐलान का बड़ा स्वागत किया था और वह यह कि राजस्थान में १० सूती मिलें कायम होने जा रही हैं और हमने इस बात के लिये निवेदन भी किया था कि यदि बूंदी कस्बे में जहां मजदूर बेकार हैं, जहां गरीबी है और बेरोज़गारी भी बहुत है, यदि इस मिल की स्थापना हो तो अच्छा होगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूती मिलें जिनके लिए भारत सरकार से मन्जूरी प्राप्त की जा रही है जो शायद अब तक हो गई होगी, उनकी स्थापना बूंदी नगर में ही किया जाना बहुत उपयुक्त होगा । इसी के साथ साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज से ८ महीने पहले बूंदी में एक औद्योगिक सम्पदा का शिलान्यास रखा गया था और उम्मीद यह थी कि इसी साल के पहले पहल उसका निर्माण होकर उसके अन्दर काम होने लगेगा और वह पूरी हो जायेगा, लेकिन आज वह शिलान्यास का खाली पत्थर भी वहां से उठा लिया गया है और उसका काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोगों को और ज्यादा मायूसी हुई है । मैं उम्मीद करता हूँ कि इस औद्योगिक सम्पदा का, जिसका शिलान्यास कर दिया गया था जल्दी से जल्दी उसका निर्माण-कार्य पूरा होगा, वहां के लोगों को रोजी और काम के लिए कुछ जरिया दिया जायेगा । सभापति महोदय, साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जहां के लिए आवश्यक है कि वहां का इन्डस्ट्रीयल सर्वे किया जाये और कितनी पोटेन्शियेलिटी वहां पर है उसके बारे में विचार किया जाये और हर एक जिले की अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की जाये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वहां किस प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और किस प्रकार की इन्डस्ट्री चल सकती है । मैं यह नहीं मानता कि ऐसे सर्वे नहीं किये गये, कुछ प्रयत्न अवश्य किये गये हैं, लेकिन वह प्रकाश में नहीं आये हैं । इसलिए मैं यह जरूरी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

समझता हूँ कि राजस्थान के प्रत्येक नगर का इन्डस्ट्रीयल सर्वे किया जाकर वहां जिस प्रकार के साधन हों उनसे वहां के लोगों की आमदनी बढानी चाहिए। बूंदी में दो ही प्रकार की इन्डस्ट्री चल सकती हैं। या तो वहां पर कोई मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री चल सकती है; क्योंकि वहां से बहुत मिनरल बाहर जाते हैं और इसके अलावा बूंदी में सिलिका भी बहुत हैं। उसके लिये भी यदि सरकार प्रयत्न करे तो उसको काम में लाकर कोई भी इन्डस्ट्री चलाई जा सकती है। ग्लास इन्डस्ट्री चल सकती है और वहां की सिलिका काम में आ सकती है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री भी चालू की जा सकती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाकर वहां के लिए जल्दी से जल्दी कोई भी उद्योग की स्थापना की जायेगी, जिसमें दो-तीन हजार आदमियों को रोजगार मिल सके। अगर ऐसा होता है तो हमें सन्तोष होता।

मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव इस बारे में है कि आज हम राजस्थान में जैसा कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी होती जा रही है, जितना कर्जा लोगों को दिया हुआ है वह वसूल नहीं होता है और इस कारण हमें अपनी योजनाओं को आगे करने में बहुत कठिनाइयां सामने आ रही हैं। जहां हम इस चीज को देखते हैं इसका मुझे एक मुख्य कारण नजर आता है जो कि इन्डस्ट्रीज़ की ग्रोथ को रोकने वाला है वह यह है कि लोन्स जो लोगों को दिये गये हैं वह रुपया किसी काम में आता है या नहीं आता है या जिसको लोन दिया गया है वह कोई इन्डस्ट्री भी चलाता है या नहीं, लोन दिए उसको कितना अर्सा हो गया है, और कितने अर्से में कितना रुपया लगाया और कितना आगे लगाने की उम्मीद है, इसके बारे में हमें खोज करनी पड़ेगी। हमें जांच करनी पड़ेगी कि जो कुछ रुपया हमने दिया है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि लोन कई आदमियों को दिये गये हैं लेकिन अब तक उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि लोगों ने इन्डस्ट्री नहीं लगाई, लोगों ने उस रुपये को काम में नहीं लिया और और तरीके से उस पैसे का उपयोग किया गया है। क्योंकि मनी मार्केट टाइट है, इसलिये जो पैसा लोगों ने लोन का लिया वह दूसरे लोगों को दिया हुआ है और उससे वह ब्याज़ कमाते हैं। यदि लोन इसलिये दिया जावे कि ब्याज़ कमाया जाये तो उस लोन देने का कोई मतलब नहीं है। बूंदी में मेरी जानकारी में है कि जहां दस लाख रुपये का लोन दिया गया है लेकिन जब जाकर देखा कि किस चीज के लिए लोन लिया, कोई लोहे का सामान बनाने के लिए लिया तो क्या उसकी कोई मशीन है, तो न तो वहां कोई मशीन है, न सामान है और न कोई वहां कारखाना है। हां, साइनबोर्ड जरूर है कि फलां इन्डस्ट्री है, लेकिन उस लोन का सही माने में उपयोग नही होता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक साल भर के अन्दर अन्दर कोई भी इन्डस्ट्री नहीं लगाई और रुपया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लोन का ले लिया उनसे फौरन कुर्की के जरिये वसूली की जानी चाहिये । सारे राजस्थान में इस बात के लिए एक आयोग बैठाना चाहिये कि जिन लोगों को लोन दिया हुआ है उसकी पूरी उपयोगिता हुई है या नहीं । तो बहुत सारे केसेज़ आपके सामने आयेंगे, जिन्होंने पैसों का दुरुपयोग किया है और इससे आपको एक फायदा होगा कि आपको रकम वापिस मिल सकेगी । तो आज के दिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात की बहुत आवश्कता है कि एक आयोग इसके लिए मुकर्रर किया जाये और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि विभागीय जांच कराते कराते तो बहुत अर्सा हो गया है, उसमें बहुत ढिलाई बरती जाती है इसलिए एक हाई पॉवर बॉडी मुकर्रर की जानी चाहिए जो इस बात की जांच करें।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण ।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय—अलवर में उद्योगपुरी स्थापित करने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु ।

सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने बहुत बड़ी रकम उद्योग पर खर्च की है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में २७ करोड़ रुपये के करीब खर्च किये हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४,४०० करोड़ रुपये करीब खर्च करने जा रहे हैं । ऐसी हालत में हमें यह सोचना है कि देश के अन्दर जो बेरोजगारी की समस्या है और बेरोजगारों की समस्या है वह औद्योगीकरण करने से ही हल हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना है । रोजगार तभी दे सकेंगे जब देश के अन्दर अच्छे अच्छे कारखाने खुलें । इस समस्या पर सोचते समय, मैं अलवर जिले की तरफ मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आपकी मार्फत दिलाना चाहता हूं । अलवर जिले का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर पढे लिखे लोगों की संख्या भी ज्यादा है । इसके कारण शिक्षित लोग और दूसरे लोग भी बहुत बेकार हैं। अलवर जिले में शिक्षा की बड़ी तरक्की है । इसके साथ साथ हरिजन भी वहां बहुत संख्या में रहते हैं और जन-जाति के लोग भी काफी संख्या में हैं। क्योंकि अलवर में जहां १० विधान सभा की सीटें हैं, उनमें दो सीटें हरिजनों के लिये और एक सीट जन—जाति के लिये सुरक्षित है । इससे अन्दाजा लगा सकते हैं वहां पर हरिज़न और जन-जाति के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं । इस जिले में कोई ऐसी इन्डस्ट्री नहीं जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके । अभी अभी मेरे से पूर्व राजगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं । उन्होंने यह बात रखी थी कि उनके यहां राजगढ के अन्दर अगर सरकार सर्वे कराये तो सीमेंट का बहुत बड़ा कारखाता खुल सकता है । राजगढ के पास खो दरीबा के अन्दर ताम्बे की खान का काम चल रहा है लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये इन्डस्ट्री न लगाने का मुख्य कारण बिजली का अभाव था । अब मेरा निवेदन है कि क्योंकि चम्बल से जो बिजली आ रही है वह अलवर जिले के अन्दर नहीं आ रही है—खो दरीबा में भारत सरकार

(श्री जयकृष्ण)

परीक्षण कर रही है, वहां पर सीमेंट फैक्टरी लगाने की बात है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि—वह बिजली से महरूम न रह जाय। औद्योगीकरण अलवर जिले का तभी हो सकता है जबकि चम्बल की बिजली राजगढ और खो दरीबा तक जुड़ जाय। हिन्दुस्तान में जितना भी मिनरल होता है उसमें राजस्थान भी बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। उसके अन्दर अलवर जिले की खो की जो खान है वह अपना विशेष स्थान रखती है। इसलिये मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्री का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इन बातों की तरफ ध्यान देते हुए अलवर के अन्दर कपड़ा मिल खोला जाये। क्योंकि अलवर दिल्ली के नजदीक है, नजदीक होने से उसको बहुत अच्छा मारकेट मिल सकता है। इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। अलवर जिले में खो के अन्दर ताम्बे की खान के लिये और राजगढ में सीमेंट के कारखाने के लिये योजना करें। अगर राजगढ़ में सीमेंट का कारखाना खोल दिया जाता है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है और रोजगार मिलने से हमारे यहां की बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ खींचने की कोशिश की है जो कि उद्योगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय,हमारे यहां पर जो कच्चा माल आता है उसका वितरण होता है। वह वितरण हमारे उद्योगों को पनपाने में, औद्योगीकरण में और जो कॉटेज इन्डस्ट्रीज हैं उनको चलाने में बहुत बड़ा भाग अदा करता है। शुरू शुरू में जो कच्चे माल का कोटा हमें मिलता है उसका सही मायने में उपयोग होने लगे तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक एम्पलॉयमेन्ट मिल सकता है और गृह उद्योगों में काफी तरक्की हो सकती है। होता यह है कि यहां पर जो कच्चा माल आता है वह ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाता है जो लोग इस माल को पंजाब भेज देते हैं। पंजाब का औद्योगीकरण हम जब देखते हैं तो हमें पहले जैसा मालूम था कि पंजाब हमारे से आगे है लेकिन मैं यह मानता हूं कि राजस्थान से जो कच्चा माल पंजाब को जाता है और उसका जो उपयोग होता है उस पर डाट लगायी जाय, उस पर रोक लगाई जाय तो यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं यहां के सब लोगों को जानता हूं जिनकी फैक्टरी का नामोनिशान नहीं, केवल कागज पर जिसका नाम है उनको उस नाम से कच्चा माल मिलता रहता है। वक्त कम होने की वजह से सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि सरकार इस विषय में कोई इन्तजाम करे कि जो कच्चा माल राजस्थान में आता है वह माल जिस चीज के बनाने के लिये लिया जाता है वह बनती है या नहीं। अगर बनती है तो वह कितनी मात्रा में बनती है और नहीं बनती है तो वह माल कहां जाता है। अगर इस बारे में निगाह रखी जाय तो मैं समझता हूं, हम राजस्थान को औद्योगीकरण में आगे ले जा सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उद्योगों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के बारे में जो कुछ महत्व मिला है वह इसलिये कि यह विभाग मुख्य मंत्री के पास आया है। मैं समझता हूं, इसके लिये कल तक जो बातें थी वे इतनी हल्के ढंग की हैं, इतनी बदनामी की बातें हैं कि मैं उनको कहना नहीं चाहता। हो सकता है, बातें छोटी हों और बदनाम ज्यादा करने की कोशिश की जाती हो, लेकिन हम अब उन बातों में न जाकर हमने नये दृष्टिकोण से एक बात पर जोर दिया है, वह यह कि जिनके पास कच्चे माल का कोटा है और कोटा प्राप्त करनेवाले किस तरह से सारे राजस्थान के अन्दर इसका उपयोग करते हैं; इस पर यदि सख्ती से देखरेख रखी जाय तो यहां जो एम्पलॉयमेन्ट की बात है और उसके बाद रिन्यू करने की बात है, इनमें सार्वजनिक सहयोग से इन्क्वायरी करके सही नतीजे पर पहुंचा जाय तो सही तौर से हम उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं घंटी के साथ ही बैठना चाहता हूं। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो उसके साथ एक एडवाइजरी बोडी भी होनी चाहिये। जिस तरह से पंजाब के अन्दर कोई जापानी वस्तु आ जाती है तो उसको देखने के बाद वे वहां के लोग उसको अपने यहां ले जाते हैं और उसकी नकल करके उससे मिलती जुलती चीजें मार्केट में सस्ती पहुंचा देते हैं। इससे उनको वहां बहुत प्रोत्साहन मिलता रहता है। जैसे सजावट की चीजें, बिजली के सामान, इन चीजों के बारे में एक एडवाइजरी बोडी बनानी चाहिये, जिससे इस प्रकार की चीजें ईजाद होती हैं उनको देख कर यहां भी बनाई जा सकें। राजस्थान का कच्चा माल ब्लेक में लेकर भी पंजाब वाले इस प्रकार की चीजें बना कर बेचते हैं और उससे उनको नफा मिलता है। दिल्ली में ऐसी चीजों को बना कर ले जाते हैं जहां पर महंगे पैसों में वह बिकती हैं। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

क्या सदन की राय है कि समय और बढ़ाया जाय ?

('नहीं-नहीं' की आवाज)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर समय बढ़ाया जाता है तो हम रात तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री सभापति : सदन चाहे तो समय बढ़ाया जा सकता है।

('नहीं-नहीं' की आवाज)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.० बजे दिनांक ११ अप्रैल, १९६२ के ११ बजे म.पू. तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, १० अप्रेल, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	३०८६

अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा क्रियान्वित योजना।

भाखरा क्षेत्र के किसान।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्लॉट्स का विक्रय।

बीकानेर के कॉलेज में सोशियोलॉजी व ज्योग्राफी विषयों के अध्ययन की व्यवस्था।

किसानों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए दी जाने वाली सुविधा।

हायर सेकिन्डरी स्कूल।

गंग केनाल।

नगरपालिका, नाथद्वारा।

भूमि–विक्रय।

घाटी योजना का सर्वेक्षण।

जयपुर की कच्ची बस्तियों का सुधार।

लूनी नदी से सिंचाई–सांचोर।

सभापति तालिका	३१२६

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ६ (१) के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने श्री केसरीसिंह (पाली–वि० सं० ८६) को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया।

आयव्ययक, १९६२–६३

द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

	स्कम्भ
(१) **मांग संख्या १५–मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा**	३१२९

उपरोक्त मांग आज मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया व शिक्षा मन्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा कटौती-प्रस्तावों का उत्तर दिये जाने के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(२) **मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक, ३५-उद्योग**	३१८०

उपरोक्त मांग श्री चन्दनमल वैद, उप–मंत्री, उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई। इस मांग पर ५१ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे बुधवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

स्कम्भ

बुधवार, दिनांक १३ अप्रैल, १९६२
की कार्य-सूची

(१) मांग-संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग

स्कम्भ

(अग्रेत्तर विचार-विमर्श एवं स्वीकृति)

(२) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४२ का उत्तर देखिए)

(राजस्थान पर लागू होने वाले अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए कानूनी नियम, आनियम और आज्ञाएं)

LOCAL SELF-GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 17, 1961.

No. F. 4 (32) LSG/59:—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), hereinafter referred to as the said Act, the State Government hereby places all nazul lands within the Municipalities of Ajmer, Alwar, Bikaner, Jaipur, Jodhpur and Udaipur, except those lying within the city walls of Jaipur, at the disposal of the Improvement Trust (hereinafter referred to as the Trust) established and constituted under the said Act respectively for each of the aforesaid places, on the following terms and conditions, namely:—

(a) Every Trust shall improve the lands placed at its disposal in accordance with a scheme or schemes framed and sanctioned under the said Act,

(b) Such improvement shall not be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Trust,

(c) The Trust shall demarcate plots both for allotment at a fixed price and for sale by auction and shall formulate proposals for fixing the reserve price for such allotment and sale,

(d) The Trust may also, in consultation with the district level officers of the departments concerned and the district development officer, set apart lands placed at its disposal, for school buildings, dispensaries, veterinary dispensaries and the like,

(e) All proposals made by the Trust, together with those for fixing the reserve price at which plots improved and demarcated as aforesaid may be allotted or sold by auction shall be submitted for the sanction of the State Government,

(f) Such proposals shall be examined by a Committee consisting of-

(i) the Minister for Local Self-Government Department,

(ii) the Collector of the District concerned,

(iii) the Secretary to the Government in the Local Self-Government Department.

(iv) the Chairman of the Trust concerned or any other trustee nominated by the Chairman, and,

(v) a representative of the Finance Department not below the rank of a Deputy Secretary to Government,

(g) The Committee shall meet at least once a month or, if there be no proposals for its consideration, at least once a quarter and any three members present at the meeting shall form the quorum necessary for the transaction of its business,

(h) The Committee may sanction the proposals with or without any modifications or may return them to the Trust concerned for reconsideration,

(i) The reserve price finally approved by the Committee for allotment or sale of lands shall be the sanctioned reserve price,

(j) A copy of the proceedings of the Committee shall be sent to the Secretary to Government in the Local Self-Government Department, and

(k) The nazul lands shall, after the necessary improvement and demarcation have been made, be disposed of by the Trust subject to any directions of the State Government issued from time to time under clause (b) of snb-section (1) of section 60 of the said Act.

2. Further, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 60 of the said Act, the State Government issues the following directions subject to which the nazul lands, improved and demarcated as aforesaid, may be disposed of by the Trust concerned, namely:—

(i) Such nazul lands shall be disposed of by the Trust concerned for and on behalf of the State Government.

(ii) Save as otherwise directed herein plots of land shall be sold by public auction and the Collector or any officer appointed by him in this behalf shall be associated at the time of such auction.

(iii) Such sale by public auction shall be held in the following manner:—

(a) wide publicity of the proposed auction shall be given by describing the plots proposed to be sold together with their dimensions and area so completely that the description may admit of their identification and by notifying the date and time of the auction and the conditions thereof:—

(b) auction shall be held by an auctioneer has not been so appointed by the Trust and under the supervision of an officer of the Trust authorised in this behalf:—

Provided that, where an auctioneer has not been so appointed or is not present, the auction shall be held by an officer of the Trust appointed in this behalf by the Trust,

(c) conditions of bidding shall be read out before the auction starts.

(d) every bidder shall be required, before he is allowed to bid, to deposit a sum of Rs. 50-which shall be refunded to him at the close of the auction,

(e) proceedings shall be drawn up stating the name of every bidder and the amount for which he bade,

(f) the successful bidder shall be required forthwith to deposit a sum equal to one-fourth of the amount of his bid by

way of earnest money and the remaining three-fourths of such amount shall be deposited by him, within one month of the acceptance of the bid, failing which the earnest money shall be lible to be forfeited.

(g) the bids shall subject to the sanction of the Chairman of the Trust in whom is reserved the right to accept or reject any bid without assigning any reason therefor.

(h) attempt shall be made to ensure that rings are not formed.

(i) the officer holding or supervising the auction may at any time cancel any bid, if he finds it not to be free and competitive.

(iv) Plots at fixed price may be allotted to the following categories of persons:—

(a) members of Schedduled Castes and Scheduld Tribes.

(b) persons who do not pay income tax, and

(c) persons whose income exceeds Rs. 250/-per mensem but is below Rs. 400/- per mensem.

(v) Fixed price shall—

(a) in the case of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and persons not paying income tax, include development charges plus 20% thereof, and

(b) in the case of persons whose income exceeds Rs. 250/- but is less than Rs. 400/- per mensem, be double the fixed price or the highest price at which plots situated in the same locality have been sold by auction, whichever is less.

(vi) Allotment of plots at fixed price shall be made—

(a) in the case of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and persons not paying income-tax, on the basis of first come first served, and

(b) to the persons residing in the same town or city,

(vii) Small strips of land adjoining existing buildings and comprised within the nazul lands placed at the disposal of the Trust under sub-section (1) of section 43 of the said Act shall be disposed by the Trust at the sanctioned reserve price.

(viii) No plot shall be allotted or sold for a price which is less than the sanctioned reserve price.

Provided that lands for schools and other public and charitable institutions may be disposed of by the Trust—

(a) on payment of 50% of the sanctioned reserve price, or

(b) with the prior permission of the State Government, free of any charge.

(ix) Allotment of the plots at fixed price shall be subject to the conditions:—

(a) that the allottee shall be bound to complete the construction of a house thereon within a period of two years from the date of allotment,

(b) that he shall not transfer the land so allotted until such construction is completed; and

(c) where no such construction is made within the period of two years as aforesaid, the allotment shall be liable to cancellation subject to the refund of three-fourths of the fixed price paid for it and the removal by the allottee of the building materials, if any, lying or standing on the plot allotted.

(x) All moneys received on account of the sale or allotment of the plots shall be credited to the Improvment Fund constituted under sub-section (1) of section 61 of the said Act.

(xi) For every sale or allotment of land by the Trust, a document in respect thereof shall be prepared in the form prescribed by the State Government and such document shall be signed for and on

behalf of the Governor of the State by the Chairman of the Trust concerned and shall be duly stamped and registered at the expense of the purchaser or allottee.

By Order of the Governor,

S. D. UJWAL,

Secretary to the Government

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५१ का उत्तर देखिये)

PARTICULARS OF KATCHI BASTIES IN AND OUTSIDE JAIPUR.

Chowkari. 1	Location of Area. 2	Families. 3
Modikhana.	1. Alcng in side of the city wall on both sides of Storess Water Nala, known as ganda Nala.	130
Bisheswarji.	2. On east side of prem Prakash Talkies.	50
	3. Along the inside of the City wall.	400
	4. Rajgron ki Kothi area.	200
Topkhana Hazuri.	5. The entire chowkri in an undeveloped area with a few pucca roads and buildings.	1,800
Ramchandarji.	6. Along the inside of city wall on Ghora Nikas Road.	200
	7. Kund Radha Kishan Area.	50
	8. Mohalla Chabuk Sawaron.	50
Gangapole.	9. Along the city wall on North of Motikatla area.	150
	10. Western side of old Amber Rd.	50
	11. Area Bhainsewalon.	50
Purani Basti.	12. Both sides of Rasta Bala Nandji.	200

1	2	3
	13. Nadi Area.	400
	14. Gulab Bari.	41
Brahampuri.	15. Area at the foot of the Nahargarh Hills.	200
Topkhana Desh.	16. Along the inside of city wall.	4,000
	17. Beteween Rasta Kalyanji Nidar Rao and Topkhana.	200
	18. Thikana Banjara.	200
	19. Near Normal School.	200
	20. Mohalla Sarki Garan.	100
Hawali Sahar	21. Nari Ka Rasta.	700
Garbi outside city walls.	22. Jalupura.	400
	23. Hassanpura and Madrampura.	1,400
	24. Lal Kothi Area.	300
	25. Behind Thakur Geejgarh Haveli.	200
	26. Hathroi area on Ajmer Road Badodia Area.	200
	27. Bassi Sitarampura near water Works.	200
	28. Area known as Hathi Babuji Ka Bagh.	100
Hawali Sahar Janubi (out side city walls)	29. Area behind Bhawani Talkies extending upto creamation ground.	2,000

1	2	3
	30. On east of Moti doongri road near Badadoka Bagh.	3,000
	31. Outside Ghat Gate Between city wall and agra Road.	200
	32. Behind Bus Company's premises on both sides of Road leading to Shuterkhana.	200
Hawali Sahar.		
Sharki Shumali.	33. Out side Hida Ki Mori	800
	34. Mondhi Khatikon.	100

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३०९०	१४	क्लेक्ट	कलेक्ट
३०९२	९	निर्घारित	निर्धारित
३०९३	८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३०९४	शीर्ष	(श्री बरकतुलाखां)	(श्री बरकतुल्लाखां)
३०९६	४	बत।या	बताया
३१००	३	सेाकन्डरी	सेकन्डरी
३१०१	२१	इन्प्र वूमेंट	इम्प्र वूमेंट
३१०२	६	हांड़ा	हांडा
३१०३	४	यो	यों
३१०८	५	नही	नहीं
३११०	१९	द्वरा	द्वारा
३११४	४	पिछा	छिपा
३१२३	२६	कॉन्ट्रिब्यूरान	कॉन्ट्रिब्यूशन
३१२७	२१	वरदिया	बरदिया
३१३१	२०	हों	हो
,,	२१	शिफारिशों	सिफारिशों
३१३७	२८	कॉलज	कॉलेज
,,	३१	पेंशन ग्रेचुटी	पेन्शन, ग्रेचुटी
,,	३४	जमना	नमूना
३१४३	४	चलग	अलग
३१४६	अंतिम पंक्ति	स्वाविक	स्वाभाविक
३१५३	शीर्षक	शिद्दां	शिक्षा

१	२	३	४
३१५४	२०	श्री नोहनलाल सुखाड़िय	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
३१६१	३	कॉन्स्ट्रीब्यूट	कॉन्ट्रीब्यूट
३१६२	१८	लोकन	लोकल
३१७३	शीर्षक	मुख्य शीषक	मुख्य शीर्षक
,,	२५	संस्थाओ	संस्थाओं
३१७४	अंतिम से ३	meam	mean
३१७६ व ३१७७	५ व ७	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३१८६	२६	उद्योगो	उद्योग
३१९०	शीर्षक	६ अप्रेल, ६२	१० अप्रेल, ६२
३१९८	स्कम्भ	३२९८	३१९८
,,	१३	विजली	बिजली
३१९९	स्कम्भ	३२९९	३१९९
३२०१	१५	व्याज	ब्याज
३२०४	१५	समझाता	समझता
३२३७	७	सेवकील	से वकील
३२३७	अंतिम से २	अवेंगे	आवेंगे
३२४७	२०	पहाड़ीं	पहाड़ी
३२५२	५	सदन समक्ष के	सदन के समक्ष
३२५९	३	वगैरहा	वगैरह
३२६०	१३	एक जिम्मेदारी	एक जिम्मेदार
,,	२७	मैं	में
३२८०	१८	मुकटबिहारीलाल	मुकुटबिहारीलाल
३२८२	अंतिम से ३	हासक	हासिक
३२८८	१९	करती । यह गलत हैं ।	करती, यह गलत है ।

१	२	३	४
३२८६	१६	समितियों	समितियां
३२९३	७	है	हैं
३२९५	१२	पूरी	पूरा
३२९८	अन्तिम से ३	रुपये करीब	रुपये के करीब
३३००	१४	ज़ावे	जावे
३३०१	३	पनपाये	पनपाने
३३०२	५	बाते	बातें
३६०३	६	वह	वे